



22<sup>वीं</sup>  
**वार्षिक प्रतिवेदन  
2005-06**



राष्ट्रीय मानसिक  
विकलांग संस्थान  
आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था



22वीं

# वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06



## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था

मनोविकास नगर, सिंकंदराबाद - 500 009. आन्ध्रप्रदेश, भारत

दूरभाष : 040-27751741 फैक्स : 040-27750198

ई-मेइल : [hyd2\\_dirnimh@sancharnet.in](mailto:hyd2_dirnimh@sancharnet.in) वेबसाईट : [www.dirnimhindia.org](http://www.dirnimhindia.org)



# विषय - सूची

विवरण	पृष्ठ सं.
<b>अध्याय</b>	
1 संस्थान के बारे में .....	1
2 उद्देश्य .....	8
3 मानव संसाधन विकास .....	10
4 अनुसंधान व विकास परियोजनाएँ .....	16
5 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन .....	20
6 सेवा नमूने .....	21
7 विशेष शिक्षा केन्द्र .....	33
8 एन.आई.एम.एच. माडल विशेष शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली .....	35
9 परामर्शी और तकनीकी समर्थन .....	38
10 प्रलेखीकरण और प्रचार .....	39
11 विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम .....	41
12 संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल .....	47
13 प्रशासन .....	49
14 वार्षिक लेखें तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट .....	52
<b>परिशिष्ट</b>	
क) महापरिषद् के सदस्यों की सूची .....	110
ख) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची .....	112
ग) शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची .....	113
घ) एथिक्स समिति के सदस्यों की सूची .....	114
<b>अनुबंध</b>	
1. वर्ष 2005-06 के दौरान संचालित अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण ...	115
2. वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण .	118

# संकल्पना

देश के अन्य नागरिकों की तरह हर मानसिक  
मंद व्यक्ति के जीवन भी उतना ही विशेष है;  
इसमें वे संभवतः अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्र जीवन बिताएँगे।

## मिशन

विशेषज्ञों के निरंतर पयास द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों को वर्तमान आधुनिक पुनर्वास हस्तक्षेप जैसे, शैक्षिक, थिरैप्युटिक, व्यावसायिक, रोजगार, अवकाश काल तथा सामाजिक, खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूर्ण सहभागिता में अभिगम के लिए अधीकृत बनाना

## मान्यता

एन.आई.एम.एच. मानसिक मंद व्यक्तियों के समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी को मान्यता देती है। ग्राहक पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों में विकलांग व्यक्ति, अभिभावक, व्यावसायिक, कर्मचारी तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के भागीदारी में एन.आई.एम.एच. विश्वास करता है।



राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान



## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)  
मनोविकास नगर, सिंकंदराबाद - 500 009



आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था

## गुणता नीति

मानसिक मंदन से ग्रस्त व्यक्तियों को अधिकारिता प्रदान करने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करने में हम अग्रगण्य हैं।

### लक्ष्य :

1. जीवन चक्र की आवश्यकताओं पर आधारित गुणता नमूनों के द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के लिए तत्पर प्रशिक्षित मानव संसाधनों को तैयार करना।
2. मूल्य जुड़े अनुसंधान तथा विकास कार्य करना और आधुनिकीकृत प्रलेखन और प्रचार-प्रसार प्रदान करना।

(डॉ.एल.गोविन्द राव)  
निदेशक

## माननीया श्रीमति मीरा कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रीजी द्वारा संस्थान का दौरा

माननीया श्रीमति मीरा कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ने संस्थान का 21.1.2006 को दौरा किया और संस्थान के क्रियाकलापों का उत्साह से वीक्षण की। मंत्री महोदया ने संस्थान के कर्मचारियों को संबोधित किया, किये जा रहे कार्यों की सराहना की और सभी अधिकारियों, क्लाइंटों व देखभालकर्ताओं को शुभकामनाएँ दी।



Visiting NIMH and seeing  
the work being done here  
has been a learning experience.  
I appreciate the efforts made  
by the Director, <sup>Sh.</sup> Govinda Rao  
and the teaching and other  
staff, in this direction.

I extend my good wishes to  
the patients and their caregivers.

# अध्याय -1

## संरथान के बारे में

### 1.1 प्रस्तावना

एन.आई.एम.एच., पिछले 22 वर्षों से मानसिक मंद व्यक्तियों को साधिकार बनाने के लिए उनमें क्षमताएँ बढ़ाने की दिशा में कार्य करते हुए विद्यमान है। सेवा नमूनों का विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रलेखन तथा प्रचार, समुदाय आधारित पुनर्वास तथा विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रम इस संस्थान के मुख्य केन्द्र बिन्दु हैं। सन् 1984 में कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा स्थापित इस संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद में है जबकि क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकता में स्थित हैं। संस्थान के अधीन माडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर दिल्ली में स्थित है।

मानसिक मंदता के क्षेत्र में वर्तमान विकास एवं पवृत्तियों के आधार पर, संस्थान नए कार्यक्रमों का संचालन करने, वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा अनुसंधान तथा विकास द्वारा नवीनता लाने के लिए प्रयास करता है। संस्थान के अपने विभिन्न कार्यकलापों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान के वैश्वीकरण विशेषता का प्रतिविम्ब करता है।

मानसिक मंद व्यक्तियों के जीवन में समानता तथा महिमा लाने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए संस्थान को आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाण पत्र मिला।



# अध्याय -2

## उद्देश्य

### 2.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

- देखभाल तथा पुनर्वास नमूनों का विकास
- मानव संसाधन विकास
- अनुसंधान एवं विकास
- स्वैच्छिक संगठनों को परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना
- प्रलेखन तथा प्रचार
- समुदाय आधारिक पुनर्वास
- विस्तारण और अभिआगमन कार्यक्रम।

### 2.2 संगठनात्मक व्यवस्था

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का मुख्यालय सिकंदराबाद में तथा क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता, मुम्बई तथा नई दिल्ली में अवस्थित हैं। संस्थान ने जुलाई 2000 में संश्लिष्ट पुनर्वास केन्द्र की स्थापना भोपल में की जो फरवरी 2006 में अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान को हस्तांतरित किया। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में स्थापित माडल स्कूल फार दि मेंटली डिफीसियेंट चिल्ड्रन (एन.आई.एम.एच. माडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्र के रूप में पुनर्नामित), नई दिल्ली को अगस्त 1986 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान को सौंप दिया गया।

### 2.3 मुख्य उपलब्धियाँ / नए क्रियाकलाप

- विभिन्न दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों द्वारा 529 व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- सात सर्टीफिकेट पाठ्यक्रमों के आयोजन से 47 व्यावसायिक लाभान्वित हुए।
- बयालीस अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 935 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 32 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
- संस्थान द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु विकसित शिक्षण - अधिगम सामग्री का ओलटपुर, उड़ीसा में 27.12.2005 को आयोजित एक कार्यक्रम में, महामहिम माननीय भारत के राष्ट्रपति, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के करकमलों द्वारा देश को अर्पित किया गया।

- विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एसेसमेंट टूल का सरलीकरण पर राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
- वर्ष के दौरान अभिभावक संगठनों की 13वीं राष्ट्रीय बैठक तथा विशेष कर्मचारियों की 11वीं राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया ।
- समुदाय पुनर्वास पर द्वितीय एन.आई.एम.एच. सम्मेलन एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद में आयोजन किया गया ।
- कुल 4801 नए क्लाईंटों को इस वर्ष संस्थान तथा क्षेत्रीय केन्द्रों की सेवाओं के दौरान देखा गया ।
- कुल 91807 फालो अप क्लाइंटों को एन.आई.एम.एच. तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में देखा गया ।
- एडिप योजना के अंतर्गत कुल 8270 साधन और यंत्रों का वितरण किया गया ।
- जम्मू व कश्मीर के युरी, बारामुल्ला, बुनियार, तंगदार तथा स्लामाबाद में भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गई ।
- उत्तर पूर्वी प्रांतों में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विभिन्न सेवा क्रियाकलापों का आयोजन किया गया ।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए भवन को अभिगम्य व अनावरोध किया गया ।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य विद्यार्थी प्रशिक्षकों में कला, सांस्कृतिक तथा अन्य सह पाठचर्चा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए ओपन एयर थियेटर का निर्माण किया गया ।



## अध्याय -3

### मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास की पोन्ति के लिए, संस्थान 11 दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन देश भर में स्थित विभिन्न केन्द्रों द्वारा करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष 2005-06 में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या : पाठ्यक्रम-वार

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	केन्द्र	विद्यार्थी
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	15	291
2.	डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लायमेंट (मेंटल रिटार्डेशन)	4	62
3.	डिप्लोमा इन एर्ली चार्टल्डहुड स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	3	57
4.	बैचिलर इन रिहैबिलिटेशन थिरेप्युटिक्स	1	18
5.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	2	29
6.	बी.एड. इन स्पेशल एजुकेशन (दूरी प्रणाली)	1	34
7.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एर्ली इन्टरवेन्शन	1	7
8.	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (मेंटल रिटार्डेशन)	1	10
9.	एम.फिल. (रिहैबिलिटेशन साइकोलोजी)	1	10
10.	मास्टर्स इन डिसबिलिटी रिहैबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन	1	11



#### 3.1 विशेष शिक्षा डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

इस दो वर्षीय पाठ्यक्रम का उद्देश्य विशेष शिक्षकों को विकसित करना है, जो मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हों। इस पाठ्यक्रम के परीक्षा का आयोजन आर.सी.आई. को सौंपा गया और भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा नामित केन्द्र, अर्थात्, मणिपाल एकाडमी हायर एजुकेशन (माहे) को परीक्षा का ठीक से संचालन के लिए एन.आई.एम.एच. द्वारा समर्थन दिया गया।

### 3.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

एक वर्ष की अवधि का यह पाठ्यक्रम मानसिक मंदन के क्षेत्र में व्यावसायिक अनुदेशकों को तैयार करता है। यह पाठ्यक्रम छः केन्द्र, अर्थात्, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान-सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता, नवज्योति ट्रस्ट-चेन्नई, मानसिक मंदन के लिए सरकारी संस्थान, चंडीगढ़, शेल्टर- हुग्ली, जाने सेन्टर फार स्पेशल एजुकेशन-कोची में आयोजित किया गया।



### 3.3 प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा डिप्लोमा (मानसिक मंदन)

प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा (ई.सी.एस.ई.) 6 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों पर ध्यान केन्द्रीकरण करता है तथा लक्ष्य वर्ग की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न उपाय तथा तरीके अपनाते हैं। यह प्रशिक्षण, गृह आधारित, केन्द्र आधारित, नियमित प्राथमिक पाठशालाओं, आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ियों में विस्थापन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम मानसिक मंद बालक के परिवार के पास या घर जाकर या सैलानी शिक्षक बनकर, नियमित या विशेष प्री-स्कूलों में जाकर विकलांग बच्चों को संभालने हेतु उपयुक्त मानव संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों को अधिक संख्या में शामिल करते हुए पाठ्यक्रम की अभिकल्पना और प्रबंधन के लिए बहु-शास्त्रीय ज्ञाता सदस्य के रूप में काम करें। प्रारंभिक बालवस्था विशेष शिक्षा डिप्लोमा तीन केन्द्रों में आयोजित किए गए, और इस पाठ्यक्रम की परीक्षा माहे द्वारा संचालन किया गया।

### 3.4 पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान - स्नातक उपाधि

यह चार वर्षीय पाठ्यक्रम इन्ड्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबंधित है और क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में चलाया जाता है। मानसिक मंद व्यक्तियों को समाविष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए यह पाठ्यक्रम व्यावसायिकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में न्यूरोबायोलोजी, साईकोलोजी, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा से संबंधित विषय शामिल हैं।



### 3.5 विशेष शिक्षा में बी.एड. (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, एक वर्षीय बी.एड.-विशेष शिक्षा (मानसिकमंदन) जो उर्मानिया विश्वविद्यालय से संबंधित है, संचालन करता है।

### 3.6 विशेष शिक्षा में बी.एड. (दूरी पणाली)

मध्यपदेश भोज विश्वविद्यालय, भोपाल और भारतीय पुनर्वास परिषद् के सहयोग से क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली में बी.एड. विशेष शिक्षा (दूरी पणाली) कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में व्यावसायिकों को विकसित करना है।

### 3.7 प्रारंभिक हस्तक्षेप में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

विकासात्मक देरी वाले बच्चों में यदि कमियों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर प्रारंभ से ही व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान की जाएँ तो सार्थक सुधार परिलक्षित होंगे। ये सेवाएँ बाल विकास आचरणों, भौतिक चिकित्सा विज्ञान, व्यावसायिकी चिकित्सा विज्ञान, वाक् चिकित्सा विज्ञान जैसे अंतर-विषयिक प्रकृति के होते हैं।

### 3.8 एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन)

विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों के आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान एक वर्षीय एम.एड. विशेष शिक्षा (मानसिक मंदन) पाठ्यक्रम का संचालन किया गया है।

### 3.9 पुनर्वास मनोविज्ञान में एम.फिल. पाठ्यक्रम

उर्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्धित यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम मानसिक मंद व्यक्तियों को समाविष्ट सेवाएँ प्रदान करने के योग्य व्यावसायिकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में न्यूरोबायोलोजी, साईकोलोजी, विशेष शिक्षा, वाणी-भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा व्यवसायिक चिकित्सा से संबंधित विषय शामिल किये गये हैं।



### 3.10 विकलांगता पुनर्वास प्रशासन में मार्स्टर्स डिगी।

जवाहरलाल तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्धित यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम वर्ष 2004-05 से आरंभ किया गया। सेमिस्टर मोड में चलाये जाने वाली यह दो वर्षीय पाठ्यक्रम देश भर में विकलांगता पुनर्वास तथा अनुसंधान संगठनों का प्रबंधन सफलतापूर्वक करने के लिए योग्य तथा सक्षम विकलांग पुनर्वास प्रशासकों को तैयार करता है। इस पाठ्यक्रम में विकलांगता तथा पुनर्वास विषय से संबंधित इतिहास, समकालीन विषय तथा समस्या परिप्रेक्ष्य, व्यावसायिक सेवाएँ तथा महत्व, समुदाय पुनर्वास, परियोजना प्रबंधन, संगठनात्मक विकास, मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक व्यवहार, सामाजिक पूँजी मान्यताएँ, नीतिशास्त्र तथा मानवाधिकार, तथा सूचना विज्ञान संबंधी विषय शामिल हैं।

### 3.11 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम

क्षेत्र के पुनर्निवेशन ने यह सूचित किया कि मानसिक मंद बच्चों के दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने जो विशेष शिक्षक होते हैं उनको चिकित्सा-विज्ञान पर गहन प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। यह विशेष शिक्षकों को अपनी सुयोग्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से है ताकि वे गुणतायुक्त सेवाएँ प्रदान कर सकें। वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसे सात कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिसके विवरण निम्नलिखित हैं।

#### वर्ष 2005-06 के दौरान संचालित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का विवरण

क्र.	नाम	दिनांक	लाभदायकों की संख्या
1.	अतिगंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों के प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	4-29 जुलाई, 2005	5
2.	समुदाय पुनर्वास में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	5-29 सितम्बर, 2005	5
3.	आटीजम एपेक्ट्रम अव्यवस्थाओं पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	24 अक्टूबर - 12 नवम्बर, 2005	14
4.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1-25 नवम्बर, 2005	14
5.	पारंभिक हस्तक्षेप पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	7 नवम्बर - 2 दिसम्बर, 2005	2
6.	मानसिक मंद व्यक्तियों के चिकित्सीय प्रबंधन पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	2-27 जनवरी, 2006	2
7.	भौतिक चिकित्सक / व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए भौतिकीय पहलुओं पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1-28 फरवरी, 2006	5

### 3.12 अल्पकालीन पाठ्यक्रम

ये अल्पकालीन पाठ्यक्रम मुख्यतः इस पकार अभिकल्पित किये गये हैं कि मानसिक मंद के क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिकों और कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। वर्ष 2005-06 के दौरान, संस्थान ने 935

हिताधिकारियों को आवरित करते हुए 42 अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गए। सभी अल्पकालीन पाठ्यक्रम एक सप्ताह या अधिक अवधि के थे और आर.सी.आई.द्वारा पंजीकृत व्यावसायिक इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया और यह कार्यक्रम आर.सी.आई. के जारी पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के रूप के समान माना गया है। अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का विवरण अनुबंध - 1 में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 32 अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 4075 लाभान्वित हुए। विवरण अध्याय - 11 में दर्शाया गया।

### 3.13 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य स्तर के कार्यक्रम

#### 3.13.1 विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन उपकरण के सरलीकरण पर राष्ट्रीय / क्षेत्रीय (पूर्व) कार्यशाला

एन.आई.एम.एच. में 8 अपैल, 2005 को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानसिक मंदन व्यक्तियों के मूल्यांकन हेतु सरल उपकरण के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नैदानिक मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सा तथा बालचिकित्सा के 16 विशेषज्ञों ने इस बैठक में भाग लिया। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय न्यास के प्रधान सभापतित्व में बैठक का आयोजन किया गया।

एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता में 8 व 9 अगस्त, 2005 को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन उपकरण का सरलीकरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला (पूर्व) का आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों के 11 व्यावसायिक ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

कश्मीर विश्वविद्यालय, मनोविज्ञान विभाग में मानसिक मंद व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन उपकरण का सरलीकरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला 27 अक्टूबर, 2005 की आयोजन किया गया। जम्मू व कश्मीर के 10 मनोवैज्ञानिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

#### 3.13.2 अभिभावक संगठनों के तेरहवीं राष्ट्रीय बैठक

अभिभावक संगठनों की 13वीं राष्ट्रीय बैठक 12-13 नवम्बर, 2005 को एना आडिटोरियम, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कोयम्बतूर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य समन्वयन समिति परिवार (टी.एन.एस.सी.सी.पी.) द्वारा आतिथेय संगठन के रूप में एन.आई.एम.एच. के सहयोग से आयोजित किया गया। कुल 57 समूहों के प्रतिनिधित्व करते हुए 159 अभिभावक इस बैठक में भाग लिये।

### 3.13.3 समुदाय पुनर्वास पर एन.आई.एम.एच. राष्ट्रीय सम्मेलन

समुदाय पुनर्वास पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद में 6-7 मार्च, 2006 को आयोजित किया गया जिसमें 137 प्रतिभागी भाग लिये।



### 3.13.4 विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक

एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद में विशेष कर्मचारियों की राष्ट्रीय बैठक 9.3.2006 से 10.3.2006 तक आयोजित की गई। कुल 125 विशेष कर्मचारी इस बैठक में भाग लिये।



# अध्याय -4

## अनुसंधान और विकास परियोजनाएँ

अनुसंधान एवं विकास कार्य राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का महत्वपूर्ण लक्ष्य होने के कारण, संस्थान ने यू.एस.इंडिया रूपया निधि, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी., आई.सी.एस.आर., एस.एन्ड.टी मिशन मोड के सहयोग से अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य कर रहा है। अब तक, 50 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया गया है।

### 4.1 पूरी की गई अनुसंधान परियोजनाएँ

वर्ष 2005-06 के दौरान, निम्नलिखित 2 परियोजनाएँ पूरी की गईं।

#### 4.1.1 अति गंभीर मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बनाना

30 अगस्त, 2005 तक यह परियोजना समाप्त हुई। परियोजना के परिणाम स्वरूप में अतिगंभीर मानसिक मंद बच्चों के पयोजनमूलक मूल्यांकन चेकलिस्ट के लिए कार्यक्रम बनाना (एफ.ए.सी.पी.-एम.आर.), प्रशिक्षण पैकेज, बायो-बिहेवियोरल मूल्यांकन तथा विश्लेषण तथा अतिगंभीर मानसिक मंद बच्चों के लिए सेवा इकाई स्थापना पर पुस्तिका तैयार की गई।

#### 4.1.2 मानसिक मंद और आटीजम वाले बच्चों के लिए सेवा प्रतिमान पर परियोजना

30 अगस्त 2005 तक इस परियोजना को पूरा किया गया और प्रतिवेदन मुद्रण के लिए तैयार हैं। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप में विशेष शिक्षा केन्द्र में मानसिक मंद तथा ए.एस.डी. के लिए एक इकाई की स्थापना की गई। परियोजना के दौरान सफल पद्धतियाँ तथा कौशलों के शिक्षण के लिए अपनाया गया। यह इकाई एस.ई.सी. के विद्यार्थियों, संस्थान के सेवाओं में उपस्थित बच्चों, समाविष्ट विद्यालयों के बच्चों तथा ए.एस.डी. के अभिभावक समूहों एवं ए.एस.डी. वाले मानसिक मंद बच्चों के शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्यरत् है।

### 4.2 चालू अनुसंधान परियोजनाएँ

मार्च 2006 को समाप्त वर्ष में 12 अनुसंधान परियोजनाएँ चालू हैं, विवरण निम्नानुसार हैं।

#### 4.2.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण पर पुस्तिका का विकास

परियोजना के उद्देश्य के अनुसार, नवीनतम तथा अनुपारंपरिक क्रियाकलापों को पहचाना गया और मानसिक मंद व्यक्तियों के व्यावसायिक कुशलताओं को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया जिससे इन व्यक्तियों की रोजगारी बढ़ाया जा सके।

इस परियोजना के परिणाम निम्नानुसार है।

- व्यावसायिक मूल्यांकन के लिए संसाधन कक्ष
- अनुपारंपरिक व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिए अनुकरणीय ढांचा
- कार्य परिस्थितियों का पुनर्निर्माण के लिए अनुकूलन सामग्री
- बहु प्रयोजन इकट्ठा कार्यकलापों के लिए कार्य स्थान
- प्रकाशन (पैम्पलेट, विवरणीका, पोस्टर, क्रियाकलापों के सी.डी. तथा पुस्तिका)

#### **4.2.2 ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग शिशुओं तथा बच्चों की पारंभिक हस्तक्षेप**

यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के शिशुओं और बच्चों की आवश्यकताओं की विशिष्ट रूप से हस्तक्षेप पैकेज विकसित करने और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मैनुअल विकसित करने के लिए है जो व्यावसायिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने के लिए है। परियोजना के अंतिम निष्कर्ष में मास्टर प्रशिक्षकों के लिए मैनुअल विकसित होगी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, एन.आई.एम.एच. के प्रारंभिक हस्तक्षेप इकाई में सेवाओं से लाभान्वित क्लाइंटों का अध्ययन किया जा रहा है। इन क्लाइंटों का (270 मामले जिनमें 90 प्रत्येक विकलांगता क्षेत्र अर्थात्, मोटार, दृष्टि, श्रवण, के हैं) 12 महीनों तक अनुवर्ती किया गया तथा हस्तक्षेप का रिकार्ड किया गया है। वर्तमान में हस्तक्षेप पैकेज को अंतिम रूप देने का कार्य जारी है।

#### **4.2.3 मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों में उदासीनता का प्रबंधन के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार हस्तक्षेप का प्रभाव**

यह परियोजना मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों में उदासीनता का प्रभावी रूप से प्रबंध करने के लिए हस्तक्षेप पैकेज विकास के लिए आरंभ किया गया।

संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा पर विवरणीका का विकास किया गया जिसका पायलेट अध्ययन किया गया तथा अंतिम अध्ययन जारी है।

#### **4.2.4 मानसिक मंद व्यक्तियों में भावात्मक पहचान प्रशिक्षण**

इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक मंद व्यक्तियों में भावात्मकता को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करना है और मानसिक मंद व्यक्तियों को अन्यों की भावत्मकता पहचानने के लिए प्रशिक्षण माड्युल का विकास करना है ताकि उनका सामाजिक अनुकूलता बढ़ाया जा सके।

इस अध्ययन में भावात्मक पहचान मूल्यांकन साधन का विकास किया जाएगा जिसमें फोटो तथा आडियो विलिपिंग शामिल हैं। साधन का मानकीकरण कार्य किया गया है तथा प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जा रहा है।

#### 4.2.5 मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण

इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक मंद बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कमियों को पहचानना है और उनमें संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक कुशलताओं में प्रशिक्षण देना है। परियोजना के निष्कर्ष में मानसिक मंद बच्चों के लिए संज्ञानात्मक प्रशिक्षण पैकेज का विकास करना है।

अध्ययन के नमूने का बेसलाइन मूल्यांकन किया गया। हस्तक्षेप के लिए विकास की गई संज्ञानात्मक कुशलताओं का प्रारंभिक प्रयत्न किया जा रहा है।

#### 4.2.6 मानसिक मंद व्यक्तियों का विकलांगता प्रमाणपत्र हेतु बौद्धिक मूल्यांकन के लिए सरल साधन का विकास

इस अध्ययन का सर्वोपरि उद्देश्य यह है कि मानसिक मंद व्यक्तियों के संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए बौद्धिक मूल्यांकन साधन का मानकीकरण करना है। यह साधन सरल और तेजी से उपयोगलायक होना चाहिए जिससे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिमी क्षेत्रों में बहु-केन्द्रित अध्ययन करना है ताकि देश के सभी प्रांतों के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वता सुनिश्चित किया जा सके। दक्षिण के लिए हैदराबाद में, पूर्व के लिए कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिससे यह पाया गया कि वर्तमान देशज परीक्षणों का प्रयुक्त करते हुए मुख्यतः बुद्धि निर्माण आधारिक सरल साधन का विकास करना आवश्यक है।

#### 4.2.7 भारत में मानसिक मंदता का अनुसंधान - एक अध्ययन

यह अनुसंधान मानसिक मंदता के क्षेत्र में भारत में की गई अनुसंधान कार्य को इकट्ठा करने तथा लेख बनाने के लिए किया जा रहा है। अध्ययनों का संकलन तथा विश्लेषण कार्य जारी है।

#### 4.2.8 एडिप योजना के अंतर्गत डी.डी.आर.सी. हिताधिकारियों के लिए कम्प्युटर साफ्टवेयर।

इस परियोजना का उद्देश्य एन.आई.एम.एच. के अधीन कार्य कर रहे डी.डी.आर.सी. के हिताधिकारियों के डेमोग्राफिक विवरण, विकलांगता विवरण, मूल्यांकन विवरण तथा साधन व उपकरणों के वितरण सहित सेवाओं के विवरणों का प्रलेखन के लिए साफ्टवेयर पैकेज तैयार करना है।

#### 4.2.9 दृष्टि क्षति से ग्रस्त मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएँ

इस परियोजना का उद्देश्य, मानसिक मंद व्यक्तियों की दृष्टि कुशाग्र का परीक्षण के लिए समुचित साधन का विकास करना है, तथा कार्यात्मक मूल्यांकन के लिए समुचित चेकलिस्ट का विकास करना है और दृष्टि क्षति से ग्रस्त - कम दृष्टि या अंधापन, मानसिक मंद व्यक्ति के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण पैकेज का विकास करना है। साथ में व्यावसायिकों के प्रशिक्षण के लिए मैनुअल तैयार करना है जिसमें मानसिक मंद व्यक्तियों की दृष्टि की परीक्षण तथा दृष्टि क्षति से ग्रस्त मानसिक मंद व्यक्तियों के प्रशिक्षक परियोजना जारी है।

#### 4.2.10 भारत में विकलांगता की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान

इस परियोजना का उद्देश्य इन विषयों में जागरूकता का सृजन करना है : 1) समाज में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 पर जागरूकता, 2) आटीजम, प्रमस्तिष्ठक अंगधात, मानसिक मंदता तथा बहुविध विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु रथापित राष्ट्रीय न्यास पर जागरूकता ।

#### 4.2.11 मानसिक मंदता के क्षेत्र में उत्कृष्ट गैर सरकारी संगठनों का विश्लेषण

पाठ्यचर्चा, अवसंरचना, प्रशिक्षक की योग्यताएँ तथा निर्धारण पद्धति एवं अनुसंधान की मानकीकरण द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधन विकास व्यवस्थित किया गया है। यदि समानता, भेद-भाव न रहना, तथा समुदाय सहभागिता को सुनिश्चित करना हो, तो सेवाओं में गुणता का मूल्यांकन करना होगा। गुण सेवा प्राप्त करना विकलांग व्यक्ति का मूल अधिकार है। गुणता मापन के लिए संगठनों की उत्कृष्टता का गुणात्मक विश्लेषण करना एक मार्ग है इसी के दृष्टिगत, यह अध्ययन का लक्ष्य मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए कार्यरत् गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं में गुणता सूचक का विश्लेषण करना है।

वर्तमान में, संगठनों से संपर्क किया जा रहा है और इस परियोजना में प्रतिभागिता हेतु सभी संगठनों से सहमति ली जा रही है। गुणता संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य जारी है।

#### 4.2.12 मानसिक मंद व्यक्तियों में आर्थोपेडिक समस्याएँ तथा शाल्य चिकित्सा सहित भौतिकी प्रबंधन

यह परियोजना मानसिक मंद व्यक्तियों के अभिभावकों में आर्थोपेडिक समस्याओं, उसके शाल्य, आपरेशन के पूर्व, आपरेशन के पश्चात् की भौतिकी प्रबंधन के बारे में जागरूकता लाने की उद्देश्य से आरंभ किया गया। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 80 मामलों को लिया गया जिनके लिए मूल्यांकन तथा हस्तक्षेप का योजना बनाया गया। परियोजना के अंतिम परिणाम स्वरूप में पुस्तिका का विकास किया जाएगा जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में कार्यरत् व्यावसायिक के लिए उपयुक्त रहेगी।



## अध्याय -5

### राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के प्रकाशन

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा प्रकाशित मौलिक प्रकाशनों की संख्या मार्च 31, 2006 कुल मिलाकर 83 है जिसमें वर्ष 2005-06 के दौरान प्रकाशित एक नई प्रकाशन, अर्थात्, विकलांग बच्चों की शिक्षा की स्थिति थी। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान एन.आई.एम.एच. के प्रकाशनों की बिक्री व वितरण संबंधी विवरण निम्नानुसार है।

सारणी : एन.आई.एम.एच. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण		
क.	शीर्ष	संख्या
01	प्रकाशन (83 शीर्ष)	8813
02	वीडियो फिल्म (वी.एच.एस./ सी.डी. फार्मेट)	299
03	साप्टवेयर कार्यक्रम	74



# अध्याय -6

## सेवा प्रतिमान

### 6.1 सामान्य सेवाएँ

संस्थान, मामले का इतिहास, भौतिक व स्वास्थ्य परीक्षण, बौद्धिक और विकासीय मूल्यांकन, विशेष शिक्षा मूल्यांकन, रोगोपचार आवश्यकताओं का मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन और मौलिक बायोकेमिकल स्क्रीनिंग और परीक्षण का कार्य करता है। गृह आधारित प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम की योजना बनायी जाती है और कौशल प्रशिक्षण गृह प्रबंधन के लिए चिकित्सा कार्यक्रम संचालित करने जनकों को प्रदर्शन कराये जाते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान देखे गए कुल 3933 क्लाइंटों की तुलना में रिपोर्टार्डीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्र - मुम्बई, कोलकता तथा नई दिल्ली एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं सहित कुल 6139 क्लाइंटों को देखा गया था।



वर्ष 2005-06 के दौरान देखे गए नए क्लाइंटों का विवरण सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी : वर्ष 2005-06 के दौरान परीक्षण किये गये नये क्लाइंट			
	सेवा	2004-05	2005-06
1.	सामान्य सेवा	3933	6139*
2.	चिकित्सा सेवा	3752	3750
3.	प्रारंभिक हस्तक्षेप	672	821
4.	भौतिक चिकित्सा	703	1303
5.	बायो केमिस्ट्री	1727	1716
6.	वाणी व भाषा	1280	1751
7.	ईईजी	427	349
8.	ईएमजी	81	362
9.	बहु विकलांगता	82	457
10.	पौष्टिकता	178	161
11.	हाइड्रोथेरेपी	210	458
12.	विशेष शिक्षा	3567	3744
13.	पी.एम.आर.	14	35
14.	आटीजम तथा मा.वि.	89	113
15.	सेन्सरी	15	39
16.	सी.ए.आई.	22	509
17.	समूह क्रियाकलाप	297	205
18.	मोबाइल / एच.बी.टी.	—	595
19.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	2817	4494
20.	व्यवहार परिवर्तन	2157	2386
21.	अभिभावकीय परामर्श	3786	4524
22.	व्यावसायिक मूल्यांकन	534	502
23.	वर्कस्टेशन	272	186
24.	व्यावसायिक चिकित्सा	670	1052
25.	संसाधन कक्ष (दृष्टि पखरता)	1207	1220
26.	परिवार कुटीर	357	333

\*इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाएँ (1338) भी सम्मिलित हैं, विवरण अध्याय - 11 में दर्शाया गया।

## 6.2 विशेष सेवाएँ

कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन योजना द्वारा गृह आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करना ही विशेष सेवाओं का उद्देश्य है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए, परिवार कुटीर सुविधा प्रदान की जाती है। जहाँ कहीं जरूरी हो ग्राहकों को स्थानीय संस्थाओं से सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उचित रेफरल प्रदान किये जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में आवधिक परामर्श जारी रहता है। जनकों और परिवार के सदस्यों और समय-समय पर जनक प्रशिक्षण के संगठन को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए संस्थान द्वारा प्रकाशित फोल्डरों, पोस्टरों और पुस्तकों को नाम मात्र की लागत लेकर विशेष सेवाओं को पृष्ठ-समर्थन प्रदान किया जाता है। गत वर्ष 58,328 अनुवर्ती ग्राहकों को देखे जाने की तुलना में प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान विशेष सेवाओं के अंतर्गत 91,807 अनुवर्ती क्लाइंटों को देखा गया जिसके विवरण सारणी में दर्शाया गया।

### सारणी : वर्ष 2005-06 के दौरान देखे गये अनुवर्ती क्लाइंट

	सेवा	2004-05	2005-06
1.	चिकित्सा	9024	12514
2.	प्रारंभिक हस्तक्षेप	11171	13670
3.	भौतिक चिकित्सा	3463	5055
4.	वाणी, भाषा व श्रवण	3162	4746
5.	बहु विकलांगता	278	1313
6.	पौष्टिकता	179	151
7.	हाइड्रोथिरेपी	483	793
8.	विशेष शिक्षा	4590	8710
9.	पी.एम.आर.	234	536
10.	आटीजम तथा मा.मं.	750	816
11.	सेन्सरी	398	1033
12.	सी.ए.आई.	1673	3451
13.	समूह क्रियाकलाप	3809	4258
14.	मोबाइल / एच.बी.टी.	—	1984
15.	मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन	4586	5244
16.	व्यवहार परिवर्तन	4086	5125
17.	अभिभावक परामर्श	6326	9138
18.	व्यावसायिक मूल्यांकन	1671	485
19.	वर्कस्टेशन	5126	9286
20.	व्यावसायिक चिकित्सा	565	1884
21.	संसाधन कक्ष (दृष्टि प्रखरता)	76	465
22.	परिवार कुटीर	1297	1150
	कुल	58328	91807

#### 6.2.1 आयुर्विज्ञान सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत मामलों का सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा नैदानिक रोगनिर्धारण के लिए मूल्यांकन किया जाता है। आयुर्विज्ञान प्रबंध व्यक्तिगत तथा आवश्यकता पर आधारिक होता है और मिर्गी, हायपरकैनेटिक व्यवहार, पौष्टिकता संबंधी क्षतियाँ, संक्रामक रोग, हार्मोनल क्षतियाँ, मानसिक रुग्मता, आदि जैसे संबंधित स्थितियों पर सूचना एवं उपचार भी किया जाता है। कम आय वर्ग के परिवारों को मिर्गी, हायपरकैनेसिस तथा मानसिक रुग्मता के लिए दवाइयाँ मुफ्त दी जाती हैं।

### 6.2.2 प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ

0-3 वर्षों की आयु वर्ग के शिशुओं और बच्चों में विकासात्मक विलम्बता होती या विकासात्मक विलम्बता के जोखिम होते हैं, उनके लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएँ बच्चे के सर्वोपरि विकास के लिए निवारण, औषधिय, औपचारिक होते हैं। प्रदान की जा रही सेवाएँ, बच्चे पर केन्द्रित होते हैं तथा परिवार अभिमुखी होते हैं और बहुविषयी विशेषज्ञों के दल द्वारा प्रदान की जाती हैं। भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी तथा भाषा चिकित्सा, शिशु विकास, बालचिकित्सा तथा मनो-सामाजिक तथा परिवार हस्तक्षेपों में व्यक्तिगत हस्तक्षेप बच्चे को प्रदान किया जाता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं द्वारा अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा वर्ग चिकित्सा, खेल चिकित्सा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन तथा परामर्श भी दिया जाता है। समुचित रेफरल भी किया जाता है।



### 6.2.3 भौतिक चिकित्सा विज्ञान सेवाएँ

प्रमस्तिष्ठ आघात, असामान्य मोटार स्थितियाँ, चलन संबंधी अव्यवस्थाएँ, लोकोमोटार अपसामान्यता, कंजीनिटल अपसामान्यता, आदि जैसे चलन संबंधी समस्यावाले मानसिक मंद बच्चों के लिए इस इकाई में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात्, वैयक्तिक हस्तक्षेप दिया जाता है। चिकित्सीय हस्तक्षेप सारग्राही के होते हैं और व्यायाम, हाईड्रोथेरेपी, स्थितियों को तथा चलन अव्यवस्थाओं को सही बनाना, गेइट प्रशिक्षण तथा सर्वोपरि विकास को बढ़ाना, चलन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अनुकूलन, आदि शामिल हैं। जिन क्लाईंटों को सहायता साधन तथा उपकरण और दोषनिवारक शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है, तो उन्हें उचित एजेंसियों के पास भेजा जाता है।

### 6.2.4 बायोकेमिस्ट्री सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में आयुर्विज्ञान सेवाओं का बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला द्वारा समर्थन दिया जाता है। बायोकेमिकल जॉच (मेटाबालिक जॉच) मानसिक मंद बच्चों से संबंधित बायोकेमिकल या मेटाबालिक अव्यवस्थाओं

जैसे अमीनोएसिडपैथीस, ग्लैकोजेन स्टोरेज अव्यवस्थाएँ तथा म्यूकोपोलीसैकारिडोसेस, आदि की पहचान के लिए तथा सामान्य स्वास्थ्य की जाँच या भौतिकीय स्थिति देखने के लिए बायोकेमिकल परीक्षण किये जाते हैं। रोगनिर्धारण, उपचार, परामर्श तथा मानीटर करने के लिए यह सहायक होता है।

### 6.2.5 वाक् चिकित्सा-विज्ञान और श्रवण विज्ञान

वाक् तथा भाषा विकास में देरी मानसिक मंदन के लक्षणों में से एक है। बहुत सारे बच्चे भी भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रव्य-त्रुटियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। जिन रोगियों को सेवाओं की आवश्यकता होती है उनका विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। वाक् तथा भाषा मध्यस्थता पैकेज बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की जाती है। व्यावसायिकों की सलाह से घर पर ही हस्तक्षेप करने के लिए जनकों को मार्गदर्शन दिया जाता है।

### 6.2.6 एलेक्ट्रोएनसेफालोग्राम

एलेक्ट्रोएनसेफालोग्राम (ई.ई.जी.) दिमाग की फिजियालोजी समझने की मूल प्रक्रिया है। दिमाग के विभिन्न भागों की संरचना तथा कार्य में पैथालजी संबंधी परिवर्तनों को पहचनाने के लिए यह सहायक होता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मिर्गी के प्रकार तथा एपिलोप्टिक सिन्ड्रोम के रोगनिर्धारण किया जा सके। मानसिक मंद व्यक्ति में न्यूरोलोजी क्षतियाँ होती हैं उनके समाविष्ट निर्धारण के लिए ई.ई.जी. एक आवश्यक प्रक्रिया है। उपचार के प्रभाविता को मूल्यांकन करने के लिए भी ई.ई.जी. का उपयोग किया जाता है। मिर्गी की समस्या सामान्य लोगों (1%) की तुलना में मानसिक मंद लोगों (30%) में अधिक होता है।



### 6.2.7 एलेक्ट्रोमयेलोग्रफी (ई.एम.जी.)

एलेक्ट्रोमयेलोग्रफी (ई.एम.जी.) स्नायु शक्ति में विजली परिवर्तनों का रिकार्ड करता है। मानसिक मंद व्यक्तियों में संवेदी तथा गति संबंधी स्नायु की कार्यात्मकता की सूचना यह उपकरण देता है। रिफ्लेक्स मेकानिजम के बारे में यदि वह सही स्थिति में है या रुकावट है, जानने में सहायक होता है तथा स्नायु / स्पाइनल कार्ड/ दिमाग का कार्यात्मकता पहचान सकते हैं जिसके आधार पर कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इससे स्नायु को सचेत करने द्वारा विकित्सा दी जाती है। सेन्सरी मेकानिजम को दोहराने द्वारा यदि संवेदीग्राही का क्षति या कमी को पुनःलाने में सहायक होता है। यदि गति संबंधी स्नायु स्तरों में क्षति हो तो, मांसपेशी संकुची को वृद्धि किया जाता है और मांसपेशी संकुची को दोहराने से मांसपेशी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है जिससे जोड़ों की स्थिरता का विकास किया जा सकता है।



#### 6.2.8 बहु-विकलांगता एकक

मानसिक मंद बच्चों में श्रवण क्षति, दृष्टि क्षति और भौतिक क्षति जैसी अतिरिक्त समस्याएँ होने पर इस सेवा में उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहु-विषय ज्ञाता व्यावसायिकों के दल द्वारा उन्हें व्यापक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। हफ्ते के हर गुरुवार को विशेष चिकित्सालय में आर्थोपैडिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

#### 6.2.9 पौष्टिकता

एन.आई.एम.एच. में पंजीकृत सभी मामलों का उनके पौष्टिकता स्थिति देखने के लिए एन्थोपोमट्रिक मापनों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जिन मामलों में अपौष्टिकता पहचानी जाती है उन्हें समतुल आहार के बारे तथा इन बच्चों के पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सलाह दी जाती है।

#### 6.2.10 हाइड्रोथेरपी सेवाएँ

मानसिक मंद व्यक्तियों के इलाज में हाइड्रोथेरपी का विशेष लाभ है, विशेषकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो जोड़ों के दर्द, सूजनों, कड़ापन, माँसपेशी कमजोरी, अतिपेशीतानता (स्पैस्टीसिटी) आदि से भी पीड़ित हों। संस्थान ने मानसिक मंदन के साथ विभिन्न शारीरिक पीड़ाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को हाइड्रोथेरपी की सेवाएँ प्रदान करता है।

#### 6.2.11 विशेष शिक्षा सेवाएँ

मानसिक मंद बच्चों का स्वयं-सहायक कौशलों, सकल तथा सूक्ष्म मोटर कौशलों, कार्यात्मक पढ़ने-लिखने के कौशलों, समय, धन और उससे संबंधित ज्ञानात्मक कौशलों जैसे विभिन्न कौशल क्षेत्रों में वर्तमान कार्यात्मकता स्तर, का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की सभी स्थितियों, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने और आईईपी के कार्यान्वयन में जनकों को शामिल किया जाता है। भारतीय संदर्भ में विभिन्न अधिगम साधनों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सहायता पाप्त प्रशिक्षण माड्यूलों का उपयोग जरूरतमंद की विशेष शिक्षा सेवाओं की कुशलता को तीव्रगतिमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।



### 6.2.12 मनोरंजनम - अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष

यद्यपि वर्षों से मानसिक मंदन के रोगियों के लिए सेवा कार्यक्रम काफी बढ़ गया है, फिर भी बहुत कम संगठन अति गंभीर मानसिक मंदन के व्यक्तियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को अधिक विशेषज्ञ सेवाएँ और उन्हें प्रशिक्षित करने व्यावसायिकों की आवश्यकता होती है। इस वर्ग के मानसिक मंदन के व्यक्तियों को अपर्याप्त सेवाओं का कारण चलना-फिरना और परिवहन समस्या है। अति गंभीर मानसिक मंद वाले अधिकांश बच्चे शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त होते हैं, जिनमें से कुछ मानसिक मंदन के साथ मिर्गी के रोग के भी शिकार होते हैं। फिर भी अति गंभीर मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुसंधान अध्ययन से पता चलता है कि यदि उन्हें प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण दिया जाए तो वे भी कुछ मूल कुशलताओं को सीख पाते हैं। अन्यों पर आश्रितता कुछ सीमा तक कम हो जाती है। इस बात के मद्देनजर, संस्थान ने अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वर्ष के दौरान मनोरंजनम नामक सेवा सुविधा आरंभ की है।



### 6.2.13 आत्मविमोह और मानसिक मंदन

यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मविमोह से ग्रस्त 75% लोग मानसिक मंद होते हैं। मानसिक मंदन वाले बच्चों के स्कूलों में आत्मविमोह और मानसिक मंदन वाले बच्चे पाये जाते हैं, अतः यह आवश्यक है कि शून्य - अस्वीकृत हासिल करने के लिए उन्हें उचित शैक्षिक सेवाएँ प्रदान की जाएँ। इस बात को दृष्टि में रखकर आत्मविमोह और मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों के लिए अनन्य सेवाएँ शुरू की गयी हैं। परियोजना कर्मचारियों को आत्मविमोह का प्रबंध तथा प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान देने हेतु प्रशिक्षण दिया गया ताकि आई.ई.पी. तथा छोटे वर्ग अनुदेशन कार्यान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त, नियमित तथा विशेष स्कूलों के शिक्षकों को परामर्शी समर्थन दिया जाता है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में इन बच्चों को मानसिक मंदता तथा आत्मविमोह बच्चों के लिए सेवा प्रतिमान परियोजना के अंतर्गत सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, इन्हें विशेष स्कूलों में या नियमित स्कूलों में प्रवेश किया जाता है ताकि उन्हें वर्ग अनुभव भी मिल सके।



### 6.2.14 मानसिक मंदन और संवेदी क्षति

मानसिक मंदन के साथ-साथ दृष्टि और / या श्रवण क्षति से ग्रस्त बच्चों को वर्ग प्रशिक्षण की आवश्यकता के अतिरिक्त विशेष शिक्षा की भी जरूरत होती है। चूँकि उनमें दृष्टि और श्रवण की दोनों संवेदनाएँ क्षतिग्रस्त होती हैं, उन्हें दिये जाने वाला प्रशिक्षण पद्धतियाँ और सामग्रियों को अनुकूलनों की आवश्यकता होती है। इसे नजर में रखते हुए ऐसे बच्चों के लिए अनन्य सेवाएँ शुरू की गयीं। इन बच्चों को अपने कक्षा अनुभव के अलावा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रत्येक ध्यान दिया जाता है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय तरमीम किये गये थे। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप में, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा वाइस एन्ड विशन टास्क फोर्स के सहयोग से श्रवणांध के लिए एक मैनुअल विकास की गई।

### **6.2.15 संगणक सहायता प्राप्त अनुदेशन**

विशेष शिक्षा विभाग द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों के अनुरूप छः साफ्टवेयर पैकेजों का विकास किया है। इन पैकेजों के शीर्ष हैं - मेरा देश, समुदाय उपयोगिता, स्वारथ्य तथा सुरक्षा, सजीव तथा निर्जीव, लिटरसी, न्यूमरसी जिससे शैक्षिक अधिगम बढ़ता है। संस्थान में पंजीकृत व्यक्तियों को तथा विशेष स्कूल में आने वाले बच्चों को नियमित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि संगणक की ओर अनावरण हो सके तथा छोटे-छोटे अनुकूलन से साफ्टवेयरों का उपयोग कर सकें। मानसिक मंदता के साथ न्यूरोमोटार समस्या के कारण कम्प्युटर साफ्टवेयरों तथा हार्डवेयर पेरिफेरल्स का अनुकूलन किया गया ताकि मानसिक मंद बच्चें आसानी से उपयोग कर सकें।

### **6.2.16 समूह क्रियाकलाप**

संस्थान के विशेष शिक्षा केन्द्र में नियमित प्रवेश मिलने तक सामान्य सेवाओं में सेवा प्राप्त किये मानसिक मंद बच्चों को समूह क्रियाकलापों में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तीन भिन्न वर्ग आयु वाले बच्चों के लिए केन्द्र में दोपहर ये सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।



### **6.2.17 मनोवैज्ञानिक सेवाएँ**

एन.आई.एम.एच. में पंजीकृत व्यक्तियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें विभिन्न परीक्षणों के द्वारा मानसिक मंदता का स्तर पहचाने तथा हस्तक्षेप कार्यक्रम विकास करने के लिए विकासात्मक मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन तथा अनुकूल व्यवहार मूल्यांकन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिभावकों को दिया जाता है जिससे अभिभावक विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और सरकार द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले सुविधा एवं रियायतों का लाभ उठा सकते हैं।

### **6.2.18 व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ**

मानसिक मंद व्यक्ति जो आजौलंघन, सिर पीटने, अपने-आपको काटने, स्वयं को जख्मी करने, अत्यधिक रोने जैसे समस्यात्मक व्यवहारों से और अन्य विशाल भिन्न-भिन्न समस्यात्मक व्यवहार हों तो इस सेवा के अन्तर्गत उन्हें लिया जाता है। व्यवहार की आवृत्ति और गंभीरता ज्ञात करके विस्तृत मूल्यांकन के बाद, ऐसे व्यवहारों को प्रभावित करने वाले घटकों को मालूम करने कार्यात्मक विश्लेषण किया जाता है। लक्ष्य व्यवहारों के घटित होने की स्थिति में समुचित मध्यस्थताओं पर कार्यक्रम विकसित करके जनकों को अनुदेश दिये जाते हैं। प्रगति को बनाये रखने के लिए नियमित अंतरालों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

### 6.2.19 मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएँ

आभिभावकों में पाये जाने वाले भावात्मक विचारों के निपटान के पश्चात् मानसिक मंदन की प्रकृति को समझने और बच्चे के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को समझने का मार्गदर्शन दिया जाता है। परिवार व्यवस्था में बच्चे के सुव्यवस्थित विकास को प्रोन्त्रित करने हेतु पालकों की अपेक्षाओं को हिसाब में लिया जाता है। परिवार में मानसिक मंद बच्चे का साथ देने में जनकों की भावुकतापूर्ण समर्थ्याओं को भी सुलझाया जाता है।



### 6.2.20 व्यावसायिक प्रशिक्षण

मानसिक मंद व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने की सेवाओं के जरिए प्रोन्त्रित दी जाती है। मानसिक मंदन वाले प्रौढ़ों को आरंभ में जेनेरिक प्रशिक्षण और तत्पश्चात् नौकरी के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। नौकरी पर प्रशिक्षण एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के लिए भिन्न होता है, जो उस रोगी को उसके रहने के स्थान की बस्ती में उपलब्ध जॉब के अवसरों पर आधारित होता है। जिस स्थान पर काम स्थित है वहीं पर स्वतंत्र रूप से काम करने योग्य होने तक क्लाइंट को दीर्घकालीन समर्थन प्रदान किया जाता है।



### 6.2.21 मानसिक मंदनवाले व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वर्कस्टेशन

देश में मानसिक मंद लोगों के लिए विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले 1000 से अधिक संगठन हैं। ये संगठन 5-18 वर्षों के बीच की आयु वाले मानसिक मंदन व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं। स्कूली शिक्षा के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में से अधिकाँश परिरक्षा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इस कारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई निर्धारित व प्रणालीबद्ध नियमावली उपलब्ध नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने मानसिक मंद लोगों के लिए चरणबद्ध प्रशिक्षण

कार्यक्रम हेतु वर्कस्टेशन आरंभ किया है। मानसिक मंद व्यक्तियों के जेनेरिक कौशलों का मूल्यांकन करने के बाद ज्ञानात्मक, मोटर और सामाजिक क्रियाशीलता को प्रेरित करने प्रबंधन योजना बनायी जाएगी और उन्हें भिन्न-भिन्न वर्कस्टेशनों में रखा जाएगा। मानसिक मंद लोगों को आरंभ में विभिन्न कौशलों को विकसित करने विभिन्न क्रियाकलापों में प्रशिक्षित किया जाएगा। छह महीने के सफल प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षार्थी को खुले / समर्थित / स्व-समर्थित / परिरक्षित में रोजगार दिया जाएगा। प्रशिक्षण के समय पर ही नौकरियों की पहचान करने के प्रयास किये जाएँगे और जनकों को उनके बच्चों के लिए भावी नौकरियाँ तलाश करने प्रोत्साहित किया जाएगा।

#### 6.2.22 व्यावसायिक चिकित्सा

व्यावसायिक चिकित्सा इकाई मानसिक मंद बच्चे जिनमें संबंधित स्थितियाँ या अन्य व्यापक विकासात्मक अव्यवस्थाएँ होती हैं, उनके लिए सेवाएँ प्रदान करता है। इस सेवा में मुख्यतः निष्पादन अंग का विकास, विशिष्ट संवेदी, गति, संज्ञानात्मक कुशलताओं को बढ़ाने तथा स्वतंत्र जीवन गुजारने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। इस सेवा के लिए क्लाईंटों का विस्तृत निर्धारण किया जाता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप में विशिष्ट हस्तक्षेप कार्यक्रम बनाया जाता है। सहायक व अनुकूल साधनों जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें उचित केन्द्रों को संदर्भित किया जाता है। घर पर हस्तक्षेप कार्यक्रम जारी रखने के लिए देखभालकर्ताओं को आवश्यक मार्गदर्शन तथा समर्थन दिया जाता है।

#### 6.2.23 मानसिक मंद व्यक्तियों की दृष्टि प्रखरता के लिए संसाधन कक्ष

मानसिक मंदन सहित दृष्टि क्षति बहुत असामान्य बात नहीं है। परंतु दृष्टि क्षति के साथ मानसिक मंदन का होना रोगी के मूल्यांकन और प्रबंधन को और भी मुश्किल बना देता है। यह महसूस किया गया कि दृष्टि क्षति वाले मानसिक मंद व्यक्ति का यदि यदार्थ मूल्यांकन किया जाए तो उनकी क्षमताओं में सर्वोत्कृष्टता को बाहर लाने में योगदान देता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस बहुविकलांगता के कारण उनकी प्रवृत्तियों और साथ ही साथ उनकी अपनी सीमाओं को जानना पड़ता है। इस बात को नजर में रखकर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए दृष्टि क्षति होने पर उनके लिए एक संसाधन सुविधा आरंभ की गयी ताकि मानसिक मंदन वाले व्यक्तियों की दृष्टि विकलांगता के उचित मूल्यांकन तथा प्रबंधन के लिए बेहतर योजना बनाई जा सके।



### 6.2.24 परिवार कुटीर सेवाएँ

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में दूर दराज स्थानों से आने वाले परिवारों के लिए परिवार कुटीर सेवा उपलब्ध है। परिवार दो सप्ताहों तक यहाँ रुककर व्यावसायिक सेवाएँ तथा प्रशिक्षण पाप्त करने के साथ ही कौशल प्रशिक्षण, व्यक्तिगत परिवार परामर्श समस्या व्यवहारों का प्रबंधन, वाक्-भाषा चिकित्सा, स्वास्थ्य सलाह, भौतिक चिकित्सा, मनोरंजक क्रियाकलाप और आवश्यक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कुटीर अभिभावकों को उनके दैनंदिन जीवन से दूर होकर बच्चे की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं।



### 6.2.25 आनुवंशिकी-विज्ञान विकित्सालय

भावी संतान में आनुवंशिकी या जन्म-दोषों के घटन की संभावनाओं के संबंध में विशेषज्ञ सलाह माँगने वाले जनकों को आनुवंशिकी परामर्शदात्री सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। बायोकेमिकल, क्रोमोसोमल और साइटोजेनेटिक जाँचों के लिए क्लाईंटों को सहयोगी संस्थानों जैसे हैंदराबाद में स्थित आनुवंशिकी विज्ञान संस्थान, सी.डी.एफ.डी. तथा सेन्टर फार सेल्युलर एन्ड मालिक्युलर बायोलोजी को भेजा जाता है। स्वास्थ्य तथा आनुवंशिकी-विज्ञान विशेषज्ञगण का दल परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

### 6.2.26 धीमी गति से सीखने वालों के लिए संसाधन कक्ष

सीमान्त बौद्धिकता और हल्के मानसिक मंदन ग्रस्त अधिकाँश विद्यार्थी नियमित स्कूलों में ही अध्ययन करते हैं, फिर भी, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा जो वर्तमान समय में विशेष स्कूलों में नहीं दी जा रही है, के अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। इस खाई को पाठने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष आरंभ किया है जहाँ ऐसे बच्चों को, उनके स्कूली समय के अलावा अतिरिक्त समर्थन मिलता है। संसाधन कक्ष का शिक्षक भी नियमित क्लासटीचर के समन्वयन से कार्य करता है ताकि प्रशिक्षण में निरन्तरता बनी रहे। यु.एन.डी.पी. के आर्थिक सहायता से, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों के शिक्षा का समर्थन हेतु परियोजना दल द्वारा एक संसाधन मैनुअल विकास की गई।

### 6.2.27 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की परीक्षा के लिए मुक्त मौलिक शिक्षा के लिए संसाधन कक्ष

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान ने देश भर के सुप्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से दूरगामी शिक्षण पद्धति के द्वारा खुला मूल शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया। अल्प मानसिक मंदन और हाशियागत बौद्धिकतावाले बहुत सारे बच्चों के लिए सही शिक्षा सुविधा नहीं है क्योंकि वे विशेष स्कूल पाणी और नियमित शिक्षा के उपयुक्त नहीं होते। ये बच्चे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के मुक्त मौलिक शिक्षा कार्यक्रम से लाभ उठा पाएँगे क्योंकि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान में

सरलीकृत चरणबद्ध सीखने की प्रणाली है। इससे विशेष स्कूल तथा नियमित स्कूल के बीच के अन्तर को पाटने में भी मदद मिलेगी। इस बात के महेनजर, वर्ष 2002-03 के दौरान संस्थान ने हाशियागत बौद्धिकता वाले और अल्प मानसिक मंदनवाले बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु संसाधन कक्ष आरंभ किया, जिससे कि वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा के खुला मौलिक शिक्षा कार्यक्रम में परीक्षा देकर अपने-आपको अर्हता प्राप्त बना सकें।

#### **6.2.28 हैदराबाद और सिकन्दराबाद के पहुँच के बाहर के क्षेत्रों में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए मोबाइल सेवा।**

नगरद्वय में रहने वाले तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में पंजीकृत क्लाइंट अनुवर्ती सेवाओं के लिए या तो वित्तीय समस्याओं या आने-जाने की समस्याओं के कारण नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। इसके अलावा, मानसिक मंद के कुछ लोग सुविधाओं का लाभ उठाने की जानकारी के अभाव में सेवाएँ प्राप्त कर नहीं पाते। ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हें सेवाएँ प्रदान करने के लिए संस्थान ने हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद नगरद्वय के अतराफ चलती-फिरती सेवा आरंभ की है। चलती-फिरती (मोबाइल) सेवाओं के अंतर्गत संस्थान की गाड़ी विशेष शिक्षक को लेकर सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न बस्तियों में जाकर उस क्षेत्र में रहनेवाले मानसिक मंद की सेवा करेगी। बस में टी.एल.एम की सुविधा है और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक जगह भी है।

### **6.3 अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को, देखभाल, प्रबंधन तथा प्रशिक्षण में सम्मिलित करना और अभिभावकों के बीच आपसी समर्थन को प्रोत्साहन देना तथा सूचना आदान प्रदान करना है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान कुल 163 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 3353 अभिभावक (संस्थान द्वारा मास्टर प्रशिक्षकों के लिए अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आयोजित अल्पकालीन पाठ्यक्रम सहित) लाभान्वित हुए।

## अध्याय -7

### विशेष शिक्षा केन्द्र

संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेष शिक्षा केन्द्र (एस.ई.सी.) प्रयोगशाला के रूप में सेवा प्रदान करता है। संस्थान द्वारा विशेष शिक्षा संबंधी कई दीर्घकालीन पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे प्रारंभिक बालवस्था में विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा में बी.एड., विशेष शिक्षा में एम.एड. इसके अतिरिक्त, कई सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों का तथा अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सभी पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक कक्षाएँ काफी मात्रा में रहते हैं जिसके लिए प्रयोगशाला रहना अत्यंत आवश्यक है। सेवा-पूर्वी तथा सेवा कालीन प्रशिक्षणार्थियों के लिए ऐसी प्रायोगिक अनावरण के लिए विशेष शिक्षा केन्द्र एक प्रयोगशाला के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।

केन्द्र में 3 से 18 वर्ष के आयु वाले 100 बच्चों को प्रवेश दिया गया है जिसमें सामान्य से अतिगंभीर मानसिक मंद बच्चे रहते हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त विकलांगताएँ जैसे, आटीजम, सेन्सरी इम्प्रेयरमेंट वाले बच्चों के शिक्षा के लिए अलग इकाई रखी गयी ताकि सभी स्तर के मानसिक मंद बच्चों को विशेष शिक्षा केन्द्र में प्रशिक्षण दिया जा सके और प्रशिक्षणार्थियों को इन सभी बच्चों के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सके।

- वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्र में 106 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया गया।
- कक्षा-वार अभिभावक-शिक्षक बैठकें अवैधिक रूप से आयोजित की गयी।
- वर्ष के दौरान नगरद्वय के पाँच स्थानों में मोबाइल सेवाएँ प्रदान की गई।



- 2-31 मई, 2005 को आयोजित ग्रीष्म शिविर में 836 बच्चे भाग लिये।
- एस.ई.सी. के 19 विद्यार्थी ए.पी. राज्य स्तरीय विशेष ओलम्पिक खेल-कूद में भाग लिये जो गच्छबाजली स्टेडियम, हैदराबाद में आयोजित किया गया तथा 17 पुरस्कार प्राप्त किये।
- संस्थान के एक विशेष शिक्षा शिक्षक ने 20-22 सितम्बर, 2005 को नागपुर में आयोजित विशेष ओलम्पिक स्ट्रैटजिक ग्रोथ सम्मेलन में भाग लिया।
- संस्थान के एक विशेष शिक्षा शिक्षक ने 10-21 अक्टूबर, 2005 को स्पेशल ओलम्पिक्स भारत द्वारा आयोजित इन्टर्नेशनल कोचिंग कैम्प तथा राष्ट्रीय फैनल्स बैठक में भाग लिया।
- एन.आई.एम.एच. के 8 विद्यार्थी (3 विशेष कर्मचारी, 3 डेयिल विद्यार्थी तथा 2 एस.ई.सी. विद्यार्थियों) ने जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया और कनिष्ठ टीम को लिए द्वितीय स्थान तथा वरिष्ठ टीम को तृतीय स्थान मिला।
- संत एन्ड्रेयस स्कूल, बोवनपल्ली, सिकंदराबाद में 30 नवम्बर, 2005 को आयोजित गेट - टुगेदर में विशेष शिक्षा केन्द्र के बच्चे सहभाग लिये।
- एस.ई.सी. के 8 विद्यार्थी तथा डेयिल के 5 विद्यार्थी ने 12-14 दिसम्बर, 2005 को चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया और स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया।

### राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

एन.आई.एम.एच. द्वारा अधिगम समस्या वाले बच्चे तथा मानसिक मंदन वाले प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएँ चलाई। वर्ष 2005-06 के दौरान 27 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए।



## अध्याय -8

# एन.आई.एम.एच. माडल विशेष शिक्षा केन्द्र (एम.एस.ई.सी.) नई दिल्ली

वर्ष के दौरान, माडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्र में सेवा कियाकलाप, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अंतर स्कूल स्पर्धाओं सहित कई कार्यकलापों का आयोजन किया है।

- एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. के दो भूत पूर्व विद्यार्थी श्री नीरज खट्टर तथा श्री राजेश कपूर को 3 दिसम्बर, 2005 को विश्व दिवस के दौरान उत्तम कर्मचारी के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।
- स्कूल के उपस्थिति पंजी पर 98 बच्चे थे जिनमें से 5 छात्रावास थे और 93 अनावासीय विद्यार्थी थे।
- वर्ष के दौरान एन.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. का 360 व्यक्तियों ने दौरा किया।



### सेवा क्रियाकलाप

क्र.	नाम	अवधि
1.	गृह आधारित सुविधा	289
2.	व्यवहार परिवर्तन	100
3.	मार्गदर्शन एवं परामर्श	80

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान एम.एस.ई.सी. द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

क्र.	नाम	अवधि	सहभागियों की संख्या
1.	इंटरमीडियेट विद्यार्थियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	1 दिन	33
2.	देखभाल कर्मचारियों के लिए मानसिक मंदता पर अभिमुखी कार्यक्रम	1 दिन	14
3.	एच.आई.वी. / ईड्स पर भाषण	1 दिन	28
4.	लैंगिकता तथा मानसिक मंदन	1 दिन	30
5.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 दिन	22
6.	डेकोरेटिव कैंडल तैयार करना तथा पैक करने पर शिक्षकों के लिए कार्यक्रम	2 दिन	12
7.	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार	5 दिन	9
8.	अधिगम विकलांगता	1 दिन	20
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार में हाल ही के प्रवृत्तियाँ तथा तकनीक	1 दिन	20
10.	शिक्षण अधिगम सामग्री	1 दिन	20



### अन्य कार्यक्रम:

- वेरी स्पेशल आर्ट्स् आफ इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक संगीत बैठक में एम.एस.ई.सी. विद्यार्थियों के दल ने भाग लिया और सोलो कैटगरी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।
- कर्मचारी तथा विद्यार्थियों ने मिलकर खतंत्रता दिवस स्कूल में मनाया जिसके दौरान झंडा फहराया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- वेरी स्पेशल आर्ट्स् द्वारा आयोजित नाटक प्रतियोगिता में एम.एस.ई.सी. के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- हैदराबाद में अक्टूबर, 2005 के दौरान आयोजित बाक्से टीम में एम.एस.ई.सी. के दो विद्यार्थियों ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय खेल-कूद 2005 में भाग लिया।
- एम.एस.ई.सी. ने 14 सितम्बर, 2005 को हिन्दी दिवस मनाया।



# अध्याय -9

## परामर्शी तथा तकनीकी समर्थन

### 9.1 भारतीय पुनर्वास परिषद्

विभिन्न पाठ्यक्रमों के विकास तथा मूल्यांकन के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् की बैठकों में संस्थान के कर्मचारी सदस्यों ने भाग लिया। संस्थान कर्मचारियों ने भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया।

### 9.2 भारत सरकार से सहायता - अनुदान प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के आवेदनों की तकनीकी मूल्यांकन

इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई की प्रोत्तरि हेतु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देश के गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देता है। मंत्रालय के अनुरोध पर संस्थान ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तकनीकी मूल्यांकन का कार्य अपने हाथों में लिया है। प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा 30 गैर सरकारी संगठनों का तकनीकी मूल्यांकन किया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

### 9.3 विशेष रोजगार कक्ष

वर्ष 2005-2006 के दौरान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान में स्थापित विशेष रोजगार कक्ष में 11 विकलांग व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया।

### 9.4 पल्स पोलियो टीका

राष्ट्रीय गहन पल्स पोलियो कार्यक्रम के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के स्टाफ ने अपने मुख्यालय में 0-5 वर्ष के बच्चों को टीके देने के लिए कार्यक्रम का संचालन किया जिसमें 1,111 बच्चों को दवाई दी गई।



# अध्याय -10

## प्रलेखीकरण और प्रचार

संस्थान मानसिक मंद के क्षेत्र और तत्संबंधी विषयों के क्षेत्रों से संबंधित पर्याप्त पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से पूरी तरह लैस है। संस्थान जर्नल लेखों की छाया प्रतियों की आपूर्ति, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा प्रकाशित सामग्रियों, विडियो कैसेटों और फ्लापियों का वितरण, नेमीपुस्तकलाय सेवाओं, अध्ययन सूचियों व समाचार पत्रों के क्लिपिंगों और इंटरनेट द्वारा सूचना सेवाएँ प्रदान करता है।

संस्थान त्रैमासिक समाचार पत्र, मेन्टार्ड नामक द्वैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन करके बड़ी संख्या में मानसिक मंदन से संबंधित व्यावसायिकों, संगठनों, अभिभावकों व अन्यों को वितरण करता है। एन.आई.एम.एच. समाचार पत्र मानसिक मंदन के क्षेत्र में कार्यरत् स्वैच्छिक संगठनों, अभिभावक संगठनों, माननीय सांसदों, विश्वविद्यालयों, राज्य कल्याण निदेशालयों तथा अन्य सरकारी विभागों को भेजी जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान प्रलेखीकरण तथा प्रचार के अंतर्गत क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं।

### प्रकाशन तथा सामग्री विकास

क.	शीर्ष	संख्या
बिक्री / वितरण		
1.	एन.आई.एम.एच. समाचार पत्र	2900
2.	मेन्टार्ड बुलेटिन	1800

### अन्य क्रियाकलाप

1.	नई पुस्तकों की खरीद	313
2.	चुनिंदा विषय-सूची	24
3.	कंटेंट एलट्सर्	49
4.	समाचार पत्र क्लिपिंग्स्	215
5.	समीक्षित जर्नल	118
6.	निर्गम पुस्तक	4263
7.	परामर्श की गई पुस्तक	95888
8.	पुस्तकालय को आगंतुक	22500
9.	छायाप्रतियाँ	147437
10.	पुस्तकों का डिजिटीकरण	33

## 10.1 जन जागरूकता

संस्थान ने पोस्टरों के मुद्रण, सूचना सामग्री का प्रकाशन, विकलांगताओं की पहचान करने मूल कार्यकर्ताओं के लिए फ़िलप चार्टों की तैयारी जैसे जनजागरूकता कार्यक्रमों के संचालन को जारी रखा है।

### 10.1.1 जागरूकता कार्यक्रम

यह सर्वमान्य तथ्य है कि यदि युवा मनों में जागरूकता पैदा की जाए तो विकलांगता और पुनर्वास को समझने में उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और युवा वर्ग विकलांग व्यक्तियों के साथ सहानुभूति जता सकेंगे। इसका समाज पर दीर्घकालीन पभाव पड़ेगा। पुनर्निवेशन ने संकेत दिया है कि विकलांगता और पुनर्वास के प्रति युवाओं के मन में सकारात्मक विचारधारा पैदा की गई है। वर्ष 2005-06 के दौरान संस्थान द्वारा 76 जागरूकता कार्यक्रमों का 9427 लाभदायकों को अवरित करते हुए आयोजन किया गया।



## 10.2 डिजिटाइजेशन

एन.आई.एम.एच. के सभी हिन्दी व अंग्रेजी पकाशनों को डिजिटाइज किया गया ताकि सभी अधिकारी व विद्यार्थियों को लैन पर उपलब्ध किया जा सके। वर्ष 2005-06 के दौरान 33 पुस्तकों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हुआ जबकि अन्य पुस्तकों का डिजिटाइजेशन कार्य जारी है।

# अध्याय -11

## विस्तारण तथा आउटरीच कार्यक्रम

### 11.1 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

- ज़रूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण और यंत्रों का निर्माण और संयोजन करना तथा ए.डी.आई.पी. योजना के जरिये उनका वितरण करना।
- विकलांग व्यक्तियों को सूचना सेवाएँ प्रदान करना
- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में लगे कार्मिकों के लिए सेवाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और सेवाओं के सी.बी.आर. मोड को प्रोत्तत करना है।

#### 11.1.1 केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

- विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं का विस्तृत मूल्यांकन तथा निर्धारण निम्न क्षेत्रों में किया जाता है।
  - आर्थोटिक / प्रारूपेटिक साधनों का फैब्रिकेशन
  - श्रवण मूल्यांकन और श्रवण साधन
  - वाक्-भाषा सेवाएँ
  - भौतिक चिकित्सा - विज्ञान
  - व्यावसायिक चिकित्सीय सेवाएँ
  - स्वास्थ्य सेवाएँ, विकलांगता प्रमाण पत्रों को जारी करना
  - विशेष शिक्षा
  - व्यावसायिक प्रशिक्षण
  - परामर्शी सेवाएँ
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुविधाओं की सूचना
- जहाँ कहीं आवश्यक हो, रेफरल सेवाओं पर सूचना
- साधनों और उपकरणों का विनिर्माण, ट्रायल फिटमेंट, अंतिम फिटमेंट तथा प्रशिक्षण



**वर्ष 2005-06 के दौरान नए क्लाईंट तथा अनुवर्ती सेवाएँ और  
वितरित सहायक उपकरणों का विवरण**

विकलांगता	नए क्लाईंट	अनुवर्ती क्लाईंट	एडिप योजना के अंतर्गत वितरित सहायक उपकरण
लोकोमोटार	15184	16368	3855
मानसिक मंदता	2675	9875	394
श्रवण क्षति	5277	9603	2254
दृष्टि क्षति	3638	4189	1687
अन्य	1013	8449	80
<b>कुल</b>	<b>27787</b>	<b>48484</b>	<b>8270</b>

**वर्ष 2005-06 के दौरान एडिप योजना पर खर्च का विवरण**

1.	साधन व उपकरणों का वितरण	रु.
	क) लोकोमोटर विकलांगता	12119593
	ख) दृष्टि क्षति	144429
	ग) श्रवण क्षति	196836
	घ) मानसिक मंदन	—
2.	शिविरों का आयोजन	14155900
	<b>कुल (1+2)</b>	<b>28416758</b>

### 11.1.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान डी.डी.आर.सी. में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम सारणी में दर्शाया गया है।

**वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण**

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या
आधारिक स्तर कार्यकर्ता, शिक्षकगण तथा अन्य	102	8298
अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	54	1053
विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम	25	2797
<b>कुल</b>	<b>181</b>	<b>12148</b>

### 11.1.3 शिविर

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान, संरथान द्वारा 25192 विकलांग व्यक्तियों को आवरित करते हुए 333 शिविरों (जांच व फालो अप) का संचालन किया गया।

### 11.1.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान 2797 विकलांग व्यक्तियों के लिए 25 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन डी.डी.आर.सी. यों द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक कुशलताएँ तथा सामाजिक समेकता प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया।

## 11.2 उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कार्यक्रम

उत्तर पूर्वी प्रांतों में सेवाएँ बढ़ाने के लिए एन.आई.एम.एच. कार्यक्रमों व क्रियकलापों का आयोजन निरंतर रूप से कर रहा है। संरथान ने क्रियाकलाप पुस्तकों, मैनुअल, फ़िलपचार्ट, फोल्डर तथा पोस्टरों का मुद्रण किया जो कि शिक्षक, व्यावसायिक, अभिभावक तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए उपयुक्त होगा और ये सभी प्रकाशन सभी राज्यों को मुफ्त वितरित किये गये। स्थानीय सरकारी संगठन व गैर सरकारी संगठनों के परामर्श से प्रकाशनों का निरंतर वितरण किया जा रहा है। एन.आई.एम.एच. के 16 प्रकाशनों का अनुवाद व मुद्रण कार्य जारी है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वितरित किये जाएंगे।

संरथान के अधिकारियों व विद्यार्थियों के एक दल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के असम, सिलचर, शिलांग, जोरहत, सिक्किम, मिजोरम का 20 मार्च से 31 मार्च, 2006 तक दौरा किया।

उपरोक्त प्रांतों में किये गये कार्य निम्नानुसार हैं :

- विकलांगता पुनर्वास के व्यावसायिकों को मानसिक मंदन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण
- पुनर्वास मनोविज्ञान, परामर्श कुशलताएँ तथा व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- वाणी चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा तथा प्रारंभिक हस्तक्षेप संबंधी चिकित्सा सेवाएँ
- हाइस्कूल तथा कालेज विद्यार्थियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम
- अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम



प्रशिक्षण व सेवाओं द्वारा लाभान्वित सहभागियों का विवरण निम्नप्रकार है -

क्र.	कार्यक्रम	संख्या	सहभागी / हिताधिकारियों की संख्या	कुल
I	प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1	प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	795	4075
2	व्यावसायिकों के लिए मानसिक मंदन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11	1150	
3	पुनर्वास मनोविज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	150	
4	परामर्शी कुशलताओं पर पशिक्षण कार्यक्रम	5	730	
5	व्यवहार परिवर्तन पर पशिक्षण कार्यक्रम	4	610	
6	सी.बी.आर. तथा अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पशिक्षण कार्यक्रम	4	640	
		32	4075	
II	हाइस्कूल तथा कालेज विद्यार्थियों के लिए अभिमुखी कार्यक्रम	12	3635	3635
III	अभिभावक पशिक्षण कार्यक्रम	9	444	444
	कुल	53	8154	8154
IV	शिविरों में नैदानिक सेवाएँ			
1	विकलांगता प्रमाणीकरण के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन		400	
2	चिकित्सीय हस्तक्षेप		120	1338
3	व्यवहार परिवर्तन सेवाएँ		250	
4	परामर्शी सेवाएँ		568	
	कुल	6 शिविर	1338	1338
	कुल योग	59	9492	9492

### 11.3 जम्मू व कश्मीर में भूकंप बाधितार्थ के लिए पुनर्वास सेवाएँ

संरथन के विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत, 21-29 अक्टूबर, 2005 के दौरान भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए जम्मू व कश्मीर के उरी, बारामुल्ला, बुनयार, तंगदार, स्लामाबाद में पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की गई। पोस्ट ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसार्डर क्लाइन्टेल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिमुखी कार्यक्रमों द्वारा कार्यक्रम चलाये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम व सेवाओं द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है।

	कार्यक्रम	साधारण जनता	व्यावसायिक (विकलांगता/ चिकित्सा / शिक्षण)	विद्यार्थी	कुल
1.0	सेवाएँ				
1.1	पीटीएसडी क्लाइंटेल के लिए साइकोलोजिकल काउन्सेलिंग	120	165 शिक्षक	1130	1415
1.2	चिकित्सा हस्तक्षेप	100			100
2.0	प्रशिक्षण				
2.1	पी.टी.एस.डी., परामर्श कुशलताएँ, व्यवहार परिवर्तन तथा विकलांगता प्रबंधन पर व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण		254 शिक्षक 60 संकाय 46 विकलांगता क्षेत्र के व्यावसायिक 100 चिकित्सक	580	1040
2.2	जागरूकता तथा अभिमुखी कार्यक्रम		210 शिक्षक 65 संकाय 90 चिकित्सा	690	1055
	कुल	220	990	2400	3610





#### **11.4 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट (इनटर्नशिप):**

विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, एन.आई.एम.एच. अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को उनके मास्टर स्तरीय कार्यक्रमों के इनटर्नशिप के लिए प्लेसमेंट करता है। वर्ष 2005-06 के दौरान 12 विभिन्न संस्थानों से आये हुए 30 विद्यार्थियों को एन.आई.एम.एच. के विभिन्न विभागों में प्लेसमेंट दिया गया।

#### **11.5 समुदाय आधारित कार्यक्रम:**

एन.आई.एम.एच. द्वारा निम्नलिखित समुदाय पुनर्वास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम	संख्या	लाभान्वित की संख्या
आधारिक कार्यकर्ता / शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण	31	463
जागरूकता कार्यक्रम	11	2967
अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	115

# अध्याय -12

## संशिलष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल

सी.आर.सी. के लक्ष्य निम्न पकार हैं :

- ◆ समुदाय में जागरूकता सृजन के लिए सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रम
- ◆ समुदाय आधारिक पुनर्वास के सिद्धांतों के अनुरूप जिला प्रशासन तथा गैर-सरकारी संगठनों से लिंकेज की स्थापना
- ◆ पहचान, मूल्यांकन तथा सेवा प्रावधानों के लिए मौजूदा आयुर्विज्ञान, शैक्षणिक तथा रोजगारी सेवाओं से लिंकेज की स्थापना
- ◆ गैर सरकारी संगठनों, अभिभावक समूह तथा स्वयं सहायक समूहों को प्रोत्साहन तथा समर्थन द्वारा सेवाओं को बढ़ाना
- ◆ मानव संसाधन विकास कार्य करना
- ◆ क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृति पृष्ठभूमि के अनुरूप पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए कौशलों का विकास करना
- ◆ सहायक उपकरण तथा शिक्षा सामग्री की रूप रेखा बनाना, फैब्रिकेशन तथा फिटमेंट करना
- ◆ विशेष शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएँ प्रदान करना
- ◆ विकलांगता तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना

विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्मित अनावरोध तथा विकलांग-अनुकूली भवन को केन्द्र ने अपना स्थान बदल दिया। तीन खेल-कूद क्षेत्र, अर्थात्, सेन्सरी पार्क, बच्चों के खेल मैदान तथा सिमुलेटेड विलेज मैदान का निर्माण इस नए स्थान पर निर्माण किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा उपलब्ध किये जाने वाली सेवाएँ निम्नप्रकार हैं :

- ◆ प्रारंभिक हस्तक्षेप
- ◆ भौतिक चिकित्सा
- ◆ व्यावसायिक चिकित्सा, ए.डी.एल.प्रशिक्षण
- ◆ वाणी चिकित्सा तथा श्रवण मूल्यांकन
- ◆ मानोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा व्यावहार प्रबंधन
- ◆ विशेष शिक्षा मूल्यांकन तथा व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम

- ◆ व्यावसायिक मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन
- ◆ अभिमुखी तथा मोबिलिटी प्रशिक्षण
- ◆ सहायक उपकरणों का वितरण
- ◆ विशेष शिक्षा मूल्यांकन (मानसिक मंदन)

**सारणी-I :** वर्ष 2005-06 के दौरान जनवरी 2006 तक सी.आर.सी. द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का विवरण

वर्ग	कुल नये क्लाईंट	अनुवर्ती सेवाएँ
लोकोमोटर विकलांगता	1376	1580
मानसिक मंदन	444	971
श्रवण क्षति	626	705
दृष्टि क्षति	498	348
अन्य	107	662
<b>कुल</b>	<b>3051</b>	<b>4266</b>

**सारणी - II :** सी.आर.सी द्वारा 2005-06 के दौरान वितरित सहायक उपकरण

वर्ग	कुल क्लाईंट
लोकोमोटर अक्षमता	535
मानसिक विकलांगता	36
श्रवण क्षति	103
दृष्टि क्षति	57
<b>कुल</b>	<b>731</b>

# अध्याय -13

## प्रशासन

### 13.1 स्टाफ की संख्या और आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, कार्मिक, जन शिकायतें तथा पेंशन विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापन (रेस) दिनांक 02.07.1997 में निहित, पद आधारित रोस्टर को अंगीकार करके पालन किया गया।

31 मार्च, 2006 को स्थित पदों की कुल संख्या और दिए गये आरक्षण नीचे दिये हैं:

एन.आई.एम.एच. तथा क्षेत्रीय केन्द्र			भरे गये पदों की संख्या		
वर्ग	स्वीकृत संख्या	भरे गये	अ.जा.(%)	अ.ज.जा.(%)	अ.पि.व (%)
क	26 + 26*	23	3(13.04)	1(4.34)	4(17.39)
ख	10	10	0	1(10)	0
ग	57	54	6(11.11)	5(9.26)	5(9.26)
घ	14	13	2(15.38)	0	0
कुल	133	100	11	7	7

एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., दिल्ली

क	1	1	0	0	0
ख	1	1	0	0	0
ग	22	22	4(18.18)	1(4.54)	1(4.54)
घ	9	5	5(100.0)	0	0
कुल	33	28	9	1	1

\*26 पदों का मार्च 2005 में सृजन किया गया और इन पदों की भर्ती के लिए कार्यवाही की जा रही है।

### 13.2 राजभाषा का कार्यान्वयन

संस्थान ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा संघ के सरकारी कामकाज के लिए वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर प्रयास किया।

राजभाषा अधिनियम के धारा 3(3) के अनुसार सभी आवश्यक कागजातों का हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये गये और हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में दिया गया। संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के सभी प्रश्नपत्र द्विभाषी रूप में तैयार किये गये तथा परीक्षार्थियों को उत्तर हिन्दी में भी लिखने का विकल्प दिया गया।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्तरि देने के लिए, हिन्दी पखवाड़ा 1 से 14 सितम्बर, 2005 तक मनाया गया। इस पखवाडे के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे, निबंध लेखन, कविता लेखन, नारे लेखन, अनुवाद, हिन्दी श्रुतलेख, आदि का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 16 सितम्बर, 2005 को आयोजित हिन्दी दिवस समारोह के दौरान पुरस्कार प्रदान किये गये। सरकारी कामकाज में 10,000 से अधिक हिन्दी शब्द लिखने के लिए भारत सरकार के नियमानुसार एक कर्मचारी सदस्य को नकद पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के समाचार पत्र में हिन्दी लेख भी शामिल किये गये।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के चार बैठकें 22 जून, 2005, 28 सितम्बर, 2005, 29 दिसम्बर, 2005 तथा 23 मार्च, 2006 को सम्पन्न हुई। वर्ष के अंत तक कुल 60 हिन्दी पस्तकें खरीदी गईं।

### **13.3 भवनों का निर्माण**

- ◆ एम.एस.ई.सी. तथा क्षेत्रीय केन्द्र के लिए स्थाई भवन  
एम.एस.ई.सी. तथा क्षेत्रीय केन्द्र, एन.आई.एम.एच. के लिए नोएडा, सेक्टर-40 में स्थायी भवन निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया था। सक्षम प्राधिकार द्वारा भवनों की रूपरेखा संबंधी नक्शों को अनुमोदन दिया गया। नक्शों का विलयरेन्स के लिए नोएडा को भेजा गया और नक्शों का विलयरेन्स मिलते ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।
- ◆ एन.आई.ई.पी.एम.डी., मुथुकाङु, चेन्नई  
वर्तमान भवनों का पुनरुद्धरण किया गया तथा सेवा क्रियकलाप आरंभ किया गया। सी.पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा ₹29,58,76,000/- का अनुमान लगाया गया। मंत्रालय को प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।
- ◆ क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई के भवन का निर्माण  
सक्षम प्राधिकार द्वारा भवनों का निर्माण के लिए नक्शों का अनुमोदन दिया गया और सीडको को विलयरेन्स के लिए प्रस्तुत किया गया जो जल्द ही प्राप्त करने का उम्मीद है। सी.पी.डब्ल्यु.डी. द्वारा दी गई ₹269.79 लाख रुपयों का आकलन मंत्रालय को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

### 13.4 सतर्कता एकक के कार्यकलाप व उपलब्धियाँ

भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न सतर्कता मामलो के तिमाही अर्धवार्षिक रिटर्न्स संबंधित सतर्कता प्रधिकार को भेजा गया।

प्रसंगाधीन वर्ष 2005 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 7.11.2005 से 11.11.2005 तक आयोजित किया गया था। भ्रष्टाचार विरोध संबंधी संदेश / पोस्टर मुख्य स्थानों पर लगवाया गया और 7.11.2005 को प्रतिज्ञा लिया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर विभिन्न पतियोगिताएँ जैसे, प्रश्नमंच, वकृता तथा स्किट, अंग्रेजी, हिंदी तथा तेलुगु भाषाओं में आयोजित किये गये।

### 13.5 परिषद् की बैठकें

वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नलिखित हैं :

क.	बैठक	संख्या	दिनांक	स्थान
1	कार्यकारिणी परिषद्	75 वीं	30-06-2005	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली
2	कार्यकारिणी परिषद्	76 वीं	08-09-2005	एन.आई.ई.सी.एच., सिकंदराबाद
3	कार्यकारिणी परिषद्	77 वीं	30-12-2005	एन.आई.ई.सी.एच., सिकंदराबाद
4	महापरिषद्	26 वीं	22-12-2005	एन.आई.ई.सी.एच., सिकंदराबाद



# अध्याय -14

## वार्षिक लेखे तथा वर्ष 2005-2006 के लिए लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

वर्ष 2005-06 के लिए संस्थान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार रहा:

1.	आदिशेष	(क) योजना निधि	65.71 लाख रुपये
		(ख) एडिप निधि	131.66 लाख रुपये
		कुल (क+ख)	<u>197.37 लाख रुपये</u>
2.	मंत्रालय से अनुदान	(क) योजना	1,312.00 लाख रुपये
		(ख) योजनेतर	<u>270.00 लाख रुपये</u>
		i) कुल (क+ख)	<u>1,582.00 लाख रुपये</u>
		(ग) एडिप	<u>70.00 लाख रुपये</u>
		ii) कुल (i+g)	1,652.00 लाख रुपये
3.	अन्य स्रोतों से रसीद	क) पायलेट परियोजना	386.33 लाख रुपये
		ख) सी.आर.सी. भोपाल	28.98 लाख रुपये
		ग) डी.डी.आर.सी. पी.डी.अधिनियम	10.50 लाख रुपये
		घ) अन्य ऋण व अग्रिम	37.11 लाख रुपये
		कुल (क से घ तक)	<u>462.92 लाख रुपये</u>
4.	आंतरिक रसीद		77.37 लाख रुपये
		सकल योग (1+2+3+4)	<u>2,389.66 लाख रुपये</u>

प्राप्तियों के रूप में इन तमाम राशी 2,389.66 लाख रुपयों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बचत खाते के रूप में संस्थान के खाते में जमा किया गया।

प्रसंगाधीन वर्ष के दौरान 2,389.66 लाख रुपयों में से, उद्देश्यों तथा योजना एवं गैर योजना क्रियाकलापों के अनुसार योजनाबद्ध कार्यक्रमों के लिए 2,103.71 लाख रुपयों का खर्च की गई और 285.95 लाख रुपयों का शेष राशी रहा।

वर्ष 2005-06 के लिए प्राप्तियाँ और भुगतानों का लेखा वर्ष 2005-06 के लिए आय तथा व्यय का लेखा और 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र सहित अनुसूची 1-25 एवं लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

## लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के 31 मार्च, 2006 का संलग्न तुलन-पत्र और उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय-लेखा और प्राप्ति और भुगतान खाते की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियाँ की तैयार उक्त संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणीयाँ पर, अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित, अपनी राय व्यक्त करनी है।

मैंने इस संबंध में लागू नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि मैं लेखापरीक्षा की योजना और संचालन द्वारा यह उचित आश्वासन प्राप्त करूँ कि क्या वित्तीय विवरणियाँ वस्तुगत मिथ्या -कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में, राशियाँ तथा वित्तीय विवरणियाँ के प्रकटनों में देखे गये प्रमाणों की, परीक्षा आधार पर, जाँच करना शामिल है। मुझे विश्वास है कि मेरी लेखापरीक्षा मेरी राय को उचित आधार प्रकट करते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं निम्नलिखित रिपोर्ट देता हूँ:

1. मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी अत्युत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
2. नीचे दिये गये मुख्य समुक्तियों और इसके साथ संलग्न किये गये पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के विस्तृत समुक्तियों के अध्यधीन, मैं यह सूचित करता हूँ कि इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय-व्यय-लेखा तथा प्राप्ति-और-भुगतान-खाते सही रूप से तैयार किये गये हैं और इनकी लेखा-किताबों के साथ सहमति है।
  - निगमित/पूंजीगत निधि को रु.3.60 करोड़ के परिमाण में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना।
  - रु.62.00 लाख की डिक्रीटल राशी का उपबंध नहीं किया जाना।
  - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास जमा निक्षेपों को चालू पूंजीगत निर्माण कार्य के रूप में गलत वर्गीकरण।
  - व्यय को रुपये 4.00 करोड़ के परिमाण में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना।
3. मेरी अत्युत्तम जानकारी और मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार मेरी राय में:
  - i) उक्त लेखाओं में अपेक्षित सूचना निर्धारित लेखा-आरूप के अनुसार दर्शाया जा रहा है।
  - ii) उक्त तुलन-पत्र, आय-व्यय-लेखा / प्राप्ति-और-भुगतान-खाते के साथ पति लेखाकरण नीतियाँ और उन पर टिप्पणियाँ, एवं उपर्युक्त महत्वपूर्ण विषयों और संलग्न पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. जहाँ तक राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद के कार्य-स्थिति की 31 मार्च, 2006 के तुलन-पत्र का संबंध है : और

ख. जहाँ तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे की आय-व्यय-लेखा का संबंध है।

ह./

स्थान : हैदराबाद  
 दिनांक : 31-08-2006

(एस.बी.पिल्लै)  
 प्रधान महालेखाकार  
 (सिविल लेखापरीक्षा)

## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2005-06 के लिए लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

### 1. भूमिका

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद की, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1984 में स्थापना की गई थी। संगठन के मुम्बई, कोलकता और नई दिल्ली में तीन क्षेत्रीय केन्द्र हैं तथा नई दिल्ली में माडल विशेष शिक्षा केन्द्र स्थित है।

#### 1.1 संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य हैं :

- मानसिक विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास के सभी पहलुओं पर अनुसंधान, प्रवर्तित करना, समन्वय या आर्थिक सहायता देना,
- प्रवर्तित, समन्वय या अनुसंधान को बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में सहायक उपकरणों को प्रभावी रूप से तब्दील करने का मूल्यांकन करना या नये सहायक उपकरणों का उचित शल्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य पद्धतियों के लिए विकास करना।
- प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना या प्रवर्तित करना, अधिकारियों, मनोरोग चिकित्सकों, व्यावसायिक परामर्शदाताओं और ऐसे अन्य कार्मिकों को जो संस्थान में मानसिक विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए आवश्यक समझे जाएँ, की नियुक्ति करना।
- मानसिक विकलांग व्यक्तियों के चिकित्साशास्त्रीय शिक्षा, पुनर्वास के किसी भी पहलू को प्रोत्तिति के लिए तमाम सहायक उपकरणों की अभिकल्पना करके उनके प्रोटोटाइपों का निर्माण कर या उनके निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान कर और उन्हीं या तमाम उपकरणों का वितरण करना है।

#### 1.2 संगठन के लेखों की लेखा परीक्षा करने की जिम्मेदारी वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक पाँच वर्षों के लिए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सेवा अधिनियम, 1971 की ढ्यूटियाँ, शक्तियाँ और परिस्थितियाँ) की धारा 20 (1) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक व महालेख परीक्षक को सौंपी गई हैं।

#### 1.3 वित्तीय स्त्रोत

वर्ष 2005-06 के दौरान संस्थान ने सहायता अनुदान के रूप में 15.82 करोड रुपयों की राशी (13.12 करोड रुपयों की योजना के अंतर्गत तथा 2.70 करोड रुपये योजनेतर के अंतर्गत) तथा रु.4.97 करोड अन्य स्त्रोतों (भारत सरकार के पायलेट परियोजना रु.3.86 करोड, आदि) प्राप्त की।

प्राप्त हुई अनुदान में से तथा गत वर्ष की शेष राशी में से संस्थान ने 65.70 लाख योजना के अंतर्गत, संस्थान ने रु.12.02 करोड रुपयों का उपयोग किया तथा मार्च 31, 2006 तक 1.75 करोड रुपये योजना के अंतर्गत अनुपयोग अनुदान के रूप में शेष राशी रहा।

### लेखों पर टिप्पणी

#### 2. तुलन पत्र

##### 2.1 दायित्व

###### 2.1.1 कार्पस / पूँजी निधि - रु.34.03 करोड

संस्थान ने रु.3.60 करोड रुपयों का राशी कार्पस / पूँजी निधि के लिए वर्ष के दौरान अंशदान के रूप में प्राप्त किया। संस्थान ने कार्पस के रूप में कोई निधि प्राप्त नहीं की और इस स्थान पर आस्तियों की प्राप्ति के लिए योजना अनुदान प्राप्त की। यह गलत प्रदर्शी का परिणाम कार्पस / पूँजी निधि बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया।

## 2.1.2 चिह्नित / धर्मदाय निधि- रु. शून्य

संस्थान ने रु.2.00 लाख रुपये वर्ष के दौरान साइकोलोजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एर्ली इन्टरवेन्शन (पी.जी.डी.ई.आई.) के अत्युत्तम रैंक होल्डर को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान करने हेतु प्राप्त किया। संस्थान द्वारा कोई धर्मदाय निधि नहीं बनाया गया। इससे रु.2.00 लाख रुपयों का चिह्नित / धर्मदाय निधियों में निधियों का कम दर्शाया गया। आगे, यह कार्यविवरण संस्थान के पुस्तिकाओं द्वारा नहीं किया गया। संस्थान ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।

## 2.1.3 वर्तमान दायित्व व प्रावधान - 34.66 लाख रुपये

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता के भवन परियोजना की समाप्ती की डिक्रीटल राशी रु.62.00लाख का कोई प्रावधान नहीं दिया गया जिसका परिणाम में दायित्वों का कम दर्शाया गया।

## 2.1.4 संस्थान ने अगस्त 2005 में प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट की जारी के आधार पर मेहेर व मित्र एसोसियेट का रु.1.35 लाख रुपयों का वर्ष के दौरान निकासी की। यह माँग पत्र जारी नहीं की गई और वित्तीय वर्ष समाप्ती पर इसका रद्द किया गया। इससे संभ्री केडिटर्स तथा नकद शेष की न्यूनोक्ति की गई। संस्थान ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।

## 2.2 आस्तियाँ

### स्थिर आस्तियाँ

#### 2.2.1 पूँजी कार्य प्रगमन - 11.45 करोड रुपये

संस्थान ने वर्ष 2005-06 के दौरान रु.3.00 करोड का सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् विभाग (सी.पी.डबल्यू.डी.) को एन.आई.एम.एच. माडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्र के भवन का निर्माण के लिए अग्रिम दिया। यह अग्रिम वर्ष 2004-05 के दौरान दी गई 6.00 करोड रुपयों की अग्रिम के अतिरिक्त है। अतः कुल अग्रिम रु.9.00 करोड रुपये था। योजनाओं, आदि का स्वीकार्यता नहीं मिलने पर सी.पी.डबल्यू.डी. द्वारा वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया। परन्तु, संस्थान ने इस अग्रिम का पूँजी कार्य प्रगमन के रूप में वर्गीकृत किया। यह गलत वर्गीकरण के परिणाम सी.डबल्यू.आई.पी. की अत्योक्ति तथा अग्रिम की न्यूनोक्ति हुई और निधियों की उपयुक्तता में भी गलत प्रस्तुतीकरण हुई।

#### 2.2.2 उपरोक्त में रु.2.10 करोड का सी.पी.डबल्यू.डी. हैंदराबाद को पिछले वर्षों में दी गई अग्रिम भी शामिल है। इस राशी में से, रु.95.00 लाख रुपयों का कार्यों (सी.पी.डबल्यू.डी द्वारा दिसम्बर 2005 तक कार्य प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर आडिट द्वारा प्राप्त) भी शामिल हैं। आस्तियों का उपयोग भी की जा रही है। संस्थान ने व्यय का पूँजीकरण नहीं किया तथा पूँजी कार्य प्रगमन के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शी के परिणाम स्वरूप आस्तियों का न्यूनोक्ति तथा हास का रु.1.90 लाख का न्यूनोक्ति हुई, जो लागू दरों के हिसाब से लगाया गया। संस्थान ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।

#### 2.2.3 शेष स्टाक - शून्य

संस्थान में 31 मार्च, 2006 तक दवाइयों का 1.87 लाख रुपयों का शेष स्टाक था और प्रकाशनों का 55.94 लाख रुपयों का शेष स्टाक था। परन्तु यह तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया। आगे, संस्थान प्रकाशनों द्वारा रेवेन्यु प्राप्त करती रही। शेष स्टाक का लेखों पर नहीं लेने के कारण आस्तियों का न्यूनोक्ति तथा स्टाक पर अनियंत्रण

के द्वारा तुलन पत्र असंपूर्ण है। आगे, शेष स्टाक का कैसे दर्शाया गया, यह भी संस्थान ने सूचित नहीं की। इससे परदर्शिता में कमी आ गई। संस्थान ने यह कहा कि यह राशी मुद्रण का खर्च है और संशोधन कार्यवाही की आश्वासन दी।

**2.2.4** संस्थान ने अप्रैल 1999 से पूर्व प्राप्त आस्तियों का पुनः मूल्यांकन करने के बजाय (रु.49.71 लाख) पूर्ण रूप से हास दिया। इसका परिणाम 31.3.2006 तक की आस्तियों की स्थिति गलत रही।

### 3. आय तथा व्यय खाता

#### 3.1 व्यय - 19.87 करोड रुपये

##### 3.1.1 अन्य कार्यक्रम खर्च - 10.18 करोड रुपये

संस्थान ने वर्ष 2004-05 में ली गई ऋण की भुगतान को एडिप खाते को रु.2.10 करोड का आंतरण किया और आय तथा व्यय खाते में इसे दर्शाया। यह गलत पदर्शी के परिणाम रु.2.10 करोड का व्यय पर अत्योक्ति तथा कार्पस / पूँजी निधि में न्यूनोक्ति रहा।

**3.1.2** संस्थान ने वसूली योग्य अग्रिम रु.6.89 लाख का निकासी की तथा इसका अनुसूची 20 बी - अन्य कार्यक्रम खर्च (ई) - अन्य खर्च के रूप में आय तथा व्यय खाते में दर्शाया। वसूलीयोग्य अग्रिम आस्ती था और व्यय का मद नहीं। इसका परिणाम रु.6.89 लाख रुपयों का अधिकतम व्यय का अत्योक्ति रहा।

##### 3.1.3 स्थापना खर्च - 4.12 करोड रुपये

संस्थान ने रु.1.90 करोड का वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि से पेंशन व ग्रेचुइटी निधि को आंतरण किया और इसका आय तथा व्यय खाते पर दर्शाया। इसका परिणाम अधिकमतम व्यय का रु.1.90 करोड का अत्योक्ति रहा।

### 3.2 आय

**3.2.1** संस्थान के पास 31.3.2005 तक वसूली योग्य अग्रिम रु.28.98 लाख रुपये (अनुसूची 11 बी वर्तमान आस्तिया, ऋण व आग्रिम) संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल का था। संस्थान ने यह राशी वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त किया और इसका आय में लेखित किया। इससे आय का रु.28.98 लाख का अत्योक्ति परिणामित हुआ। संस्थान ने संशोधन कार्यवाही का वर्ष 2006-07 में करने की आश्वासन दिया।

### 4. रसीद तथा भुगतान खाता

**4.1** राष्ट्रीय बहुविध विकलांग व्यक्तियों के लिए साधिकारिता संस्थान (एन.आई.ई.पी.एम.डी) के रसीद तथा भुगतान खाते में शेष राशी रु.1.10 करोड मार्च 2006 के समाप्ति तक दर्शाया गया। यह रु.66.87 लाख का अत्योक्ती है जिसका एन.आई.एम.एच. से एन.आई.ई.पी.एम.डी. के निधियों का आंतरण नहीं करने की वजह है। यह राशी एन.आई.एम.एच. में ही रह गया है। संस्थान ने यह स्वीकार कर लिया कि रु.66.87 लाख की राशी अपने पास रख लिया है।

**4.2** संस्थान के एडिप खाता नकद बुक शेष राशी ₹.85,23,624 की जगह ₹.84,51,940 का शेष राशी दर्शाया जो ₹.71684 राशी भिन्न है। संस्थान वर्ष 2006-07 के दौरान संशोधन कार्यवाही की आश्वासन दी।

**5. लेखा परीक्षा के टिप्पणी का प्रभाव**

उपरोक्त पेरा में दी गई टिप्पणियों का नेट प्रभाव तुलन पत्र में अन्य संयोजन के अलावा, आय पर अधिकतम व्यय का 4.00 करोड़ रुपये का अत्योक्ति रहा।

**6. प्रबंध पत्र**

छोटे अनियमितताएँ / त्रुटियों का संस्थान के निदेशक को प्रबंध पत्र के द्वारा अलग से सूचित किया गया।

ह/-

(एस.बी.पिल्लै)

पदान महालेखाकार

(सिविल आडिट)

## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

## वर्ष 2005-06 के वार्षिक खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

क्र.	टिप्पणी सं.	टिप्पणी	कार्यवाही
1.	1	परिचय	तथ्यपूर्ण
2.	1.1	लक्ष्य व उद्देश्य	तथ्यपूर्ण
3.	1.2	लेखा परीक्षा सुपर्दगी	तथ्यपूर्ण
4.	1.3	वित्तीय स्थिति	तथ्यपूर्ण
5.	2.1.1	वर्ष 2005-06 कार्पस / पूँजी निधि की की अत्युक्ति - रु.3.60 करोड़	लेखा परीक्षक की सुझाव के अनुसार यह राशी पूँजी रिजर्व के रूप में दर्शाया जाएगा और वर्ष 2006-07 में परिशोधित किया जाएगा।
6.	2.1.2	एन्डोमेंट निधि वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया - रु.2.00 लाख रुपयों	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, इन्डोमेंट निधि अलग से निर्मित किया जाएगा तथा इस निधि के सामने रु.2.00 लाख रुपये दर्शाया जाएगा और 2006-07 में परिशोधित किया जाएगा।
7.	2.1.3	कोलकता उच्च न्यायालय द्वारा दी गई डिकी के अनुरूप वर्ष 2005-06 में दायित्व के अंतर्गत दायित्व का न्यूनोक्ति - रु.62.00 लाख रुपये	लेखा परीक्षक द्वारा दी गई सुझाव के अनुसार, रु.62.00लाख का दायित्व आस्तियों में जारी-पूँजी कार्य के अंतर्गत वर्तमान दायित्व के में दर्शाया गया क्यों कि यह निर्माण कार्य के समय पासंगिक खर्च था और वर्ष 2006-07 के दौरान शोधक कार्यवाही की जाएगी।
8.	2.1.4	निर्धारित अवधि के पश्चात् डी.डी. रद्द न करने तथा परामर्शी शुल्क का भुगतान नहीं करने की वजह से शेष नकद तथा संझी केडिटर्स का न्यूनोक्ति	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, रु.1.35 लाख रुपयों का वर्तमान दायित्व तथा पावधान के अंतर्गत दायित्व के रूप में लाया जाएगा और नकद व रोकड शेष में दर्शाया जाएगा। पर जून 2006 के दौरान धन दिया गया।
9.	2.2.1	जारी पूँजी कार्य : वर्ष 2005-06 के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम जारी पूँजी कार्य के रूप में वर्गीकरण और तुलन पत्र में आस्तियों के रूप में दर्शाना - रु.900.00 लाख रुपये	सी.पी.डब्ल्यू.डी. मानकों के अनुसार सभी कार्यों को जमा कार्यों के रूप में दर्शाया गया और अग्रिम के रूप में कोई नहीं दर्शाया गया। सभी जमा कार्य, चाहे कार्य निष्पादित किये हो या कोई कार्य हाथ में लिये न हो, वे जमा कार्य ही हैं। फिर भी, जैसा कि आडिट ने सुझाव दिया, जमा जिनके लिए कोई कार्य आरंभ नहीं किया गया हो, उन्हें अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

क्र.	टिप्पणी सं.	टिप्पणी	कार्यवाही
10.	2.2.2	वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्ण किये गये भवनों का अनुपूँजीकरण - रु.115.00 लाख रुपये	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, पूर्ण किये गये कार्य तथा इन कार्यों पर खर्च का वर्ष 2006-07 में मूल्यांकित किया जाएगा और तदनुसार लेखे दर्शाएँ जाएंगे।
11.	2.2.3	तुलन पत्र में आस्तियों का न्यूनोक्ति तथा व्यय का अंत्योक्ति	यह कहना है कि संस्थान व्यापारिक उत्पादक संस्थान नहीं है और इसी वजह से अंत स्टाक का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। पकाशनों का मूल्यांकन के संदर्भ केवल मुद्रण व्यय से है। यह अनुसंधान व विकास कियाकलापों के परिणाम है जो व्यापारिक बिकी है न ही मुफ्त बिकी, मात्र मुद्रण व्यय है। आडिट द्वारा दी गई सुझाव का 2006-07 से अनुपालन किया जाएगा।
12.	2.2.4	संस्थान ने आस्तियों का निर्धारण के स्थान पर अपैल 1999 से पूर्व के आस्तियों पर रु.49.17 लाख रुपयों का हास दिया। इससे आस्तियों का 31.3.2006 तक गलत स्थिति दर्शाया गया।	यह कहना है कि वर्ष 2004-05 के दौरान 1.4.1999 से पूर्व के आस्तियों का निर्धारण किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 1.4.1999 से पूर्व के आस्तियों का हास दिया जाए क्यों कि 31.3.2005 तक काफी अवधि है जिससे कि उन आस्तियों का कोई जीवनी नहीं है। फिर भी, आय तथा व्यय खाते तथा पूँजी निधि पर ज्यादा भोज न हो, इसीलिए केवल कुछ आस्तियों का, अर्थात्, परिवहन वाहन, पुस्तकालय पुस्तकों पर 2004-05 में हास दिया गया। अन्य स्थिर आस्तियों पर रुप.49,71,084/- रुपयों का हास दिया गया। बाकी आस्तियों पर हास आने वाले वर्षों में दिया जाएगा। यह कार्यवाही भी 2004-05 के आडिट द्वारा दी गई सुझाव के अनुरूप है।
13.	3.1.1	शेष राशि का रेवेन्यू खर्च के रूप में गलत वर्गीकरण करने के कारण पूँजी / कार्पस निधि का अंत्योक्ति व न्यूनोक्ति - रु.210.00 लाख रुपये	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार रु.2.10 लाख रुपयों का व्यय से निकाला जाएगा और सही कार्यवाही 2006-07 के दौरान लिया जाएगा।
14.	3.1.2	संस्थान ने 6.89 लाख रुपयों का वसूलीयोग्य अग्रिम का निकासी की और यह आय तथा व्यय खाते में दर्शाया। वसूली योग्य अग्रिम आस्ती था और व्यय मद नहीं। इससे रु.6.89 लाख रुपयों का व्यय के रूप में अंत्योक्ति हुई।	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, रु.6.89 लाख आस्तियों के रूप में दिखाया जाएगा और संद्री डेटर्स को कम किया जाएगा। सही कार्यवाही वर्ष 2006-07 के दौरान की जाएगी।
15.	3.1.3	संस्थान ने रु.1.90 करोड रुपयों का सामान्य भविष्य निधि से पेंशन व गेचुइटी निधि को आंतरण किया और यह आय तथा व्यय खाते में दर्शाया गया। इससे से व्यय रु.1.90 करोड अधिक दर्शाया जा रहा है।	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुरूप रु.1.90 करोड रुपयों का व्यय से निकाला जाएगा और सही कार्यवाही वर्ष 2006-07 के दौरान की जाएगी।

क्र.	टिप्पणी सं.	टिप्पणी	कार्यवाही
16.	3.2.1	पिछली वर्ष की वसूली योग्य अग्रिम का वर्तमान वर्ष में आय के रूप में गलत दर्शाया गया - सी.आर.सी., भोपाल - रु.28.98 लाख रुपये	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार रु.28.98 लाख रुपये आय में से घटाया जाएगा और सही कार्यवाही वर्ष 2006-07 में की जाएगी।
17.	4.1	राष्ट्रीय बहुविधि विकलांग व्यक्तियों के लिए साधिकारता संस्थान के रसीद व भुगतान खाता रु.1.10 करोड़ रुपयों का अंतिम रोकड़ दर्शाया गया। यह रु.66.87 लाख रुपये अधिक है क्योंकि एन.आई.एम.एच. से एन.आई.ई.पी.एम.डी. को निधियों का आंतरण नहीं हुआ। यह रोकड़ एन.आई.एम.एच. में था।	यह कहना है कि रु.66.87 लाख रुपये एन.आई.एम.एच. मुख्यालय में निदेशक, ए.आई.एम.एच. के खाते में पाटियाला स्टेट बैंक, सिकंदराबाद में है। इसी समय, रु.43.56 लाख रुपये निदेशक, एन.आई.एम.एच. के नाम पर इंडियन बैंक, कोवलम, चेन्नई में है। अतः कुल रु.1.10 करोड़ राशी उपलब्ध था और यह लेखों में दर्शाया गया। फिर भी, सुझाव के अनुसार, अंतिम शेष एन.आई.ई.पी.एम.डी. से रु.43.56 लाख रुपये घटाया जाएगा और रु.66.87 लाख एन.आई.एम.एच. खाते में दायित्व के रूप में दर्शाया जाएगा।
18.	4.2	शेष रोकड़ का न्यूनोक्ति - एन.आई.एम.एच. एडिप खाता - रु.71,684/-	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, यह सुधारा जाएगा और एडिप खाते के अंतर्गत रु.85,23,624/- का अंतिम शेष में दर्शाया जाएगा और सही कार्यवाही 2006-07 में की जाएगी।

## प्रबंध पत्र

क्र.	टिप्पणी	कार्यवाही
1.	क्षेत्रीय केन्द्रों में आंतरिक लेखा परीक्षक के लिए कार्यवाही योजना और आंतरिक परीक्षक में उठाए गए मद्दों पर सही कार्यवाही	क्षेत्रीय केन्द्र तथा माडल स्पेशल एजुकेशन केन्द्रों में आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने के लिए कार्यवाही योजना तैयार की जा रही है और आंतरिक लेखा परीक्षक के संगतियों के अनुरूप उचित कार्यवाही की जाएगी।
2.	कार्य की प्रगति को सुरक्षित रखने के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. से जमा का पुनरीक्षण	विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य का पुनरीक्षण उपनिदेशक (प्र), कार्यालय प्रभारी तथा संपदा अधिकारी की दल द्वारा किया जा रहा है ताकी निर्माण कार्य तेजी से हो।
3.	बकाया अग्रिम का पुनरीक्षण	बकाया अग्रिमों का उपनिदेशक (प्र) द्वारा महीने-वार पुनरीक्षण की जा रही है।
4.	आस्तियाँ, स्टाक तथा भंडार की भौतिकीय जाँच	हर वर्ष, भौतिकीय जाँच का कार्य मार्च में आरंभ होकर जून महीने तक पूरा किया जाएगा। अतः, पिछले वर्ष की भौतिकीय जाँच आडिट को पस्तुत किया जाएगा जो साधारणतः जून माह में आयोजित किया जाता है और वर्तमान वर्ष का रिपोर्ट आडिट को आगामी वर्ष में पस्तुत किया जाएगा।

क्र.	टिप्पणी	कार्यवाही
5.	एन.आई.ई.पी.एम.डी. संबंधी खर्च समर्थित वाउचर के बिना बुक करना।	रु.0.23 लाख का एन.आई.ई.पी.एम.डी. के रसीद तथा भुगतान खाते में व्यय के रूप में दर्शाने के स्थान पर अग्रिम के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा और सही कार्यवाही वर्ष 2006-07 में संबंधित वाउचर प्राप्त कर की जाएगी।
6.	लेखा पुस्तकों की खरीदी के लिए अग्रिम को समाचार पत्र व अवैधिक पत्रों में गलत वर्गीकृत करना	लेखा पुस्तकों का पुस्तकालय पुस्तकों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।
7.	क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता के खातों में बैंक चार्जेस का खाते में नहीं लेने के कारण शेष रोकड़ का अत्योक्ति	लेखा परीक्षा के सुझाव के अनुसार बैंक चार्जेस को खाते में लिया जाएगा और 2006-07 में सुधारा जाएगा।
8.	सामान्य भविष्य निधि खाते का मुख्य खाते में सम्मिलित नहीं करना	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार सामान्य भविष्य निधि खाता मुख्य खाते में लिया जाएगा।
9.	क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर संबंधी रिकार्डों का अप्रस्तुतीकरण	इस संस्थान का जिम्मेदारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त निधियों का आंतरण करना है। इस संस्थान को क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर पर कोई प्रशासनिक या वित्तीय नियंत्रण नहीं है। अतः जाँच के लिए रिकार्डों का प्रस्तुत नहीं की गई। यह भी सूचित करना है कि वर्ष 2005-06 में इस संस्थान को आर.आर.सी. को आंतरण करने के लिए कोई निधियाँ प्राप्त नहीं हुई। संगठन से प्राप्त उपयुक्तता प्रमाण पत्र वर्ष 2003-04 का मंत्रालय को तथा लेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया।
10.	परामर्श खर्च के लिए 0.35 लाख रुपये का अनुमुक्त दायित्व प्रवधान का नहीं दर्शाना	लेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षक के रु.0.35 लाख रुपयों खर्च का दायित्व को वर्तमान दायित्व तथा खर्च के रूप में प्रवधान किया जाएगा और परामर्शी सेवाओं को व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा। सही कार्यवाही वर्ष 2006-07 में की जाएगी।
11.	रु.0.94 रुपये जो साफ्टवेयर, अर्थात्, एन्टी वाइरस रेन्युवल, ई.टैक्स फाइल स्ट्रक्चर, खरीदने के लिए खर्च किया गया था, का रिवेन्यु खर्च के रूप में दर्शाने के स्थान पर पूँजी के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया।	आडिट के सुझाव के अनुसार, रु.0.94 लाख का रेवेन्यु खर्च के रूप में सूचना तकनीकी के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत किया जाएगा और संशोधन कार्यवाही वर्ष 2006-07 में की जाएगी।
12.	0.90 लाख पूर्व भुगतान बीमा का आस्ति के रूप में दर्शाने के स्थान पर व्यय के रूप में दर्शाया गया।	आडिट के सुझाव के अनुसार, रु.0.90 लाख का पूर्व भुगतान, ऋण व अग्रिम के अंतर्गत दर्शाया जाएगा और इसी राशी का बीमा पर व्यय में घटाया जाएगा और संशोधन कार्यवाही वर्ष 2006-07 में की जाएगी।

क्र.	टिप्पणी	कार्यवाही
13.	एन.आई.ई.पी.एम.डी., मुश्तुकाडु को दी गई रु.0.23 लाख का अग्रिम व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया जबकि यह वर्तमान दायित्व के रूप में वर्गीकृत करना था।	आडिट द्वारा दी गई सुझाव के अनुसार, रु.0.23 लाख रुपयों का रसीद तथा भुगतान खाते में व्यय के रूप में दर्शाने के स्थान पर कार्यक्रमों के लिए अग्रिम के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा और संशोधन कार्यवाही वर्ष 2006-07 में की जाएगी।
14.	यु.पी.एस. (बैंकअप पावर) पर ह्रास का गलत दर्शाना	आडिट के सुझाव के अनुसार, रु.0.79 लाख रुपयों का कम्प्युटर के अंतर्गत पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा और 20 प्रतिशत का ह्रास की प्रावधान दिया जाएगा और संशोधन कार्यवाही 2006-07 में की जाएगी।
15.	डाक घर बचत खाता सं.128413 तथा 760258 के एक्रयुड ब्याज रु.0.43 लाख रुपयों का खाते में नहीं लाया गया।	आडिट के सुझाव के अनुसार रु.0.43 लाख रुपयों का अनुसूची 11-वी में एक्रयुड आय के रूप में दर्शाया जाएगा और संशोधित कार्यवाही 2006-07 में की जाएगी।

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक तुलन पत्र**

(राशी रुपयों में)

कार्पस / मूल निधि तथा दायित्व	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
कार्पस / मूल निधि	1	340,358,927	308,707,195
रिजर्व तथा सरपल्स	2	0	0
चिह्नन्त / धर्मदाय निधि	3	0	0
हस्तगत ऋण तथा उधार	4	0	0
अहस्तगत ऋण तथा उधार	5	0	0
आस्थगित क्रिडिट दायित्व	6	0	0
वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	7	3,466,200	3,896,866
<b>कुल</b>		<b>343,825,127</b>	<b>312,604,061</b>
आस्तियाँ			
स्थिर आस्तियाँ	8	270,379,218	243,937,779
जोड़े: आस्तियों में पूर्वावधि समायोजन			
चिह्नित / धर्मदाय निधियों में से निवेश	9	0	0
अन्य निवेश	10	0	0
वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	73,445,909	68,666,282
विविध खर्च			
(रद्द नहीं की गई या समायोजन नहीं की गई को छोड़ कर)			
<b>कुल</b>		<b>343,825,127</b>	<b>312,604,061</b>
मुख्य लेखा नीति	24		
सांयोगिक दायित्व तथा लेखों पर टिप्पणी	25		

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उपनिदेशक (प्र)

ह/-  
निदेशक



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद**  
**31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय खाता**

(राशी रुपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0	0
अनुदान / सब्सीडी	13	186,624,605	182,336,488
शुल्क / अंशदान	14	5,237,315	5,170,455
निवेश से आय (चिह्नित / धर्मदाय को आंतरित निधियों में निवेश से आय)	15	0	0
प्रकाशनों, रायल्टी, आदि से आय	16	921,295	844,461
अर्जित ब्याज	17	478,620	84,581
अन्य आय	18	1,024,324	740,840
अंतिम वस्तुओं के भंडार तथा हो रहे कार्य से बढ़ावा / घटाव	19		
<b>कुल (क)</b>		<b>194,286,159</b>	<b>189,176,825</b>
व्यय			
कायक्रम / सेवाओं पर व्यय	20	32,085,801	30,889,484
स्थापना व्यय	20A	41,225,951	23,776,470
अन्य कायक्रम खर्च	20B	101,775,993	25,012,154
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	13,988,121	14,915,714
अनुदान, सब्सीडी आदि पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
घटाव ( अनुसूची 8 से संबंधित वर्ष के अंत शेष योग ) (9721096-94497 (वर्ष 2004-05 में दिखाई गई हस को आय के रूप में वापिस लिया गया)		9,626,599	12,152,921
<b>कुल (ख)</b>		<b>198,702,465</b>	<b>106,746,743</b>
व्यय पर अधिकतम आय का शेष (क-ख)			
विशेष रिजर्व को आंतरण (पत्थेर का स्पष्ट करें)			
सामान्य रिजर्व को / से आंतरण			
सरप्लस /( डिफिसिट) के रूप में शेष		-4,416,306	82,430,082
कार्पस / मूल निधि को ली गई			
मुख्य लेखा निति	24		
सांयोगिक दायित्व तथा लेखों पर टिप्पणी	25		

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उपनिदेशक (प्र)

ह/-  
निदेशक

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम: राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि रुपयों में)

अनुसूची - 1 - कार्पस / मूल निधि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
वर्ष के आरंभ तक का शेष जोड़े : कार्पस / मूल निधि को अशंदान	308,707,195 36,068,038	271,818,762 75,143,654
घटाव (अनुसूची 8 से स्थिर आस्तियों को निकालने से गत वर्ष के अनुदान का समायोजन)	344,775,233 0	346,962,416 45,541,649
जोड़े / (घटाएँ) नेट आय /(खर्च) का शेष का आंतरण (जोड़) आय व्यय खाते से	344,775,233 -4,416,306	301,420,767 7,286,428
शेष :- वर्ष के अंत तक	340,358,927	308,707,195

अनुसूची 2 - रिजर्व तथा सरप्लस	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. मूल रिजर्व पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती	0	0
2. रीवैल्युयेशन रिजर्व पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
3. विशेष रिजर्व पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
4. सामान्य रिजर्व पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
कुल	शून्य	शून्य
	शून्य	शून्य

ह/-  
लेखा अधिकारी



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशि रूपयों में)

अनुसूची 3 - चिह्नित / धर्मदाय निधि	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि ww	निधि xx	निधि yy	निधि zz	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) निधियों के आदिशेष					0	0
ख) निधियों को संकलित					0	0
i) दान / अनुदान					0	0
ii) निधियों के खाते में निवेश से आय					0	0
iii) अन्य संकलन ( पकृति स्पष्ट करें )					0	0
<b>कुल (क ख)</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
ग) निधियों के उद्देश्य के लिए उपयोगिता / व्यय						
1. मूल व्यय					0	0
- स्थिर आस्तियाँ					0	0
- अन्य					0	0
कुल					0	0
2) रेवेन्यु व्यय					0	0
- वेतन, मजदूरी व भत्ता, आदि					0	0
- किराया					0	0
- अन्य पशासनिक व्यय					0	0
कुल					0	0
<b>कुल (ग)</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
<b>नेट शेष वर्ष के अंत तक (क+ख-ग)</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

**टिप्पणी**

- अनुदान की संलग्न की गई नियमों के आधार पर संबंधित शीर्षों पर प्रकटीकरण करें
- केन्द्र / राज्य सरकार से पाप्त प्लैन निधियों के रूप में दर्शाएँ और वह अन्य निधियों से न जोड़ें

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 4 - हस्तगत ऋण तथा उधार		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1. केन्द्र सरकार				0	0
2. राज्य सरकार (विशेष उल्लेख करें)				0	0
3. वित्तीय संस्थान				0	0
क) अवधि ऋण				0	0
ख) जमा की गई या देय ब्याज				0	0
4. बैंक				0	0
क) अवधि ऋण				0	0
- जमा की गई या देय ब्याज				0	0
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				0	0
- जमा की गई या देय ब्याज				0	0
5. अन्य संगठन तथा संस्थान				0	0
6. डिबेन्चर तथा बांड				0	0
7. अन्य (उल्लेख करें)				0	0
<b>कुल</b>		<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
नोट: एक वर्ष के अंदर की देय राशियाँ					

ह/-  
लेखा अधिकारी



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 5 - अहस्तगत ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार		0
2. राज्य सरकार (विशेष उल्लेख करें)		0
3. वित्तीय संस्थान		0
4. बैंक		0
क) अवधि ऋण		0
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		0
5. अन्य संगठन तथा संस्थान		0
6. डिबेन्चर तथा बांड		0
7. स्थिर जमा		0
8. अन्य (उल्लेख करें)		0
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
नोट: एक वर्ष के अंदर की देय राशियाँ		

अनुसूची 6 - आस्थगित क्रेडिट दायित्व	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) मूल उपस्कर तथा अन्य आस्तियों के हायपोथिकेशन के जरिये स्वीकृतियाँ		0
ख) अन्य		0
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
नोट: वर्ष के अंदर देय राशियाँ		

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 7 - वर्तमान दायित्व तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) वर्तमान दायित्व 1. स्वीकृतियाँ 2. संद्री केडिट्स क) वस्तुओं के लिए ख) अन्य 3. प्राप्त अग्रिम 4. जमा की गई लेकिन देय नहीं ब्याज क) हस्तगत ऋण / उधार ख) अहस्तगत ऋण / उधार 5. सांविधिक दायित्व: क) अतिरिक्तदेय ख) अन्य 6. अन्य वर्तमान दायित्व	(अनुबंध-1) 3,466,200	3,466,200 3,896,866 3,896,866
कुल (क)	3,466,200	3,466,200 3,896,866 3,896,866
ख) प्रावधान 1. टैक्सेशन के लिए 2. गैचुइटी 3. सूपर एन्युयेशन / पेंशन 4. जमा की गई छुट्टी की नकद पाना 5. व्यापार वारंटी / दावा 6. अन्य (उल्लेख करें)	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
कुल (ख)	शून्य	शून्य शून्य शून्य
योग (क+ख)	3,466,200	3,466,200 3,896,866 3,896,866

ह/-  
**लेखा अधिकारी**



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

**अनुसूची 8 - स्थिर आस्तियाँ**

विवरण	ग्रास ब्लाक						हास				नेट ब्लाक	
	1.4.1999 से पूर्व	1.4.1999 के बाद	31.3.2005 को कुल	2005-06 को जोड़	2005-06 के लिए निकाले गए	31.3.2006 तक	%	31.3.2005 तक	2005-06 वर्ष के लिए निकाले गये	कुल	वर्ष समाप्ति तक वर्तमान नेट	पिछले वर्ष के समाप्ति तक
<b>क) स्थिर आस्तियाँ</b>												
1. भूमि												
क) पूर्ण स्वामित्व	959,520	2,037,763	2,997,283	0	0	2,997,283		0	0	0	2,997,283	2,997,283
ख) पट्टा धृति	0	28,365,920	28,365,920	427,218	0	28,793,138		286,524	290,840	577,364	28,215,774	28,079,396
उप कुल	959,520	30,403,683	31,363,203	427,218	0	31,790,421		286,524	290,840	577,364	31,213,057	31,076,679
2. भवन												
क) पूर्ण स्वामित्व भूमि पर	59,138,694	604,543	59,743,237	0	0	59,743,237	2%	46,335	12,091	58,426	59,684,811	59,696,902
ख) पट्टा धृति भूमि पर	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
ग) मालिकी फ्लाट / परिसर	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
घ) भूमि जो संगठन की नहीं पर ऊपरी ढांचा	0	39,590,000	39,590,000	0	0	39,590,000	2%	3,527,746	791,800	0	4,319,546	35,270,454
उप कुल	59,138,694	40,194,543	99,333,237	0	0	99,333,237		3,574,081	803,891	0	4,377,972	94,955,265
3. प्लांट मशीनरी और उपकरण	13,577,523	4,121,849	17,699,372	0	0	17,699,372	10%	1,397,127	412,185		1,809,312	15,890,060
4. कार्यालय उपकरण	0	994,915	994,915	1,657,183	0	2,652,098	10%	100,977	265,210		366,187	2,285,911
5. विजली स्थापना	0	669,188	669,188	609,794	0	1,278,982	10%	96,807	127,898		224,705	1,054,277
6. नलकूप व पानी आपूर्ती	0	296,024	296,024	64,090	0	360,114	10%	55,265	36,011		91,276	268,838
7. कम्प्युटर / संबंधी उपकरण	0	4,600,755	4,600,755	1,005,587	0	5,606,342	20%	2,429,222	948,620	94,497	3,283,345	2,322,997
उपकुल	13,577,523	10,682,731	24,260,254	3,336,654	0	27,596,908		4,079,398	1,789,924	94,497	5,774,825	21,822,083
												20,180,857

Continued on next page

जारी...

(राशी रुपयों में)

## अनुसूची 8 - स्थिर आस्तियाँ

विवरण	ग्रास ब्लाक							हास				नेट ब्लाक	पिछले वर्ष के समाप्ति तक
	1.4.1999 से पूर्व	1.4.1999 के बाद	31.3.2005 को कुल	2005-06 को जोड़	2005-06 के लिए निकाले गए	31.3.2006 तक	%	31.3.2005 तक	2005-06 वर्ष के लिए निकाले गये	वर्ष 2005-06 के लिए निकाले गये	कुल		
8. वाहन	2,630,866	895,292	3,526,158	0	423,092	3,103,066	15%	2,816,312	138,824		2,955,136	147,930	286,754
9. फर्नीचर व फिक्स्चर	5,790,045	1,877,818	7,667,863	850,461	0	8,518,324	10%	504,613	272,828		777,441	7,740,883	7,163,250
10. पुस्तकालय पुस्तकें	5,653,965	5,049,186	10,703,151	1,453,705	0	12,156,856	100%	10,703,151	1,453,705		12,156,856	0	0
11. अन्य स्थिर आस्तियाँ (टी.वी.स्पाट्स)	4,971,084	115,000	5,086,084	0	0	5,086,084	100%	115,000	4,971,084		5,086,084	0	4,971,084
<b>उपकुल</b>	<b>19,045,960</b>	<b>7,937,296</b>	<b>26,983,256</b>	<b>2,304,166</b>	<b>423,092</b>	<b>28,864,330</b>		<b>14,139,076</b>	<b>6,836,441</b>		<b>20,975,517</b>	<b>7,888,813</b>	<b>12,421,088</b>
<b>वर्तमान वर्ष के कुल</b>	<b>92,721,697</b>	<b>89,218,253</b>	<b>181,939,950</b>	<b>6,068,038</b>	<b>423,092</b>	<b>187,584,896</b>		<b>22,079,079</b>	<b>9,721,096</b>	<b>94,497</b>	<b>31,705,678</b>	<b>155,879,218</b>	<b>159,437,780</b>
<b>गत वर्ष</b>	<b>93,172,490</b>	<b>27,578,843</b>	<b>120,751,333</b>	<b>54,623,112</b>	<b>919,029</b>	<b>174,455,416</b>		<b>4,768,608</b>	<b>7,893,496</b>		<b>12,662,104</b>	<b>161,793,312</b>	
<b>बी. पूँजी कार्य प्रगति</b>	<b>0</b>	<b>84,500,000</b>	<b>84,500,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>114,500,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>114,500,000</b>	<b>84,500,000</b>
<b>कुल</b>	<b>92,721,697</b>	<b>173,718,253</b>	<b>266,439,950</b>	<b>36,068,038</b>	<b>423,092</b>	<b>302,084,896</b>		<b>22,079,079</b>	<b>9,721,096</b>	<b>94,497</b>	<b>31,705,678</b>	<b>270,379,218</b>	<b>243,937,780</b>

(भाडा क्रय के आधार पर उपरोक्त में सम्मिलित की दरों पर नोट दें)

- क) रु.959520/- राशी औंडप्रदेश सरकार द्वारा टी.सी.ए.डी. माध्यम से 1983-84 में एन.आई.एम.एच. सिकंदराबाद को बेची गई 19.20 एकड़ भूमि के संदर्भ में है। मंत्रालय के निर्देशानुसार इस भूमि के एक भाग को ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच., एस.आर.सी. को उनके अपने भवनों का निर्माण के लिए मुफ्त में दिया गया।
- ख) रु.2037763/- की अतिरिक्त धनराशी पूर्ण स्वामित्व भूमि में सिडको, मुम्बई द्वारा एन.आई.एम.एच. के बेजी गई भूमि दर्शाता है।
- ग) पट्टा धृति भूमि में 7,120.30 च.मी.की भूमि नोएडा से रुपये 283,65,920/- की दर से खरीदी गई भूमि 99 वर्ष के पहुँच की अवधि से संबंधित है। प्रति वर्ष रुपये 286, 524/- की दर से 99 वर्ष की पहुँच की अवधि में पहुँच धृति भूमि का राइट आफ किया गया।
- घ) एन.आई.ओ.एच. कोलकता द्वारा मुफ्त में दी गई भूमि पर एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र तथा ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. के भवनों का निर्माण किया गया।
- च) रुपये 5,97,43,237/- के भवनों में ट्यूबवेल तथा पानी आपूर्ति भी है जिसका अलग से नहीं दर्शाया गया।
- छ) 1.4.1999 के पूर्व पाप्त वाहन तथा पुस्तकालय के पुस्तकों पर पूरा हास दिया गया।
- ज) रु.4,23,092/- राशी पिछले वर्षों में बेची गई पुराने वाहनों के मूल दर है।
- झ) 1.4.1999 के पहले प्राप्त स्थिर आस्तियाँ (टी.वी.स्पाट्स) पर पूरा हास दिया गया।
- ऋ) पूँजी काम की जारी : इसमें सी.पी.डबल्यू.डी. नोएडा, सी.पी.डबल्यू.डी., मुम्बई तथा सी.पी.डबल्यू.डी. हैदराबाद को दी गई अग्रिम भी शामिल है। विवरण अनुलग्नक में दर्शाया गया है।

ह/-  
लेखा अधिकारी



**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ अग्रिम / जमा**

क्र.	जमा की तिथि	जमा की गई राशि (रु.)	प्रयोजन	टिप्पणी
क.	सी.पी. डब्ल्यू.डी., मुम्बई 27.02.2004	3,500,000	एन.आई.एम.एच.क्षे.के. के भवनों का निर्माण	कार्य अभि आरंभ करना है
	कुल	3,500,000		
ख.	सी.पी.डब्ल्यू.डी. हैदराबाद 24.09.2001 27.09.2001 28.02.2001 22.03.2002 10.06.2002 12.09.2002 04.02.2003 04.02.2003 1 01.08.2003 2 27.02.2004	50,000 450,000 200,000 700,000 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 15,000,000	मुख्यालय में अतिरिक्त भवनों का निर्माण के लिए	कार्य जारी है
	कुल	21,000,000		
ग.	सी.पी.डब्ल्यू.डी. नोएडा 1 24.12.2004 2 28.02.2005 3 31.03.2005 4 24.01.2006	30,000,000 20,000,000 10,000,000 30,000,000	एन.आई.एम.एच एम.एस.ई.सी. तथा एन.आई.एम.एच. क्षेत्रीय केन्द्र के भवनों का निर्माण	कार्य अभि आरंभ करना है
	कुल	90,000,000		
	सकल योग	114,500,000		

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 9 - चिह्नित /धर्मदाय निधियों में निवेश	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी सेक्युरिटी में		
2. अन्य अनुमोदित सेक्युरिटी में		
3. शेयर		
4. डिबेंचर तथा बॉँड		
5. सबसिडरीस तथा जॉइन्ट वेन्चर्स		
6. अन्य (विवरण दें)		
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. सरकारी सेक्युरिटी		
2. अन्य अनुमोदित सेक्युरिटी में		
3. शेयर		
4. डिबेंचर तथा बॉँड		
5. सबसिडरीस तथा जॉइन्ट वेन्चर्स		
6. अन्य (विवरण दें)		
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

ह/-  
लेखा अधिकारी



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) वर्तमान आस्तियाँ		
1. वस्तु सूची		
क) स्टोर्स तथा स्पेर्यस		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टाक इन ट्रेड		
पूर्ण की गई वस्तुएँ		
कार्य हो रही		
मूल सामग्री		
2. संडी डेटर्स		
क) छ: महीने से अधिक अवधि तक बकाया ऋण		
ख) अन्य		
3. हाथ में शेष रोकड़ (चेक / ड्राफ्ट तथा इम्प्रेस्ट सहित)	8,605	8,605
4. बैंक शेष	(अनुबंध-2)	47,322,251
क) अनुसूची बैंकों में		
- वर्तमान खाते पर		
- जमा खाते पर (मार्जिन राशी सहित)		
- बचत खाते पर		
ख) अननुसूची बैंकों में		
- वर्तमान खाते पर		
- जमा खाते पर (मार्जिन राशी सहित)		
- बचत खाते पर		
5. डाक घर - बचत खाते	344,967	344,967
<b>कुल (क)</b>	<b>47,675,823</b>	<b>47,675,823</b>
		19,737,125
		19,737,125

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि (जारी..)	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
ख) ऋण, अग्रिम व अन्य आस्तियाँ				
1. ऋणः				
क) कर्मचारी	(अनुबंध-3)	8,894,345	8,894,345	10,099,174
ख) इस संगठन के समान उद्देश्य / क्रियाकलापों में नियुक्त अन्य संगठन				
ग) अन्य (उल्लेख करें)				
2. अग्रिम तथा अन्य राशी जिनका नकद या अन्य रूप में उस मूल्य का वसूली की जा सकती है।				
क) पैंजी खाते पर				
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य	(अनुबंध-3)	6,975,741	6,975,741	7,629,983
3. जमा की गई आय				
क) चिह्नित / धर्मदाय निधियों पर निवेश				
ख) निवेश - अन्य				
ग) ऋण व अग्रिम पर				
घ) अन्य	(अनुबंध-6)	9,900,000	9,900,000	31,200,000
(अप्राप्य आय रु.... भी शामिल हैं)				31,200,000
4. प्राप्त होने वाले दावे				
कुल (ख)		25,770,086	25,770,086	48,929,157
कुल (क + ख)		73,445,909	73,445,909	68,666,282
		68,666,282		

ह/-  
लेखा अधिकारी



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 12 - बिक्री / सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) बिक्री से आय क) अंतिम वर्षुओं की बिक्री ख) मूल सामग्री की बिक्री ग) रक्षण की बिक्री		
2) सेवाओं से आय क) श्रमिक तथा प्रक्रिया के खर्च ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएँ ग) संगठन कमीशन तथा ब्रोकरेज घ) रखरखाव सेवाएँ (उपस्कर / संपत्ति) च) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	शून्य	शून्य

अनुसूची 13 - अनुदान / सबसिडी (अटल अनुदान तथा सब्सिडीज पाप्त)	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार 3. सरकारी संगठन 4. संस्थान / कल्याण विभाग 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6. अन्य (उल्लेख करें)	(अनुबंध-6)	136,900,000
		122,500,000
	(अनुबंध-6)	49,724,605
		59,836,488
कुल	186,624,605	182,336,488

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 तक की तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रुपयों में)

अनुसूची 14- शुल्क /अंशदान		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) संबंधित शुल्क		829,500	1,063,315
2) पाठ्यकम शुल्क (डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, तथा पमाण पत्र पाठ्यकम)		4,407,815	4,107,140
3) प्रवेश शुल्क			
4) वार्षिक शुल्क / अंशदान			
5) संगोष्ठि / कार्यकम शुल्क			
6) परामर्शी शुल्क			
7) अन्य (उल्लेख करें)			
<b>कुल</b>		<b>5,237,315</b>	<b>5,170,455</b>
नोट प्रत्येक मद के लिए लेखा नीति संलग्न करना है।			

अनुसूची 15 - निवेशों में से आय	चिह्नित निधि से निवेश	निवेश - अन्य	
(चिह्नित / धर्मदाय निधियों में से निवेश जिसका निधियों में आंतरित किया गया)	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष
1) व्याज क) सरकारी सेक्युरिटी पर ख) बॉड / डिवेन्चर			
2) डिविडेन्ड क) शेयरों पर ख) म्युचुवल फंड सेक्युरिटी पर			
3) किराया			
4) अन्य (उल्लेख करें)			
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
चिह्नित / धर्मदाय निधियों को आंतरित			

ह/-  
लेखा अधिकारी



## वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2006 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 16 - रायल्टी, प्रकाशन, आदि से आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) रायल्टी से आय	17,810	42,938
2) प्रकाशनों से आय	903,485	801,523
3) अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	921,295	844,461

अनुसूची 17 - अर्जित व्याज	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) अवैधिक जमाओं पर क) अनुसूची बैंकों में ख) अननुसूची बैंकों में ग) संस्थानों में घ) अन्य		
2) अवैधिक जमाओं पर क) अनुसूची बैंकों में ख) अननुसूची बैंकों में ग) संस्थानों में घ) अन्य	478,620	84,581
3) ऋणों पर क) कर्मचारी / स्टाफ ख) अन्य		
4) डेटास तथा अन्य प्राप्तियों पर व्याज		
कुल	478,620	84,581

नोट : स्त्रोत पर घटाई गई कर की सूचना दें।

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 18 - अन्य आय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1) आस्तियों के विक्रय पर लाभ		
क) अपनी आस्तियाँ		
ख) प्राप्त अनुदान से प्राप्त आस्तियाँ या निशुल्क आस्तियाँ		
2) कार्यात्मक प्रोत्साहन कार्यान्वयन		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	756,313	658,901
4) वापसी	25,224	
5) विविध आय	242,787	81,939
<b>कुल</b>	<b>1,024,324</b>	<b>740,840</b>

अनुसूची 19 - अंतिम वस्तुएँ तथा कार्य हो रही वस्तुओं पर बढ़ावा / घटावा	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) अंतिम स्टाक		
- पूरी की गई वस्तुएँ		
- कार्य हो रही वस्तुएँ		
ख) घटाएँ : आदि स्टाक		
- पूरे की गई वस्तुएँ		
- कार्य हो रही वस्तुएँ		
<b>नेट बढ़ावा / घटाव (क-ख)</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

ह/-  
लेखा अधिकारी



## वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

31 मार्च, 2006 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

राशी रुपयों में

अनुसूची - 20 - कार्यक्रम तथा सेवाओं पर व्यय		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
मानव संसाधन विकास	(अनुबंध-7)	15,144,142	12,487,520
अनुसंधान एवं विकास		2,374,567	2,312,887
सेवा प्रतिमानों का विकास		3,504,752	2,517,211
परामर्शी सेवाएँ		864,199	857,049
प्रलेखन तथा प्रचार		2,753,932	4,395,695
विस्तारण तथा अडटरीच सेवाएँ		7,374,986	8,277,418
स्टाफ कल्याण खर्च		69,223	41,704
<b>कुल</b>		<b>32,085,801</b>	<b>30,889,484</b>

अनुसूची 20क - स्थापना खर्च		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) वेतन तथा मजदूरी		20,822,695	20,452,168
ख) भत्ता तथा बोनस		1,388,468	1,508,407
ग) प्राविडेंट निधि को अंशदान			
घ) अन्य निधि (उल्लेख करें) को अंशदान			
च) कर्मचारी सेवा निवृत्ति तथा टेर्मिनल सुविधाओं पर व्यय		0	1,815,895
छ) अन्य (उल्लेख करें)		19,014,788	
<b>कुल</b>		<b>41,225,951</b>	<b>23,776,470</b>

अनुसूची 20ख - अन्य कार्यक्रम खर्च		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) उत्तर पूर्व राज्य		3,194,645	1,163,769
ख) एडिप योजना		32,714,324	23,848,385
ग) पायलेट परियोजना		36,007,547	
घ) सी.आर.सी. भोपाल		8,170,000	
च) अन्य खर्च		689,477	
छ) एडिप खाते को आंतरण		21,000,000	
<b>कुल</b>		<b>101,775,993</b>	<b>25,012,154</b>

ह/-  
लेखा अधिकारी

**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**  
**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद**  
**31 मार्च, 2006 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1. समर्थन सेवाओं पर खर्च	4,665,589	3,607,641
2. बिजली तथा विद्युत शक्ति	1,497,292	1,677,992
3. बीमा	103,810	105,114
4. मरम्मत तथा रखरखाव	2,860,329	2,380,655
5. वाहन चलन तथा रखरखाव	977,356	898,006
6. डाक, दूरभाष तथा संप्रेषणीय खर्च	1,333,298	1,648,082
7. मुद्रण व स्टेशनरी	1,090,804	842,929
8. यात्रा तथा परिवहन खर्च	565,268	764,284
9. लेखा परीक्षा परिश्रमी	55,560	216,057
10. आंतरिक लेखा परीक्षा-परामर्शी शुल्क	150,000	
11. आस्तियों के विक्रय से नष्ट	0	0
12. विज्ञापन तथा प्रचार	227,804	344,736
13. वसूली	0	1,421,747
14. विविध खर्च	461,011	1,008,471
<b>कुल</b>	<b>13,988,121</b>	<b>14,915,714</b>

ह/-  
**लेखा अधिकारी**



**वित्तीय विवरण फार्म (गैर-लाभकारी संगठन)**

**संगठन का नाम : राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**

**31 मार्च, 2006 को समाप्त आय तथा व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ**

(राशी रूपयों में)

अनुसूची 22 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) संस्थानों / संगठनों की डी गई अनुदान		
ख) संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी		
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

नोट: संस्थानों के नाम, उनके क्रियाकलाप, अनुदान / सब्सिडी की राशी सहित संलग्न करना चाहिए।

अनुसूची 23 - ब्याज	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क) स्थिर ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक खर्च सहित)		
ग) अन्य (उल्लेख करें)		
<b>कुल</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

ह/-  
लेखा अधिकारी

## लेखों संबंधी नीति

निम्नलिखित के संबंध में सही लेखा खाताओं को रखने के लिए, वर्ष 1999-2000 से संस्थान द्वारा अनुपालन की जाने वाली लेखों संबंधी नीति निम्नानुसार है:-

- क) सभी राशियों की प्राप्ति तथा खर्च और रसीद तथा भुगतान से संबंधित विषय,
  - ख) सभी प्राप्त / वसूली योग्य रेवेन्यु / आय / तथा भुगतान / देय व्यय।
  - ग) वस्तुओं की खरीदी तथा बिक्री, और
  - घ) संस्थान के सभी कार्यकलापों के सही और स्पष्ट रूप देने के लिए सभी आस्तियाँ और दायित्व
1. संस्थान के लेखें एक्रुयल आधार पर रखें जाएंगे, ताकि उनके मुख्य लक्षणों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकें, जैसे (क) रेवेन्यु को मान्यता दी जाती है क्यों कि नकद पाप्त हो या नहीं, वह अंजित की जाती है, तथा (ख) ऐसे रेवेन्यु के पति खर्च बराबर रहेगा।
  2. चूँकि संस्थान के लेखें एक्रुयल के आधार पर होंगे, अतः कट आफ तिथि 15 अप्रैल रहेगा।
  3. संस्थान के लेखें बुक कीपिंग के डबल एन्ट्री पद्धति में रखें जाएंगे।
  4. सही पहचान तथा रिकार्ड के लिए, लेखों के शीर्षों की कोडीकरण करना चाहिए।
  5. संस्थान के लेखों के विवरण निम्नप्रकार होना चाहिए।
    - i) रसीद तथा भुगतान खाता, वर्ष .....
    - ii) आय तथा व्यय खाता, वर्ष .....
    - iii) 31 मार्च..... को समाप्त तुलन पत्र

### स्पष्टीकरण:

- i) रसीद तथा भुगतान खाता
  - क) सभी वास्तविक रसीदों का खाता रखें,
  - ख) सभी वास्तविक भुगतानों का खाता रखें
- ii) आय तथा व्यय खाता

वास्तविक रसीद तथा भुगतान के प्रत्येक मद का खाता रखने के अतिरिक्त, जमा की गई आय, तथा देय दायित्व का प्रत्येक लेख के शीर्ष को जोड़ना चाहिए ताकि सही प्रस्तुती हो और आय तथा व्यय के सर्वोपरि स्थिति जान सकें।



iii) मार्च 31 की तुलन पत्र

दायित्व

- 1) मूल निधि
- 2) रिजर्व
- 3) हस्तगत ऋण
- 4) अहस्तगत ऋण
- 5) वर्तमान दायित्व

आस्तियाँ

- 1) स्थिर आस्तियाँ, हास घटाएँ
- 2) निवेश
- 3) वर्तमान आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम
- 4) विविध खर्च (रद कर दी गई तक)
- 5) आय तथा व्यय खाता

नोट: लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियों जहाँ पर आवश्यक हो, तैयार कर, लेखों के साथ संलग्न करना चाहिए।

## 6. हास

अब तक, संरथान द्वारा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त हुए अनुदानों से खरीदी आस्तियों पर कोई हास नहीं दिया जा रहा है। परन्तु, लेखा परीक्षा के समय, आस्तियों पर हास देना चाहिए। यदि हास वर्ष 1984-85 से दी जा रही हो तो, ऐसे हास पर खर्चा संरथान के मूल निधि खा जाएगी। अतः हास देने के लिए नीति बनाना पार्माणिक बन जाता है। तदनुसार, हास की पावधान के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शनों का अनुपालन करना होगा:

- i) 1.4.1999 को या तत्पश्चात् प्राप्त स्थिर आस्तियों पर वर्ष-वार हास देना,
- ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अनुसार रिटन डाउन वैल्यु पद्धति की जगह स्ट्रैट लाइन मेथड अपनाएँ।
- iii) स्ट्रैट लाइन पद्धति के अंतर्गत हर एक आस्ती का जीवन प्रमाण और हास के दर निम्नानुसार है-
 

क) भूमि	: कोई हास नहीं
ख) शेड या वाल पार्टीशन जैसे अस्थाई भवन	: कोई जीवन नहीं 10% हास वाल पार्टीशन्स को दिया जाना चाहिए।
ग) कार्यालय तथा आवासीय क्वार्टर जैसे स्थाई भवन	: 50 वर्ष का जीवन, 2% हास
घ) प्लैन्ट एन्ड मशीनरी तथा एक्विपमेंट	

  - 1) ए.सी. प्लैट : 10 वर्ष - 10%
  - 2) मशीनरी : 10 वर्ष - 10%
  - 3) क) कार्यालय उपस्कर आडियो तथा वीडियो सहित : 5 वर्ष - 20%
  - ख) कम्प्यूटर : 5 वर्ष - 20%

च) फर्नीचर, फिक्स्चर, तथा फिटिंग	
----------------------------------	--

  - 1) फर्नीचर : 10 वर्ष - 10%
  - 2) फिक्स्चर तथा फिटिंग : कोई जीवन नहीं - 100%

छ) परिवहन वाहन	: 6वर्ष - 15%
----------------	---------------

  - ज) पुस्तकालय के पुस्तकें तथा जर्नल : कोई जीवन नहीं - 100%
  - झ) टी.वी.स्पार्ट्स : कोई जीवन नहीं - 100%

## स्पष्टीकरण :

### १. अ) भवन

- i) नए भवनों के निर्माण में, मौजूदा भवनों के अतिरिक्त निर्माण या संशोधन, आस्ती के रूप में बताया जाएगा तथा आस्तियों के मूल्य को जोड़ा जाएगा।
- ii) मौजूदा भवनों के अतिरिक्त निर्माण या संशोधन, जिसका खर्च 5000/- रुपयों से कम हो, वह रेवेन्यु खर्च माना जाएगा और वर्ष के दौरान की खर्च से बटे खाते में डाला जाएगा।
- iii) मरम्मत व रखरखाव पर खर्च की गई राशी रेवेन्यु खर्च माना जाएगा और वर्ष के दौरान की खर्च से बटे खाते में डाला जाएगा।  
उदा : वाईट वाश, कलरिंग, रिप्लेसमेंट, मरम्मत, आदि।

### ख) प्लैट एन्ड मशीनरी

- i) प्लैट, मशीनरी तथा एक्विपमेंट पर 2,500/- रुपये या अधिक राशी मूल खर्च के रूप में माना जाएगा और वर्ष के दौरान वह आस्ती माना जाएगा। 2,500/- रुपयों की राशी से कम खर्च को रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान की खर्च से बटे खाते में डाला जाएगा।
- ii) मरम्मत, पुनःस्थापन या रखरखाव रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान माना जाएगा।

### ग) फर्नीचर, फिकस्चर तथा फिटिंग

- i) फर्नीचर पर की गई कोई भी खर्च को पूंजी में परिणत किया जाएगा तथा आस्तियों को जोड़ा जाएगा, बशर्ते कि यह खर्च 1000/- रुपयों की राशी से अधिक हो।
- ii) मरम्मतों पर की गई खर्च रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान बटे खाते में डाला जाएगा।
- iii) फिकस्चर्स पर की गई कोई भी खर्च रेवेन्यु खर्च माना जाएगा तथा वर्ष के दौरान बटे खाते में डाला जाएगा।

### घ) परिवहन वाहन

- i) कोई बड़े मरम्मतों पर की गई खर्च, परिवहन वाहन के शामिक सहित, आस्तियों में दिखाया जाएगा, बशर्ते कि, यह खर्च 20,000/- रुपयों से अधिक हो और यह आस्ती माना जाएगा।
- iv) आस्ती खरीदी गई तिथि जो भी हो, हास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए दिया जाएगा।

ह/-  
लेखा अधिकारी



## वार्षिक लेखों के अंग स्वरूप टिप्पणियाँ

1. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के वर्ष 2002-03 के लेखें निम्न रूपों में संकलन किया गया : क) रसीद तथा भुगतान खाता, ख) आय तथा व्यय खाता, और ग) तुलन पत्र। वर्ष 2003-04 और तब से, यह फार्मेट केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (गैर लाभकारी संगठन व तत्समान संस्थान) के वित्तीय विवरण के रूप में बदल दिया गया है जिसका कार्यकारिणी परिषद् द्वारा अपने 23.2.2005 को सम्पन्न हुई 70वीं बैठक के दौरान अनुमोदित की गई जो निम्नानुसार है :
  - क) 31 मार्च 2006 को तुलन पत्र
  - ख) आय तथा व्यय खाता वर्ष 2005-06
  - ग) फार्मेट के अनुसार अनुसूचियाँ 1-25 तक
  - घ) रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2005-06
2. स्थिर आस्तियाँ : लेखे नीतियों के अनुसार 1.4.1999 के बाद की आस्तियों पर हास दिया गया। परन्तु, 2004-05 वर्ष में, 1.4.1999 के पहले प्राप्त आस्तियाँ, अर्थात्, वाहन तथा पुस्तकालय के पुस्तकों पर हास दिया गया ताकि संस्थान के बहियों में किये गये उल्लेख सही हो। तदनुसार अन्य आस्तियों पर हास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
3. लेखे प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।
4. लेखे नीति के अनुसार 1.4.1999 को तथा तत्पश्चात् प्राप्त आस्तियों पर स्ट्रेट लाईन पद्धति में हास का प्रावधान दिया जा रहा है।
5. लेखे नीति बनाएं गये हैं और अनुपालन किया जा रहा है।
6. डाक व तार के 96,090/- की जमा राशी का विश्लेषण कर बड़े खाते में डाला जाएगा।
7. हास घटाने के बाद 15,58,79,218/- रुपयों के राशी के स्थिर आस्तियाँ रहे।
8. कुल 32,08,19,150/- रुपयों की प्राप्तियों में से (जिसमें आदि शेष, अनुदान सहायता, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान, अन्य संगठनों से प्राप्तियाँ, ऋण व अग्रिम तथा आंतरिक रसीद सम्मिलित हैं), विभिन्न क्रियाकलापों पर खर्च की गई राशी 26,64,55,820/- रुपये रहा और शेष राशी 5,43,63,330/- रुपये रहा।
9. 2005-06 वर्ष के लिए आस्तियों की भौतिकी जाँच का कार्य जारी है।
10. मंत्रालय द्वारा प्रदान अनुदानों पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई और कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित नहीं हैं।
11. जहाँ कहीं आवश्यक हो, आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया गया।

ह/-

लेखा अधिकारी

क) वर्ष 2005-06 के लिए संदर्भी क्रेडीटर्स

क्र.	विवरण	01.04.2005 को आदि शेष	वर्ष के दौरान जोड़े गये	कुल	वर्ष के दौरान भुगदान	वर्ष के अंत तक शेष
1	मनोरंजन वल्व	30,295	1,740	32,035	0	32,035
2	ई.एम.डी.	312,850	511,000	823,850	231,000	592,850
3	लेखा पीरीक्षा शुल्क	51,057	0	51,057	51,057	0
4	सुरक्षा जमा	644,619	320,840	965,459	676,548	288,911
5	जी.एस.एल.आई.सी.	33,650	266,723	300,373	271,723	28,650
6	एन.पी.सी.-अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान	220,500	0	220,500	0	220,500
7	सुरक्षा जमा	94,573	113,924	208,497	94,573	113,924
8	सैनिटेशन व सफाई	70,668	85,417	156,085	70,668	85,417
9	बागबानी व प्लंबिंग	55,024	84,083	139,107	55,024	84,083
10	मरम्मत व रखरखावा	876,630	900,000	1,776,630	0	1,776,630
11	अवधान द्रव्य जमा	0	230,700	230,700	0	230,700
12	अन्य (डी.वी.टी.ई.एम.आर.-भूटान विद्यार्थी)	0	40,000	40,000	27,500	12,500
13	परामर्शी - कोलकता भवन	135,000	0	135,000	135,000	0
14	ए.वाई.जे.एन. आई.एच.एच.- कोलकता	1,372,000	0	1,372,000	1,372,000	0
	कुल	3,896,866	2,554,427	6,451,293	2,985,093	3,466,200

ह/-  
लेखा अधिकारी



अनुबंध - 2  
अनुसूची - 11 ए

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद 3**  
**नकद, बैंक तथा डाक घर के 31.3.2006 तक अंतिम शेष**

क्र.		हाथ रोकड	बैंक रोकड लेखा खाता सं.16 व 25	डाक घर लेखा खाता 128413	डाक घर लेखा खाता 760258	पी.व जी खाता खाता सं. 15546	एडिप योजा खाता 21404	कुल
1	एन.आई.एम.एच., सिकंदराबाद	1,200	17,643,565	100,712	244,255	19,079,824	8,451,940	45,521,496
2	एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	2,500	669,851	-	-	-	-	672,351
3	एन.आई.एम.एच., क्षे.के. नई दिल्ली	1,000	627,648	-	-	-	-	628,648
4	एन.आई.एम.एच. क्षे.के. मुम्बई	2,000	286,469	-	-	-	-	288,469
5	एन.आई.एम.एच. क्षे.के.कोलकता	1,905	562,954	-	-	-	-	564,859
	कुल	8,605	19,790,487	100,712	244,255	19,079,824	8,451,940	47,675,823

पी.एन.बी.खाता सं16  
पी.एन.बी.खाता सं.25

6,262,961

18,068,111

24,331,072

घटाएँ: एन.आई.ई.पी.एम.डी.

6,687,507

17,643,565

ह/-  
लेखा अधिकारी

ऋण व अग्रिम

क्र.	विवरण	01.04.2005 तक आदि शेष	2005-06 के दौरान ऋण/भुगतान	कुल	2005-06 में वसूल की गई ऋण	31.3.2006 तक नेट शेष
1	कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम					
1.1	गृह निर्माण अग्रिम	7,889,074	316,200	8,205,274	762,958	7,442,316
1.2	परिवाहन अग्रिम	1,794,883	60,000	1,854,883	590,931	1,263,952
1.3	कम्प्युटर अग्रिम	287,542	0	287,542	252,940	34,602
1.4	त्योहार/फैन अग्रिम	127,675	66,000	193,675	40,200	153,475
	कुल	10,099,174	442,200	10,541,374	1,647,029	8,894,345
2	नकद या अनुग्रह रूप में वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य द्रव्य					
2.1	पूँजी खाते पर					
2.1.1	कार्यक्रमों का आयोजन के लिए संस्थान के अधिकारियों को अग्रिम 0		1,211,975	1,211,975	0	1,211,975 (अनुबंध.4)
2.1.2	डी.डी.आर.सी.	3,779,794	8,860,006	12,639,800	7,374,986	5,264,814 (अनुबंध.5)
2.1.3	यु.एस.आई.एफ.	500,000	0	500,000	500,000	0
	कुल	4,279,794	10,071,981	14,351,775	7,874,986	6,476,789
2.1.4	पूर्व भुगतान - पी.एन्ड टी से जमा	96,090	0	96,090	0	96,090
2.1.5	निरटार	0	402,862	402,862	0	402,862
2.1.6	सी.आर.सी.भोपाल	2,898,000	0	2,898,000	2,898,000	0
2.1.7	आर.सी.आई.मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम	191,099	0	191,099	191,099	0
2.1.8	एन.आई.वी.एच.-एन.पी.सी. मूल्यांकन के शेयर	165,000	0	165,000	165,000	0
	कुल	3,350,189	402,862	3,753,051	3,254,099	498,952
	सकल योग	17,729,157	10,917,043	28,646,200	12,776,114	15,870,086

ह/-  
लेखा अधिकारी



अनुबंध-4  
अनुसूची 11-बी

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद**  
**कार्यक्रमों का आयोजन के लिए अधिकारी**  
**व कर्मचारियों से बकाया अग्रिम - 2005-06**

क्र.	अधिकारी का नाम	अग्रिम की तिथि	राशी रुपयों में	खाते का शीर्ष
1.	श्री गणेश शेरेगर	3.10.2005	19,900	यात्रा / दैनिक भत्ता
2.	श्री वी.एस.रामचंद्रन	5.10.2005	9,800	यात्रा/ दैनिक भत्ता
3.	श्री टी.पिचैया	20.2.2006	29,000	यात्रा / दैनिक भत्ता
4.	श्री टी.पिचैया	27.3.2006	40,000	यात्रा / दैनिक भत्ता
5.	श्री पी.महावीर सिंह	21.1.2006	3,500	एच.आर.डी/एल.टी.सी./डी.वी.टी.ई. (एम.आर.)
6.	श्री जी.श्रीकृष्ण	25.1.2006	4,500	खेल-कूद कार्यक्रम
7.	श्री जी.श्रीकृष्ण	8.3.2006	3,000	एस.डबल्यू.ए. / कर्मचारी प्रशिक्षण
8.	श्री जी.श्रीकृष्ण	20.2.2006	40,575	खेलकूद कार्यक्रम
9.	श्री जी.श्रीकृष्ण	22.3.2006	400,000	उत्तर पूर्व कार्यक्रम
10.	श्री संपत्त सिंह	22.3.2006	4,200	एस.डबल्यू.ए. / एस.ए.एल./ एल.टी.सी.
11.	डा.सरोज आर्य	14.3.2006	70,000	उत्तर पूर्वी कार्यक्रम
12.	डा.सरोज आर्य	17.3.2006	400,000	उत्तर पूर्वी कार्यक्रम
13.	श्री जी.महेन्द्र रेड्डी	16.3.2006	12,000	वी.आर.एम.
14.	श्री टी.सी.शिवकुमार	23.3.2006	22,000	एच.आर.डी/एल.टी.सी. / एम.डी.आर.ए.
15.	श्री ए.मुरली कृष्ण	23.3.2006	15,700	एस.डबल्यू.ए. / कर्मचारी प्रशिक्षण
16.	श्री टी.चक्रवर्ती	24.3.2006	9,500	यात्रा / दैनिक भत्ता
17.	श्री ए.वेंकटेश्वरराव	24.3.2006	3,300	यात्रा / दैनिक भत्ता
18.	श्री जेड.लक्ष्मण मूर्ती	24.3.2006	3,300	यात्रा / दैनिक भत्ता
19.	श्री जी.वी.रेड्डी	27.3.2006	116,500	एस.डबल्यू.ए. / एस.ए.एल./ एल.टी.सी.
20.	श्री यु.विनोद कुमार	29.3.2006	5,200	एस.डबल्यू.ए. / एस.ए.एल./ एल.टी.सी.
	<b>कुल</b>		<b>1,211,975</b>	
	एच.आर.डी. / एल.टी.सी. / डी.वी.टी.ई.एम.आर. एच.आर.डी. / एल.टी.सी. / एम.डी.आर.ए. खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तर पूर्वी कार्यक्रम एस.डबल्यू.ए. / एस.ए.एल./ एल.टी.सी. एस.डबल्यू.ए. / कर्मचारी प्रशिक्षण यात्रा व दैनिक भत्ता वी.आर.एम.	3500 22000 45,075 870000 1,41,600 3000 114,800 12,000		
	<b>कुल</b>		<b>1,211,975</b>	

ह/-  
लेखा अधिकारी

अनुबंध - 5  
अनुसूची 11 वी

### डी.डी.आर.सी. के साथ अग्रिम

		1.4.2005 तक शेष	2005-06 में दी गई धन	खर्च	31.03.2006 तक शेष
1	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय	0	300,556	300,556	0
2	गुलबर्गा	474337	50,000	492,431	31906
3	मदुरई	60317	50,000	110,317	0
4	कोझिकोड	227955	50,000	272,689	5266
5	थ्रिसुर	117990	50,000	167,990	0
6	तिरुवनन्तपुरम	294434	300,000	530,467	63967
7	थूतुकूडि	90828	50,000	140,828	0
8	उज्जैन	230911	0	230,911	0
9	वर्धा	400000	50,000	450,000	0
10	माणड्या	204415	685,051	677,639	211827
11	करीमनगर	468165	713,615	533,515	648265
12	दिवास	236168	995,624	612,529	619263
13	सतना	8059	1,621,720	699,807	929972
14	दमो	478323	750,000	603,568	624755
15	बस्तर	357968	1,621,720	874,251	1105437
16	जशपुर	129924	1,571,720	677,488	1024156
17	इदोर	0	0	0	0
	कुल	3,779,794	8,860,006	7,374,986	5,264,814

ह/-  
लेखा अधिकारी

अनुदान / सब्सिडी

1) केन्द्र सरकार			
1 3-11/2005-NI-I, Dt. 01.08.2005	43,000,000	13,500,000	
2 3-11/2005-NI-I, Dt. 29.09.2005		13,500,000	
3 3-11/2005-NI-I, Dt. 19.10.2005	37,000,000		
4 3-11/2005-NI-I, Dt. 30.12.2005	20,000,000		
5 22-3/2006-NI-I, Dt. 31.03.2006 वर्ष 2005-06, के लिए मंजूर अनुदान जो 2006-07 में प्राप्त हुए	9,900,000		
कुल	109,900,000	27,000,000	
कुल योग		136,900,000	
6) अन्य (उल्लेख करें)			
1 पायलेट परियोजना के अंतर्गत सामग्री विकास के लिए प्राप्त अनुदान		38,632,500	
2 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एडिप योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान		7,000,000	
3 डी.डी.आर.सी के लिए अनुदान		1,050,000	
4 सी.आर.सी.भोपाल		2,898,000	
5 अन्य आय (अनुसूची 11-बी के अनुबंध का संदर्भ लें) क) आर.सी.आई.मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम 191099 ख) एन.आई.वी.एच.-एन.पी.सी. मूल्यांकन की अंशदान 165000	356099		
घटाएँ : आय प्रोद्भुत के रूप में 2004-05 में प्राप्त हो चुकी	211994	144,105	
कुल		49,724,605	

ह/-  
लेखा अधिकारी

## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद

### मानव संसाधन विकास

<b>1.</b>	<b>शिक्षक पशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता</b>			
1.	डी.एस.ई. (एम.आर.)	430,000		
2.	चेतना, लखनऊ	407,510		
3.	चेतना, भुवनेश्वर	430,000		
4.	एन.ई.आर.टी.आई.एम.एच., गुवाहती	421,866		
5.	बालविकास संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	430,000		
6.	वाइ अक्षर संस्थान, वाइ	407,308		
7.	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, वडोदरा	430,000		
8.	आल मणिपुर एम.एच., इम्फाल	429,999		
9.	बालविहार पशिक्षण विद्यालय, चेन्नई	397,424		
10.	दिग्दर्शिका, भोपाल	347,310		
11.	अर्पण संस्थान, रोहतक	407,788		
12.	दीपशिखा, रांची	299,000		
13.	प्रेम आश्रम, उना, हिमाचलप्रदेश			
14.	डी.वी.टी.ई. (एम.आर.)			
15.	शेल्टर, कोलकता	255,000		
	नवज्योति ट्रस्ट, चेन्नई	255,000		
	विजय हूमन सर्विसेस्, चेन्नई	292,000	5,640,205	
	घटाएँ : डा.टी.एम.ए. पाइ कालेज, उडपी से वसूली		65,604	5,574,601
<b>2.</b>	<b>दीर्घकालीन पाठ्यक्रम</b>			
(i)	<b>मुख्यालय</b>			
(क)	डी.एस.ई. (एम.आर.)	1,058,116		
(ख)	डी.वी.टी.ई. (एम.आर.)	180,875		
(ग)	डी.ई.सी.एस.ई. (एम.आर.)	66,562		
(घ)	बी.आर.एस.	3,032,104		
(च)	पी.जी.टी.ई.आई.	410,414		
(छ)	बी.एड.	360,589		
(ज)	एम.एड.	299,620		
(झ)	एम.डी.आर.ए.	468,238		
(ट)	एम.फिल.	161,027		
(ठ)	एस.ई.सी.	332,121	6,369,666	
	घटाएँ : वसूली		24,238	6,345,428
(ii)	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली			91,014
(iii)	एन.आई.एम.एच., क्षे.के., नई दिल्ली			968,042
(iv)	एन.आई.एम.एच. क्षे.के., मुम्बई			304,213
(v)	एन.आई.एम.एच. क्षे.के., कोलकता			998,997
				8,707,694
<b>3.</b>	<b>प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम</b>			72,789
<b>4.</b>	<b>अल्पकालीन पाठ्यक्रम</b>			
(i)	<b>मुख्यालय</b>	388,650		
(ii)	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	20,164		
(iii)	एन.आई.एम.एच., क्षे.के., नई दिल्ली	31,989		
(iv)	एन.आई.एम.एच. क्षे.के., मुम्बई	75,057		
(v)	एन.आई.एम.एच. क्षे.के., कोलकता	23,919		539,779
<b>5.</b>	<b>व्यावसायिक विकास कार्यक्रम</b>			274,779
	<b>कुल</b>			15,169,642
	घटाएँ: संस्थान के कर्मचारियों के पास लम्बित अग्रिम			25,500
				15,144,142

ह/-

लेखा अधिकारी

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद**  
**एडिप योजना**

**1.4.2005 से 31.3.2006 (2005-06) तक खर्च**

क्र.	डी.डी.आर. सी. केन्द्र का नाम	ओ.एच.	वी.एच.	एच.एच.	एम. एच.	शिविर खर्च व प्रशासनिक खर्च	शिविर	कुल
1.	तिरुवनन्तपुरम	213,311	-	-	-	-	-	213,311
2.	थिसुर	145,858	-	-	-	-	-	145,858
3.	कोझिकोड	213,929	-	21,948	-	-	100,000	335,877
4.	मदुराइ	2,286,037	-	412,940	-	-	1,000,000	3,698,977
5.	थुतुकूडी	861,438	-	265,970	-	-	500,000	1,627,408
6.	वर्धा	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुलबर्गा	1,005,476	-	105,840	-	-	-	1,111,316
8.	उज्जैन	-	-	-	-	-	-	-
9.	दिवास	-	-	-	-	-	-	-
10.	करीमनगर	5,142,926	144,429	391,240	-	-	100,000	5,778,595
11.	मान्ड्या	1,566,909	-	141,375	-	-	-	1,708,284
12.	सतना	-	-	-	-	-	2,438,000	2,438,000
13.	जशपुर	-	-	-	-	-	2,027,000	2,027,000
14.	बस्तर	-	-	-	-	-	3,189,000	3,189,000
15.	दामो	-	-	-	-	-	2,806,000	2,806,000
16.	दिवास	-	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
17.	एन.आई.एम.एच., मुख्यालय	53	-	-	-	69,900	-	69,953
18.	सी.आर.सी., भोपाल	-	-	-	-	-	-	-
19.	एन.आई.ई.पी.एम.डी. मुथुकाडु	18,898	-	98,500	-	-	-	117,398
20.	आई.पी.एच., क्षे.के.	9,284	-	-	-	-	-	9,284
21.	त्सुनामी खाता	655,474	-	559,023	-	-	-	1,214,497
	कुल	12,119,593	144,429	1,996,836	-	69,900	14,086,000	28,416,758
	सी.आर.सी., भोपाल							4,297,566
		कुल						32,714,324

ह/-  
लेखा अधिकारी

# राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद

## रसीद तथा भुगतान खाता वर्ष 2005-06

को	रसीद	2004-05	2005-06	भुगतान से	2004-05	2005-06
		रु.	रु.		रु.	रु.
	आदिशेष					
क)	हाथ रोकड़	44,500	6,700	मानव संसाधन विकास	12,487,520	15,169,642
ख)	बैंक रोकड़	9,615,601	6,192,706	अनुसंधान एवं विकास	2,312,887	1,874,567
ग)	डाक घर रोकड़	344,967	344,967	सेवा नमूनों का विकास	2,517,211	3,549,827
घ)	पेन्शन तथा ग्रेचुइटी निधि खाता	26,488	26,488	परामर्शी सेवाएँ	857,049	864,199
च)	एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	8,014,649	13,166,264	प्रलेखन तथा प्रचार	4,395,695	4,610,499
	सहायता अनुदान	106,400,000	158,200,000	विस्तार तथा अउटरीच सेवाएँ	6,877,212	8,926,905
	एन.आई.एम.एच. एडिप योजना	50,000,000	28,000,000	उत्तर पूर्वी सेवाएँ	4,143,177	4,064,645
	विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुदान	4,510,940	38,632,500	भूमि	8,260,473	427,218
	अन्य संगठनों से रसीद	26,113,554	2,898,000	भवन	0	64,090
	ऋण व अग्रिम की वसूली	1,836,409	1,647,029	सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्यों के लिए अग्रिम	61,650,000	30,000,000
	समायोज्य के लिए अन्य रसीद	1,226,563	2,064,415	उपकरण	3,067,050	3,272,564
	बैंक तथा डाक घर व्याज	84,581	440,072	फर्नीचर	561,424	850,461
	आंतरिक रसीद	6,755,756	7,296,673	एडिप योजना	44,848,385	32,714,324
	एन.आई.ई.पी.एम.डी. चेन्नई	0	41,800,000	एन.आई.ई.पी.एम.डी. व्यय	0	35,112,493
	डीडीआरसी अनुदान/कम्प्युटर/ओ.टी.- पी.टी.उपकरण		1,050,000	वसूली योग्य / समंजनीय अग्रिम	5,455,955	51,018,424
	पी.एण्ड जी. निधि खाते को आंतरण	0	19,014,788	पायलेट परियोजना	0	36,007,547
	पी.एण्ड जी. निधि खाते पर व्याज		38,548	स्थापना खर्च		
				वेतन, मजदूरी तथा भत्ता	26,654,165	23,105,054
				पेंशन तथा ग्रेचुइटी	0	1,872,067
				कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम	0	442,200
				समर्थन सेवाएँ	3,346,111	4,602,430
				कंटिंजेन्ट खर्च	2,085,671	2,288,277
				अन्य कार्यालय खर्च	5,716,898	5,618,387
				रोकड़ और बैंक आदिशेष		
				हाथ रोकड़	6,700	8,605
				बैंक रोकड़	6,192,706	26,477,994
				डाक घर रोकड़	344,967	344,967
				पेन्शन खाता रोकड़	26,488	19,079,824
				एडिप खाता रोकड़	13,166,264	8,451,940
	कुल रु.	214,974,008	320,819,150		214,974,008	320,819,150

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उपनिदेशक (प्र)

ह/-  
निदेशक



## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद

### वर्ष 2005-06 के लिए प्राप्तियों का विवरण

क्र. (1)	प्राप्ति (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्हई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
1	आदि शेष							
a)	हाथ रोकड़	1,200	2,500	1,000	1,000	1,000	6,700	6,700
b)	बैंक रोकड़						0	
(I)	पी.एन.बी. खाता सं.1	1,024,692	309,298	422,783	306,022	370,008	2,432,803	
(ii)	पी.एन.बी. खाता सं. 2	3,714,165					3,714,165	
(iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं. 20	45,738					45,738	
c)	डाक घर						0	
(I)	खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)	100,712					100,712	
(ii)	खाता सं. 760258 (एम.बी.एन.)	244,255					244,255	344,967
d)	पेशन व गेचुइटी निधि खाता	26,488					26,488	26,488
e)	एन.आई.एम.एच. एडिप खाता	13,166,264					13,166,264	13,166,264
2	सहायता अनुदान	158,200,000	6,000,000	3,600,000	2,300,000	2,800,000	172,900,000	172,900,000
2A	एडिप सहायता अनुदान	28,000,000					28,000,000	28,000,000
2B	एन.आई.ई.पी.एम.डी. अनुदान	41,800,000					41,800,000	41,800,000
3	विशेष प्रयोजनों के लिए अनुदान (पायलेट परियोजना)	38,632,500	427,218				39,059,718	39,059,718
4	अन्य संठनों से प्राप्तियाँ	2,898,000					2,898,000	2,898,000
4A	डी.डी.आर.सी. अनुदान	1,050,000					1,050,000	1,050,000
	पी.व.जी. खोंत को प्राप्तियों का आंतरण	19,053,336					19,053,336	19,053,336
5	ऋण व अग्रिम (समा.वसु)	0					0	
6	बैंक व डाक घर खाता से व्याज	373,915	13,751	24,265	17,695	10,446	440,072	
(I)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं. 20	0					0	
(ii)	पी.ओ. खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)	0					0	440,072
7	ऋण व अग्रिम की वसूलियाँ	1,646,579			450		1,647,029	1,647,029
8	आंतरिक प्राप्तियाँ						0	
(I)	संबंधित शुल्क	829,500					829,500	
(ii)	पाठ्यक्रम शुल्क	3,270,885	14,700	564,800	198,345	359,085	4,407,815	
(iii)	परीक्षा शुल्क	151,265					151,265	
(iv)	डी.एस.ई. (एम.आर.) नोट्स की विक्री	8,401					8,401	
(v)	विशेष शिक्षा केन्द्र व विद्यालय शुल्क	206,473	17,390				223,863	
(vi)	सामान्य सेवा	111,849	4,050				159,242	
(vii)	पुस्तकालय	861,593		23,339			903,485	
(viii)	अतिथि घृह	128,900	3,700				132,600	
(ix)	परिवार कुटीर	18,415					18,415	
(x)	कर्मचारी व्यापार / स्टाफ कार	189,454	5,820				195,274	
(xi)	क्वारटर्स गारेज						0	
(xii)	टेंडर विक्री	16,300	5,200				21,500	
(xiii)	जी.एस.एल.आई.सी.	266,723					266,723	
(xiv)	स्कालरशिप	38,505					38,505	
(xv)	ई.एम.डी.	321,000	190,000				511,000	
(xvi)	दान	1,931					1,931	
(xvii)	रायल्टी	17,810					17,810	
(xviii)	प्लेगाउन्ड किराया	6,216					6,216	
(xix)	अवधान द्रव्य जमा	133,200					230,700	
(xx)	एन.आई.एम.एच. रिक्रियेशन क्लब	1,740	49,000	18,500	30,000		1,740	
(xxi)	वापसी द्रव्य	1,015,747	3,986	1,520	5,136	19,056	1,015,747	
(xxii)	अन्य	189,658					219,356	
	कुल	317,763,409	6,997,613	4,686,707	2,861,072	3,637,567	335,946,368	9,361,088

## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिंकंदराबाद

**व्यय का विवरण - वर्ष 2005-06**

क्र. (1)	व्यय (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्राम योग (8)	सकल योग (9)
1	मानव संसाधन विकास							
a)	शिक्षक पशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता	5,574,601					5,574,601	
b)	दीर्घ कालीन पाठ्यक्रम	6,345,428	91,014	968,042	304,213	998,997	8,707,694	
c)	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	72,789					72,789	
d)	अल्प कालीन पाठ्यक्रम	388,650	20,164	31,989	75,057	23,919	539,779	
e)	व्यावसायिक विकास कार्यक्रम	274,779					274,779	
2	अनुसंधान एवं विकास	1,874,567					1,874,567	
3	सेवा प्रतिमानों का विकास							
a)	एलीन्टर्वेन्शन कार्यक्रम	677,000					688,039	
b)	सेवाएँ	883,848	29,800	2,170	232,255	271,990	1,420,063	
c)	दवाइयाँ	1,261,043	106		149		1,261,298	
d)	खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम	163,209		200	3,162	13,856	180,427	3,549,827
4	कन्सलटेन्सी सेवाएँ						0	
a)	राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला एवं संगोष्ठी	502,240					502,240	
b)	एन.जी.ओ. निरिक्षण एवं मार्गदर्शन	361,959					361,959	864,199
5	प्रलेखन एवं पचार						0	
a)	जागरूकता सूचन	1,026,826		25,914	6,212		1,058,952	
b)	सूचना तकनीकी	965,871					965,871	
c)	पुस्तकालय पुस्तकें	1,129,234	3,755	200,362	9,490	110,864	1,453,705	
d)	प्रलेखन	843,028		33,452		22,475	898,955	
e)	प्रकाशन एवं पुनर्मुद्रण	233,016					233,016	4,610,499
6	विस्तार एवं आजटरीच सेवाएँ	8,860,006		66,899			8,926,905	8,926,905
7	योजनाबद्ध संरचना						0	
a)	भूमि	427,218	427,218				854,436	854,436
b)	भवन	64,090					64,090	64,090
c)	सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम	30,000,000					30,000,000	30,000,000
d)	उपकरण	2,950,160		12,717	87,026	222,661	3,272,564	3,272,564
e)	फर्नीचर	572,106		40,748	97,884	139,723	850,461	850,461
f)	परिवहन वाहन	0					0	
8	एडिप व्यय	32,714,324					32,714,324	32,714,324
9	एन.आई. ई.पी.एम.डी.	35,112,493					35,112,493	35,112,493
10	पायलेट परियोजना	36,007,547					36,007,547	36,007,547
11	ए.आई.एम.एच. एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली	6,000,000					6,000,000	6,000,000
12	क्षेत्रीय केन्द्र	8,700,000					8,700,000	8,700,000
13	उत्तर पूर्व सेवाएँ	4,064,355				290	4,064,645	4,064,645
14	वेतन, मजदूर व भत्ता						0	
a)	वेतन	12,790,683	4,145,859	1,969,728	920,856	866,538	20,693,664	
b)	मजदूरी	91,300		700	37,031		129,031	
c)	ओवर टाईम भत्ता	77,584	6,340	6,553	929	5,325	96,731	
d)	ट्रॉशन फास की प्रतिपूर्ती	30,900	3,840	1,440	480	1,920	38,580	
e)	मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ती	825,867	68,498	251,032	6,430	15,754	1,167,581	
f)	रियायती छुट्टी यात्रा	187,341	15,797	11,244	5,850	6,944	227,176	
g)	यात्रा भत्ता	575,666	10,261	40,768	5,949	47,424	680,068	
h)	कर्मचारी प्रशिक्षण	59,608			12,615		72,223	23,105,054
	कुल	202,689,336	4,822,652	3,663,958	1,805,588	2,759,719	215,741,253	215,741,253



क्र. (1)	व्यय (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के. मुम्बई (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
i)	पेन्शन व ग्रेचुइटी	1,872,067					1,872,067	1,872,067
j)	ऋण व अग्रिम						0	
i)	गृह निर्माण अग्रिम	316,200					316,200	
ii)	परिवहन अग्रिम	30,000	30,000				60,000	
iii)	कम्प्यूटर अग्रिम	0					0	
iv)	त्योहार अग्रिम	39,000	22,500	3,000	1,500		66,000	
v)	पंखों का अग्रिम	0					0	
vi)	अन्य अग्रिम	0					0	
15	सेवाएँ						0	442,200
a)	सेनिटेशन व क्लीरिंग	1,220,607	288,272	4,490	23,798	20,538	1,557,705	
b)	सुरक्षा सेवा	1,574,480	393,116				1,967,596	
c)	बागबानी	794,406		1,370			795,776	
d)	इलैक्ट्रोनिक, प्लांटिंग, कैटरिंग	281,353					281,353	4,602,430
16	आकस्मिक खर्च						0	
a)	पी ओ एल	484,648	54,744	34,943		64,480	638,815	
b)	वी आर एम	212,630	108,865	9,359			330,854	
c)	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	914,861	18,898	39,212	58,998	58,835	1,090,804	
d)	विज्ञापन	126,303	26,894		19,715	54,892	227,804	2,288,277
17	अन्य व्यय						0	
a)	विजली	1,222,285	201,458	61,199	12,350		1,497,292	
b)	मानदेय व परिश्रमी	7,398		21,100			28,498	
c)	बीमा	89,531	9,223	5,056			103,810	
d)	मरम्मत एवं रखरखाव						0	
i)	भवन	78,021	44,411		490,745	3,960	617,137	
ii)	उपकरण	732,685	10,496	53,287	55,969	22,329	874,766	
iii)	फर्नीचर	21,679	1,640			6,905	30,224	
iv)	विजली संबंधी	134,544	15,480	13,840	7,987	9,691	181,542	
v)	मरम्मत, सामान व मजदूर	215,760	4,136	30,333	3,495	2,936	256,660	
e)	डाक व टेलीफोन						0	
i)	डाक खर्च	471,844	9,472	9,247	12,532	54,047	557,142	
ii)	तार	41,478					41,478	
iii)	टेलीफोन	609,676	34,702	63,830	26,470		734,678	
f)	लेखा परीक्षण शुल्क	296,617					296,617	
g)	वर्दी	21,816	4,387	2,721	3,825	1,127	33,876	
h)	हास्पिटिलिटी	12,336	2,562	11,044	6,706	925	33,573	
i)	स्थानीय परिवहन	22,686	12,653	11,977	11,175	3,395	61,886	
j)	परिवहन	9,035			10,652		19,687	
k)	अन्य खर्च						0	
i)	छाया प्रति	14,365	1,518		8,599	96	24,578	
ii)	समाचार पत्र एवं अवैधिक पत्रिका	70,417	2,304	6,090	7,126	2,438	88,375	
iii)	हिन्दी कार्यक्रम	35,065		2,950			38,015	
iv)	लीगल खर्च	0	35,000				35,000	
v)	अन्य खर्च	29,206	13,526	9,053	5,373	6,395	63,553	5,618,387
	कुल	12,002,999	1,346,257	394,101	767,015	312,989	14,823,361	14,823,361

क्र. (1)	व्यय (2)	एन.आई.एम.एच. मुख्यालय (3)	एम.एस.ई.सी. (4)	क्षे.के.दिल्ली (5)	क्षे.के.गुरुवर्ष (6)	क्षे.के.कोलकता (7)	ग्रास योग (8)	सकल योग (9)
18	ऋण व अप्रिम वसूली							
a)	ई.एम.डी.	231,000					231,000	
b)	जी.एस.एल.आई.सी.	271,723					271,723	
c)	चुकौती के लिए प्राप्तियाँ	21,667,560	156,353				21,823,913	
d)	अन्य समायोज्य						0	
e)	सी.आर.सी. भोपाल	8,170,000					8,170,000	
f)	पी. व जी खाते को अंतरण	19,014,788					19,014,788	
g)	ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. को कोलकता भवन अंतिम शेष	1,507,000					1,507,000	51,018,424
19								
a)	हाथ रोकड	1,200	2,500	1,000	2,000	1,905	8,605	8,605
b)	बैंक रोकड						0	
(I)	पी.एन.बी. खाता सं.1	6,262,961	669,851	627,648	286,469	562,954	8,409,883	
(ii)	पी.एन.बी. खाता सं.2	18,068,111					18,068,111	
(iii)	एस.बी.ओ.पी. खाता सं.20						0	26,477,994
c)	डाक घर						0	
(I)	खाता सं. 128413 (एच.पी.ओ.)	100,712					100,712	
(ii)	खाता सं. 76028 (एम.बी.एन.)	244,255					244,255	344,967
d)	पैशन व ग्रैचुइटी	19,079,824					19,079,824	19,079,824
e)	एडिप योजना	8,451,940					8,451,940	8,451,940
	कुल	103,071,074	828,704	628,648	288,469	564,859	105,381,754	105,381,754
	सकल योग	317,763,409	6,997,613	4,686,707	2,861,072	3,637,567	335,946,368	335,946,368

ह/-  
लेखा अधिकारी



रसीद का विवरण के रूप में अनुबंध

## रसीद

### 2. सहायता अनुदान

क)	वर्ष 2004-05 के अनुदान वर्ष 2005-06 प्राप्त	25000000
ख)	सहायता अनुदान - योजना	100000000
ग)	सहायता अनुदान - योजनेतर	27000000
घ)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र अनुदान	6200000
		158200000

### 2.क.एडिप अनुदान

क)	एन.आई.एम.एच. खाते से आंतरण	21000000
ख)	सहायता अनुदान	7000000
		28000000

### 7. ऋण व अग्रिम की वसूली

क)	त्योहार अग्रिम	39750	
ख)	स्कूटर अग्रिम	291440	
ग)	कार अग्रिम	299491	
घ)	कम्प्यूटर अग्रिम	252940	
च)	गृह निर्माण अग्रिम	762958	
		1646579	450 1647029

### 8. (xxi) समायोजन के लिए अन्य रसीद

क)	डी.डी.आर.सी. अनुदान - आई.पी.एच. एवं निरतार	450000	
ख)	हरिबाबू के जी.पी.एफ.अनुदान का भुगतान	6840	
ग)	डी.वी.टी.ई.एम.आर. विद्यार्थी द्वारा वापसी	40000	
घ)	एन.आई.वी.एच.एन.पी.सी. शेयर	165000	एस.डी
च)	आई.पी.एच. - ली गई अग्रिम की वापसी	5000	एस.डी
छ)	आर.सी.आई. / राष्ट्रीय न्यास - मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	201358	एस.डी
ज)	आर.सी.आई. बैठक पर व्यय	18000	
झ)	एम.फिल. विद्यार्थी शुल्क / ऋण	18890	
ट)	एम.डी.आर.ए. विद्यार्थी शुल्क की वापसी / ऋण	35250	
ठ)	प्रधानमंत्री निधि	45509	
ड)	उस्मानिया विश्वविद्यालय पारिश्रामिकी	29900	
त)	जी.एस.एल.आई.सी.	266723	
थ)	स्कालरशिप	38505	
द)	ई.एम.डी.	511000	
ध)	अवधान द्रव्य जमा	230700	
न)	एन.आई.एम.एच. रिक्रियेशन क्लब	1740	
		2064415	

### आंतरिक रसीद

कंसालिडेटेड विवरण से उपकुल	9361088
घटाएँ : समायोजन के लिए अन्य रसीद	2064415
	7296673

## भुगतान का विवरण के रूप में अनुबंध

## भुगतान

## 5. विस्तार तथा आऊटरीच सेवाएँ

(क) वास्तविक खर्च 9145401

घटाएँ : डी.डी.आर.सी. / अग्रिम को वापसी

i) वर्धा में लेखों की समाप्ति	58076
ii) अग्रिम की व्यवस्थीकरण	160420
	218496

---

8926905

## एडिप व्यय

एन.आई.एम.एच. व्यय	28416758
सी.आर.सी. भोपाल	4297566

आर.व पी. खाते से ली गई राशी	32714324
-----------------------------	----------

## वसूली योग्य / समायोजनीय अग्रिम

क) एडिप को आंतरण	21000000
ख) डी.डी.आर.सी. अनुदान - आई.पी.एच. तथा निरटार	450000
ग) स्कालरशिप	38505
घ) अन्य (उ.वि. वापसी)	335408
च) ई.एम.डी.	231000
छ) जी.एस.एल.आई.सी.	271723
ज) सी.आर.सी.भोपाल	8170000
झ) पी.एन.जी. खाते को आंतरण	19014788
ट) ए.वाई.जे.एन.आई.एच.एच. को कोलकता भवन	1507000

---

51018424

ह/-  
लेखा अधिकारी

रसीद तथा भुगतान खाते को अनुसूची - 2005-06

रसीद

समायोजन के लिए अन्य रसीद

	रु.
(I) वापसी	1015747
(ii) जी.एस.एल.आई.सी.	266723
(iii) स्कालरशिप	38505
(iv) ई.एम.डी.	511000
(v) अवधान द्रव्य जमा	230700
(vi) एन.आई.एम.एच. रिक्रियेशन क्लब	1740

**2064415**

आंतरिक रसीद

कंसालिडेटेड विवरण से उपकुल	9,361,088
घटाएँ : समायोजन के लिए अन्य रसीद	2064415
	<b>7,296,673</b>

स्थिर आस्तियाँ

	एनआईएमएच	एमएसइसी	आरसीएन	आरसीएम	आरसीके	कुल
भूमि	427,218					427,218
भवन	30,000,000					30,000,000
(सी.पी.डब्ल्यू.डी. को अग्रिम)						

उपकरण

प्लैट व मशीनरी	0	0	0	0	0	0
कम्प्युटर	840,086	0	0	80,136	85,365	1,005,587
बिजली विस्थापन	602,904	0	0	6,890	0	609,794
कार्यालय उपकरण	1,507,170	0	12,717	0	137,296	1,657,183
ट्यूबवेल	64,090	0	0	0	0	64,090
	<b>3,014,250</b>	0	12,717	87,026	222,661	3,336,654

फर्नीचर	572106	0	40748	97884	139723	850,461
---------	--------	---	-------	-------	--------	---------

पुस्तक	1129234	3755	200362	9490	110864	1,453,705
--------	---------	------	--------	------	--------	-----------

अनुसूची - 1 को ली गई राशी 36,068,038

**अनुसूची - 18 - (3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क**

क)	परीक्षा शुल्क	151265
ख)	डी.एस.ई. एम.आर. नोट्स की बिक्री	8401
ग)	एस.ई.सी. शुल्क (घटाएँ 156353-17390) एम.एस.ई.सी. को दी गई शुल्क से 2005-06 में दी गई शुल्क घटाएँ क्योंकि संबंधित वर्षों में पिछले वर्षों के लिए शुल्क ली जा चुकी है।	223863 138963 84900
घ)	सामान्य सेवाएँ	159242
च)	अतिथि गृह	132600
ज)	परिवार कुटीर	18415
झ)	स्टाफ क्वार्टर	195274
ट)	प्लेग्राउन्ड किराया	6216
		<hr/>
		756313

**अनुसूची - 18 - (4) वापसी**

ख)	आई.पी.एच. वापसी	5000
घ)	अन्य आय	4834
	घटाएँ : आर.सी.आई. के अंतर्गत अधिकतम व्यय	2000
		7834
	जोड़ें : एम.एस.ई.सी. शुल्क	17390
		25224

**अनुसूची 18 - (5) विविध आय**

क)	टेंडर फार्मों की बिक्री	21500
ख)	दान	1931
ग)	अन्य विविध	219356
		242787

**अनुसूची 20**

मानव संसाधन विकास	15169642	
घटाएँ : कर्मचारियों के साथ अग्रिम	25500	15144142
अनुसंधान एवं विकास	1874567	
जोड़ें : यु.एस.आई.एफ. परियोजना को ऋण - बहु खाते में डाला गया और व्यय के रूप में लियागया	500000	2374567
सेवा नमूनों का विकास	3549827	
घटाएँ : कर्मचारियों के साथ अग्रिम	45075	3504752
प्रलेखन तथा प्रचार	4610499	
घटाएँ : पुस्तकें (आस्तियाँ)	1453705	
ऋण व अग्रिम	402862	1856567
		2753932

**विस्तार तथा आउटरीच - अनुसूची 11 बी**

कर्मचारी कल्याण व्यय	72223
घटाएँ : कर्मचारियों के साथ अग्रिम	3000
	69223

**अनुसूची - 20 ए**

क) वेतन व मजदूरी	
वेतन	20693664
मजदूरी	129031
	20822695
ख) भत्ता तथा बोनस	
ओवरटाइम भत्ता	96731
आर.टी.एफ.	38580
आर.एम.ई.	1167581
एल.टी.सी.	227176
	1530068
घटाएँ : कर्मचारियों के साथ अग्रिम	141600
	1388468

**अनुसूची - 20 बी**

क) उत्तर पूर्व राज्य	4064645
घटाएँ : कर्मचारियों के साथ अग्रिम	870000
	3194645

**अनुसूची 21**

8) यात्रा तथा परिवहन	680068
घटाएँ : कर्मचारियों को अग्रिम	114800
	565268

ह/-  
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद  
संशिलिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल  
2005-06 के लिए रसीद व भुगतान खाता

को	रसीद	2004-05	2005-06	से	भुगतान	2004-05	2005-06
	आदि शेष				मानव संसाधन विकास	88,084	63,030
ए) हाथ रोकड़	5,000	5,000			अनुसंधान एवं विकास	0	
बी) बैंक रोकड़	7,634,607	6,780,674			सेवा प्रतिमानों का विकास	34,145	372,001
सहायता अनुदान	5,558,000	8,170,000			परामर्शी सेवाएँ	0	
रसीद दूसरे संगठनों से	834,600	46,301			प्रलेखन तथा प्रचार	1,574	12,145
डी डी आर सी से प्रतिपूर्ति	118,595	0			बी.आर.एस. विद्यार्थियों के इन्टर्नशिप	0	13,548
नए डी डी आर सी एस की स्थापना अनुदान	0	6,810,784			भवन	1,398,000	
बैंक ब्याज	215,009	158,725			उपकरण	151,959	67,517
आंतरिक रसीद	91,263	91,343			फर्नीचर	15,615	35,745
बी.आर.एस. विद्यार्थियों के इन्टर्नशिप व्यय		13,548			वेतन, मजदूरी व भत्ता	2,830,799	2,430,260
एन.आई.एम.एच. प्रकाशनों की बिक्री		10,719			यात्रा भत्ता	27,499	23,315
ई.एम.डी		1,000			कर्मचारी पशिक्षण	10,322	3,044
आस्तियों की बिक्री		250			समर्थन सेवाएँ	211,038	338,491
					कंटिन्जेन्ट सेवाएँ	64,105	53,459
					अन्य खर्च	419,223	439,219
					अन्य कार्यक्रम	669,436	
					अग्रिम की वापसी व जमा	1,749,601	167,141
					एन.आई.एम.एच. प्रकाशनों की बिक्री (चुकौती)		10,719
					डी.डी.आर.सी. को अनुदान		6,810,784
					अंतिम शेष		
					हाथ रोकड़	5,000	5,000
					बैंक रोकड़	6,780,674	11,242,926
कुल	14,457,074	22,088,344			कुल	14,457,074	22,088,344

ह/-

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-

ह/-  
निदेशक



राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद  
संशिलिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल  
31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता

ह/-

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उप निदेशक (प्रशासन)

ह/-  
निदेशक

**राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद**

**संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल  
31 मार्च, 2006 का तुलन पत्र**

दायित्व	31.03.2005 तक	31.03.2006 तक	आस्तियाँ	31.03.2005 तक	31.03.2006 तक
पैंजी पूँजीनिधि (भारत सरकार से सहायता अनुदान)	13,934,119	14,049,526	स्थिर अस्तियाँ भूमि		
वर्तमान दायित्व तथा पावधान संदी केडिटर्स	3,144,362	58,812	भवन( सी.पी.डब्ल्यू.डी.से जमा)	10,898,000	10,898,000
रिजर्व तथा सरप्लस (व्यय पर अधिकतम आय)	2,365,292	9,577,888	उपकरण फर्नीचर परिवहन वाहन	1,267,656 492,443	1,096,248 444,052
कुल योग	19,443,773	23,686,226	वर्तमान अस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम ऋण तथा अग्रिम नकद तथा बैंक रोकड़	0 6,785,674	0 11,247,926
				19,443,773	23,686,226

ह/-  
कार्यालय प्रभारी

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उप निदेशक (प्रशासन)

ह/-  
निदेशक



## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

संश्लिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल  
2005-06 में हास की अनुसूचियाँ

क्र. No.	आस्ती की मद	ग्रास ब्लाक				हास				नेट ब्लाक	
		हास की %	31.3.2005 को कुल	वर्ष 2005-06 के लिए जोड़	2005-06 के लिए निकाले गए	31.3.2005 तक	31.3.2006 तक	2005-06 वर्ष के लिए	कुल वर्ष तक समाप्ति	वर्तमान नेट	पिछले वर्ष के समाप्ति तक
1	उपकरण	10	1,799,618	67,517	12,200	1,854,935	593,008	185,494	778,502	1,076,433	1,206,610
2	कम्प्युटर	20	268,077			268,077	207,031	41,231	248,262	19,815	61,046
3	फर्नीचर/ फिक्स्चर	10	805,622	35,745		841,367	313,179	84,136	397,315	444,052	492,443
4	पुस्तकालय पुस्तकें	100	198,736	12,145		210,881	198,736	12,145	210,881	-	-
5	जारी रही कार्य (भवन)		10,898,000			10,898,000				10,898,000	10,898,000
	कुल		13,970,053	115,407	12,200	14,073,260	1,311,954	323,006	1,634,960	12,438,300	12,658,099

ह/-  
लेखा अधिकारी

## राष्ट्रीय बहुविध विकलांग व्यक्तियों के साधिकारिता संस्थान, मुथ्युकाडु, तमिलनाडु

### वर्ष 2005-06 के लिए रसीद व भुगतान खाता

क्र.	रसीद	राशी	क्र.	भुगतान	राशी
1	आदिशेष	0	1	वेतन व मजदूरी	429,892
2	सहायता अनुदान - 2004-05	10,000,000	2	यात्रा भत्ता	158,875
3	सहायता अनुदान - 2005-06	31,800,000	3	अल्पकालीन पाठ्यक्रम	91,435
			4	विस्तार तथा अउटरीच कार्यक्रम	76,342
			5	प्रलेखन तथा प्रचार	58,924
			6	पुस्तकालय पुस्तकें	484,377
			7	भवन (सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ अग्रिम)	27,500,000
			8	उपकरण	314,455
			9	फर्नीचर	465,108
			10	सैनिटेशन व सफाई	51,399
			11	सुरक्षा सेवाएँ	146,848
			12	बिजली खर्च	27,544
			13	मानदेय व पारिश्रामिक	370,700
			14	मरम्मत व रखरखावा	60,064
			15	डाक, तार तथा टेलीफोन	41,747
			16	आतिथेय	44,162
			17	वाहन	160,895
			18	परिवाहन	17,236
			19	विविध	35,662
			20	बिजली व प्लंबिंग	120
			21	स्टेशनरी व मुद्रण	39,385
			22	त्यौहार अग्रिम	1,500
			23	विकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति	3,281
			24	समाचार पत्र व अवैधिक पत्र	6,475
			25	छायाप्रति	9,619
			26	टेलीफोन	2,000
			27	प्रशिक्षण सामग्री	143,932
			28	अग्रिम	15,000
				शेष रोकड़	11,043,023
	सकल योग	41,800,000		सकल योग	41,800,000

ह/-  
कार्यालय प्रभारी

ह/-  
लेखा अधिकारी

ह/-  
उप निदेशक (प्रशासन)

ह/-  
निदेशक



# परिशिष्ट - क

## महापरिषद् के सदस्यों की सूची

1. डॉ.(श्रीमति) वीना छोटराय, आई.ए.एस.,  
सचिव,  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
2. श्रीमति सरिता प्रसाद, आई.ए.एस. 30.08.2006 तक  
सचिव, भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
3. श्रीमति जयति चन्द्र 15.11.2005  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
4. श्री जी.एन.पेगु, आई.ए.एस. 16.11.2005  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
5. श्री मुत्युन्जय साहू  
संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार  
शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
कमरा न. 405, श्रम शक्ति भवन  
रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
6. संयुक्त सचिव  
शिक्षा विभाग  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110 001
7. संयुक्त सचिव भारत सरकार  
स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
निर्माण भवन,  
नई दिल्ली 110 001

8. मुख्य सचिव, ओँधप्रदेश सरकार  
चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग  
सचिवालय, एच.ब्लाक, पथम तल, हैदराबाद 500 022
9. मुख्य सचिव, ओँधप्रदेश सरकार  
महिला विकास एवं शिशु कल्याण विभाग  
सचिवालय, एच.ब्लाक, निचला तल,  
कमरा नं. 27, हैदराबाद 500 022
10. महानिदेशक, रोजगार व पशिक्षण  
श्रम मंत्रालय  
श्रमशक्ति भवन,  
नई दिल्ली 110 001
11. प्रोफेसर के.सी.पांडा  
रिटायर्ड प्रध्यापक  
आर.आई.ई., छायातरु, डी-25, मैत्री विहार  
चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर
12. प्रोफेसर सी.ए.ल.कुन्दु  
पूर्व कुलपति, हिमाचल विश्वविद्यालय  
सेक्टर 14, 1238, फरीदाबाद, हरियाणा
13. श्री जार्ज कुट्टी करेपारम्पिल  
केरल फेडरेशन फार दि ब्लाइंड  
पी.ओ.करीमपुज्जा, पलक्कड  
केरल
14. श्री सैयद अक्रम जमिल  
ए-35, जवाहर पार्क  
देवली रोड, खानपुर  
नई दिल्ली 110 062
15. श्रीमति कंदुकूरु पद्मजा  
पत्नी बालकोटेश्वरराव  
19, नर्सिंग हास्टल  
1, अशोका रोड, नई दिल्ली 110 001
16. श्री मेकल सुब्बाराव  
मेकलवारी स्ट्रीट, वाइंचीपेट  
विजयवाडा 520 001
17. डॉ.ए.ल.गोविन्द राव  
निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,  
सिंकंदराबाद 500 009

# परिशिष्ट - ख

## कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की सूची

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | श्रीमति जयति चन्द्र, आई.ए.एस.   | 15.11.2005 |
|    | संयुक्त सचिव, भारत सरकार<br>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय<br>शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001  |            |
| 2. | श्री जी.एन.पेगु, आई.ए.एस.   | 16.11.2005 |
|    | संयुक्त सचिव, भारत सरकार<br>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय<br>शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001   |            |
| 3. | श्री मुत्युन्जय साहू<br>संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार<br>शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय<br>कमरा नं. 405, श्रम शक्ति भवन<br>रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 |            |
| 4. | डॉ.जे.एन.चौधरी<br>डी-123, डिफेन्स कालोनी<br>नई दिल्ली 110 035   |            |
| 5. | श्री शेर-उज-जमान खान<br>415, शहजादा बाग, इंदरलोक<br>दिल्ली 110 035  |            |
| 6. | डॉ. एल. गोविन्द राव<br>निदेशक<br>राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,<br>मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500 009   |            |

# परिशिष्ट - ग

## शैक्षणिक समिति के सदस्यों की सूची

- |  |  |
|--|--|
| 1. डॉ. शोभा श्रीनाथ<br>आचार्य, मनश्चिकित्सक<br>मनश्चिकित्सक विभाग<br>निम्हैन्स, बैंगलूर - 560 029  | 5 प्रो. एम. जयराम<br>निदेशक<br>आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ र्पीच एन्ड हियरिंग<br>मानसा गंगोत्री, मैसूर -570 006   |
| 2. प्रो. एस.हरिहरन<br>पूर्व प्रधानाचार्य एवं प्रोफेसर<br>विभाग अध्यक्ष, पी.एम.आर मेडिकल कालेज<br>त्रयम्बकम, 2-168(1)<br>जी.जी.अस्पताल मेडिकल कालेज के पास<br>तिरुवनन्तपुरम - 695 011 | 6. प्रो. मल्लिका बेनर्जी<br>मनोविज्ञान विभाग, अध्यक्ष<br>कोलकता विश्वविद्यालय<br>फलेट नं. 4, लेकव्यू कोआपरेटिव हाउजिंग सोसाइटी<br>पी-203/बी, ब्लॉक-बी, कोलकता -700 089 |
| 3. प्रो. के.एस. सुधीर रेड्डी<br>अध्यक्ष<br>बोर्ड आफ स्टडीज, विशेष शिक्षा<br>उस्मानिया युनिवर्सटी, तारनाका<br>हैदराबाद - 500 007  | 7. प्रो. अनुपम बासू<br>अध्यक्ष<br>कम्प्यूटर साईंस और इंजिनियर विभाग<br>आई.आई.टी. खरगपुर - 721 302  |
| 4. प्रो.(श्रीमति) नीरजा शुक्ला<br>आचार्य व अध्यक्ष<br>डिपार्टमेंट आफ एजुकेशन आफ गूप्स वित<br>स्पेशल नीड्स<br>एन.सी.ई.आर.टी,<br>श्री अरबिन्दो मार्ग<br>नई दिल्ली -110 016             | 8. प्रो. एम.एस. भट्ट<br>निदेशक, स्कूल फार मैनेजमेन्ट साईंस<br>जवाहर लाल नेहरू टैकनोलोजी यूनिवर्सिटी<br>कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 072                                   |
|  | 9. डॉ. एल. गोविन्द राव - सदस्य संयोजक<br>निदेशक<br>एन.आई.एम.एच<br>सिकन्दराबाद - 500 009  |

# परिशिष्ट - घ

## एथिक्स समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री आर. कान्ता राव  
निदेशक  
आँध्रप्रदेश ज्यूडिशियल अकाडमी  
सिटी सिवल कोर्ट काम्पाउन्ड  
सिकंदराबाद
2. डॉ. बी.शिवा कुमार  
निदेशक (सेवा निवृत्त)  
जामिया-उस्मानिया पोस्ट  
राष्ट्रीय पोषण संस्थान  
तारनाका, हैदराबाद
3. डॉ. एल. गोविन्द राव  
निदेशक  
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,  
सिकन्दराबाद
4. डॉ. जयन्ती नारायण  
उप निदेशक (प्रशा.)  
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,  
सिकन्दराबाद

# अनुबंध - ।

## 2005-06 में कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	कार्यक्रम का नाम	केन्द्र	दिनांक	सहभागी
1.	बच्चों की देखभाल और विकलांगता की रोकथाम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	11-15 अपैल, 05	18
2.	संसाधन कक्षों के विकास पर विशेष शिक्षकों के लिए मास्टर कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	6-10 जून, 05	6
3.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13-24 जून, 05	15
4.	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	20-24 जून, 05	9
5.	विनिर्दिष्ट अधिगम विकलांगता	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	20-24 जून, 05	18
6.	रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	27 जून, 05 1 जुलाई, 05	28
7.	व्यावसायिकों, विकास मार्गदर्शन और परामर्श 3-5 वर्ष के बच्चों के साथ	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	18-22 जुलाई, 05	21
8.	दृष्टि बाधित व्यक्तियों के गतिशीलता तथा अभिमुखीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सी.आर.सी., भोपाल	25-29 जुलाई, 05	10
9.	व्यक्तियों के लिए संसाधन क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18-22 जुलाई, 05	24
10.	स्कूल तैयारी विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	11-25 जुलाई, 05	3
11.	पुनर्वास में परामर्श पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	16-22 जुलाई, 05	11
12.	अंतरण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष शिक्षकों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	8-12 अगस्त, 05	11
13.	सी.आर.ई. पर व्यवहार परिवर्तन में मानसिक विकलांगता और मानसिक अव्यवस्था	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	22-26 अगस्त, 05	25
14.	लौंगिकता और मानसिक विकलांगता	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	30 अगस्त, 05	30
15.	व्यवसायिकों के लिए व्यवहार परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	12-16 सितम्बर, 05	21

क्र.	कार्यक्रम का नाम	केन्द्र	दिनांक	सहभागी
16.	मानवधिकार और व्यक्तियों के साथ विकलांगता पर कार्यशाला	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	3-4 सितम्बर , 05	80
17	क्षमता निमार्ण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	3-7 अक्टूबर , 05	5
18.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10-21 अक्टूबर , 05	7
19.	व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	17-21 अक्टूबर , 05	6
20.	विकासात्मक विकलांगताओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	24-28 अक्टूबर , 05	7
21.	आटीजम स्पेक्ट्रम अव्यवस्थाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	7-11 नवम्बर , 05	28
22.	मंदबुद्धिता के संपेषण पहलुओं पर श्रवण विकलांग व्यक्तियों के विशेष शिक्षकों, मानसिक विकलांगता, एसएलआई और ए वी टीआई एम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	21-22 नवम्बर , 05	11
23.	सुदृढीकरण मंदबुद्धि बच्चों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	23 नवम्बर , 05	2
24.	व्यावसायिकों प्रशिक्षण और रोजगार	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	7-11 नवम्बर , 05	9
25.	मंदबुद्धिता पर अभिमुखी कार्यक्रम पर परामर्शदाताओं तथा स्कूल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	26-30 दिसम्बर , 05	10
26.	विकलांगता शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	1 दिसम्बर , 05	20
27.	विशेष शिक्षा में हाल की पृष्ठियों पर विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	12-16 दिसम्बर , 05	17
28.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	23 दिसम्बर , 05	15
29.	मंदबुद्धि व्यक्तियों के शारीरिक समस्या वाले व्यक्तियों के भौतिक तथा व्यावसायिक चिकित्सा में प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	2-6 जनवरी , 2006	14
30.	मंदबुद्धिता के संपेषण पहलुओं पर श्रवण विकलांग व्यक्तियों के विशेष शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	2-6 जनवरी , 2006	15
31.	विकलांगता पहचान और पुनर्वास	सी.आर.सी.भोपाल	12 जनवरी , 2006	50
32.	विकलांग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा पुनर्वास	सी.आर.सी.भोपाल	15 जनवरी , 2006	50
33.	अधिगम आनन्द दायक पर कार्यशाला	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	16-20 जनवरी , 06	4

क्र .	कार्यक्रम का नाम	केन्द्र	दिनांक	सहभागी
34.	स्कूल से कार्य को अंतरण पर विशेष एजूकेटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	31 जनवरी से 3 फरवरी , 2006	16
35.	आइटीरी फिसियालजी क्लिनिकल प्रैक्टीस व रिहैबिलिटेशन वित स्पेशल फोकस आन मेंटल रिटार्डेशन	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 फरवरी, 2006	135
36.	मनोविज्ञान पुनर्वास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	27 फरवरी से 3 मार्च, 06	30
37.	विशेष शिक्षकों एवं व्यावसायिक पबंधन पभाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	6-10 फरवरी, 06	8
38.	मंदबुद्धिता के पुनर्वास मनोविज्ञान पर प्रशिक्षण कार्य क्रम	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी., नई दिल्ली	20-24 फरवरी, 06	5
39.	आधुनिक व्यापार और पौद्योगिकी में व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर रोजगार	एन.आई.एम.एच., एम.एस.ई.सी. नई दिल्ली	27 फरवरी, 06	30
40.	व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	24-28 मार्च, 06	13
41.	व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13-17 मार्च, 06	14
42.	मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक और अभिभावक कानूनी तौर-तरीका पर कार्यशाला	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	20 फरवरी, 06	80
	कुल			935
43- 254	अभिमुखीकरण कार्यक्रम व्यावसायिकों के लिए (212 कार्यक्रम)	एन.आई.एम.एच., मुख्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, और एम.एस.ई.सी.	वर्ष के दौरान	3306
255- 356	अभिमुखीकरण कार्यक्रम डी.डी.आर.सी. द्वारा संचालित (102 कार्यक्रम)	सभी डी.डी.आर.सी.	वर्ष के दौरान	8298
357- 381	विकलांग व्यक्तियों के लिए (25) डी.डी.आर.सी. में प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी डी.डी.आर.सी.	वर्ष के दौरान	2797
382- 413	उत्तर पूर्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम (32 कार्यक्रम)	उत्तर पूर्व	वर्ष के दौरान	4075
	कुल योग			19411

# अनुबंध - ||

## अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम


क्र.	आयोजक	दिनांक	लाभांकित
1.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	6 अप्रैल, 05	8
2.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13 अप्रैल, 05	6
3.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	11 अप्रैल, 05	27
4.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	27 अप्रैल, 05	7
5.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	28 अप्रैल, 05	15
6.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	3 मई, 05	12
7.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	4 मई, 05	8
8.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	6 मई, 05	19
9.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	10 मई, 05	25
10.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	11 मई, 05	7
11.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	12 मई, 05	18
12.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18 मई, 05	5
13.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	25 मई, 05	6
14.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	27 मई, 05	17
15.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	27 मई, 05	15
16.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	3 जून, 05	25
17.	सी.आर.सी. भोपाल	7 जून, 05	25
18.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	7 जून, 05	8
19.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 जून, 05	5
20.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	10 जून, 05	15
21.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	15 जून, 05	5
22.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	16 जून, 05	7
23-24	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	20 जून, 05	59
25-26	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	21 जून, 05	67
27.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	22 जून, 05	65
28.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	22 जून, 05	17
29.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	24 जून, 05	18
30.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	28 जून, 05	10
31.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	30 जून, 05	13
32.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	5 जुलाई, 05	8

क्र.	आयोजक	दिनांक	लाभांकित
33.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	8 जुलाई, 05	21
34.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13 जुलाई, 05	8
35.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	15 जुलाई, 05	10
36.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18-19 जुलाई 05	8
37.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	20 जुलाई, 05	5
38.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	20 जुलाई, 05	11
39.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	25 जुलाई, 05	6
40.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	29 जुलाई, 05	15
41.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	11 अगस्त, 05	5
42.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	12 अगस्त, 05	13
43.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	12 अगस्त, 05	20
44.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18 अगस्त, 05	5
45.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	25 अगस्त, 05	6
46.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	26 अगस्त, 05	21
47.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	1 सितम्बर, 05	36
48.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	7 सितम्बर, 05	9
49.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	8 सितम्बर, 05	6
50.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	9 सितम्बर, 05	18
51.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13 सितम्बर, 05	8
52.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	17 सितम्बर, 05	15
53.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	21 सितम्बर, 05	27
54.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	23 सितम्बर, 05	25
55.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	23 सितम्बर, 05	17
56.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	24 सितम्बर, 05	6
57.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	26 सितम्बर, 05	7
58.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	27 सितम्बर, 05	8
59.	एन.आई.एम.एच., मॉडल स्पेशल एज्यूकेशन , नई दिल्ली	29 सितम्बर, 05	22
60.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	4 अक्टूबर, 05	6
61.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	7 अक्टूबर, 05	7
62.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकता	7 अक्टूबर, 05	15
63.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 अक्टूबर, 05	7
64.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18 अक्टूबर, 05	8
65-66	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	18-20 अक्टूबर, 05	107
67.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	21 अक्टूबर, 05	21
68.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	27 अक्टूबर, 05	8
69.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	10 नवम्बर, 05	8
70.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	16 नवम्बर, 05	6

क्र.	आयोजक	दिनांक	लाभांकित
71	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	24 नवम्बर, 05	25
72.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	29 नवम्बर, 05	12
73.	सी.आर.सी., भोपाल	10 नवम्बर, 05	22
74.	सी.आर.सी., भोपाल	25 नवम्बर, 05	45
75.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	29 नवम्बर, 05	15
76.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	14 नवम्बर, 05	3
77.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	11 नवम्बर, 05	15
78.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	25 नवम्बर, 05	15
79.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	15 दिसम्बर, 05	10
80.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	23 दिसम्बर, 05	18
81.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	25 दिसम्बर, 05	45
82-83	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	21 दिसम्बर, 05	232*
84.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	28 दिसम्बर, 05	6
85.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	29 दिसम्बर, 05	8
86.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	4 जनवरी, 06	6
87.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	18 जनवरी, 06	8
88.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	20 जनवरी, 06	21
89-90	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	23 जनवरी, 06	19
91.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	10 फरवरी, 06	17
92.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, मुम्बई	10 फरवरी, 06	9
93.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	17 फरवरी, 06	23
94.	एन.आई.एम.एच., क्षेत्रीय केन्द्र, कोलकाता	24 फरवरी, 05	25
95.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	21 मार्च, 06	12
96.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	7 मार्च, 06	10
97.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	13 मार्च, 06	20
98.	एन.आई.एम.एच., सिकन्दराबाद	29 मार्च, 06	8
	कुल		1741
99- 152	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम डी.डी.आर.सी. के द्वारा किए गए (54 कार्यक्रम)	वर्ष के दौरान	1053
153- 154	मुख्यालय के द्वारा सी.बी.पी.(2 कार्यक्रम)	वर्ष के दौरान	115
155- 163	उत्तर पूर्व में ( 9 कार्यक्रम)	वर्ष के दौरान	444
	कुल योग		3353

\*इसमें संस्थान द्वारा आयोजित मास्टर प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित अभिभावकों की संख्या भी सम्मिलित है।





## राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संरथान

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 संस्था

मनोविकास नगर, सिंकंदराबाद - 500 009. आन्ध्रप्रदेश, भारत

दूरभाष : 040-27751741 फेक्स : 040-27750198

ई-मेइल : [hyd2\\_dirnimh@sancharnet.in](mailto:hyd2_dirnimh@sancharnet.in) वेबसाईट : [www.dirnimhindia.org](http://www.dirnimhindia.org)

